राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ११वां दिवस [संख्या ६

बृहस्पतिवार, २० फरवरी, १६५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनीवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

हमारा गांव

२५६. **डॉक्टर चन्द्रकला** : किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) "हमारा गांव" योजना कब से शुरू हुई, इसमें कितने बंदियों को बसाया गया है? इस योजना का क्या लक्ष्य है?

(२) जेलों में कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे चालू हैं, उनसे प्रति वर्ष सरकार को कितनी आय होती है?

(३) उक्त जेलों में प्रति वर्ष बुनाई के काम में कितने सूत की खपत होती है? यह सूत कहां से आता है?

(४) जेलों में कताई का काम शुरू न करने का क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ओपन एयर प्रिज़नर्स एग्रीकलचरल फार्म योजना, जिसका नाम "हमारा गांव" है सितम्बर १६५५ से आरम्भ की गई थी। अब तक ४६ बंदियों को शिक्षा दी जा चुकी है और अब ६ बन्दी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य अच्छे आचरण वाले बंदियों को खुली अवस्था में रखना व उन्हें कृषि की उन्नति के तरिके और आधुनिक औजारों को काम में लाना सिखाया जाता है ताकि जब वे जेल से छूट कर अपने गांव जावें तो अपने लिये अधिक अन्न उपजा सकें तथा अपने अन्य गांव वालों को भी कृषि शिक्षा व ग्रामोत्थान शिक्षा का, जो उन्होंने इस फार्म "हमरा गांव" पर प्राप्त की है फायदा पहुंचा सकें।

(२) जेलों में निम्नलिखित प्रमुख उद्योग धन्धे चालू हैं :

गलीचे और दरी बनाना, कपड़ा बुनना, सिलाई, लकड़ी का काम, निवार तथा फीता बनाना, जूते बनाना, बन्दियों के लिये सूती एवं ऊनी वर्दी बनाना, टाटपट्टी, तौलिया, मूंज के पायदान बनाना, झाड़न, बिस्तरों की चादर, चिक, कुर्सियों में बेंत लगाना, सोडा वाटर, लैमनेड आदि बनाना तथा नत्थी डोरा इत्यादि बनाना।

जेल उद्योगों से सन् १६५६-५७ में ४, ५६, ३४३ रूपयों की आय हुई।

(३) प्रतिवर्ष लगभग ३०० से ३५०

Page No.2

(श्री रामकिशोर व्यास)

मिल के सूत की गांठें भिन्न भिन्न नम्बरों की खपत होती हैं जो अलग-अलग मिलों से नियमानुसार टेन्डर लेने के बाद खरीदी जाती हैं।

(४) जेल के उद्योगों की आय को ध्यान में रखते हुए, जेल में हाथ की कताई बड़ी मात्रा में असंभव है क्योंकि कताई से प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तथापि जेलों में हाथ से सूत-कताई की योजना चालू करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विचार किया जाकर बंदियों को अम्बर चर्खों एवं अन्य चर्खों पर हाथ की कताई का प्रशिक्षण जयपुर तथा उदयपुर की जेलों में आरंभ किया जा चुका है और अब तक ६० बंदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हाथ कताई को प्रोत्साहन देने के लिये एक छोटी जेल में सैल्फ कन्टेन्ड ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने की योजना आई. जी. प्रिज़न्स के विचाराधीन है। इस योजना में बंदियों को कपास उत्पन्न करने से बुनाई एवं हाथ से बने हुए कपड़े की फिनिशिंग करने तक का पूर्ण क्रम सिखाया जा सकेगा।

डॉ० चन्द्रकला : यह 'हमारे गांव' की योजना कब से शुरू हुई और कितने बंदी काम करते हैं, इसका उत्तर नहीं दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह योजना सन् ५५ में शुरू हुई।

डॉ० चन्द्रकला : कितने बंदी बसे हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४६ बंदियों को तालीम दी जा चुकी है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इसका मतलब यह है कि जितने बंदी हैं वे किसी न किसी उद्योग में अपना समय लगाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मतलब जो आप समझें वही है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस

२६०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस कहां कहां लगता है ?

(२) क्या यह सही है कि धर्मादे की जमीन, मन्दिर व मसजिदों पर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस वसूल किया जाता है ?

(३) अगर हां, तो किस हिसाब से और किन स्थानों की जायदाद से ?

(४) जयपुर डिविजन में इससे कितनी आमदनी होती है और उन स्थानों में खर्चा किस तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करता है ?

(५) टोंक डिस्ट्रिक्ट में किन किन मन्दिरों और पुण्यार्थ की जमीनों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को १९५५–५६ व १९५६–५७ में किस कदर आमदनी हुई तथा क्या क्या खर्चा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इन धर्मार्थ विभागों की तरक्की हेतु लगाया ?

उपस्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस जिला जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक, फोर्मर टोंक और लावा स्टेट को छोड़कर : डूंगरपुर, भीम तहसील बीकानेर, चूरू एवं गंगानगर में वसूल किया जाता है।

(२) जी हां।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) जिला बोर्ड द्वारा सेस सरकारी और धर्मार्थ जमीनों की आय पर समान रूप से वसूल किया जाता है।

(४) जयपुर डिविजन में १६५५–५६ में कुल सेस की आय ८,६३,६८४ रुपये सवा सात आने हुई है। राजस्थान जिला बोर्ड अधिनियम १६५४ की धारा ६६, ६७ व ६६ के अन्तर्गत कार्यों पर बिना किसी स्थान के भेद-भाव के खर्चा किया जाता है।

(५) इस सम्बन्ध में जिलाधीश टोंक से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जो सेस वसूल होता था उतना ही जागीरदारों से कॉन्ट्री-ब्युशन लिया जाता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बाकी के स्थानों में क्या व्यवस्था की है ? जो सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा वसूल किया जाता है, उसका वहीं उपयोग होता है; बाकी के स्थानों में क्या व्यवस्था है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बाकी के स्थानों में जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है, वहां सेस वसूल नही होता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बाकी के स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कब तक कायम कर दिये जायेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तय नहीं है, इसके लिए आप अलग से सवाल भेजें।

एक **माननीय सदस्य :** जागीरदारों में कितनी रकम कॉन्ट्रीब्युशन की बकाया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कायम करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रहने या न रहने का प्रश्न देश भर का है। जो नीति देश में अपनाई जायगी वह अपने यहां भी अपनाई जायगी। यह दो चार महीने में हो जायगा, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अजमेर की लोकल रेट्स और इस सेस में क्या अन्तर है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सिर्फ नाम का अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

सहकारी बैंक

२६१. **श्री बेनाराम गहलोत**(खारची): क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि० की जनरल मीटिंग कब हुई ?

(२) इतने समय तक जनरल मीटिंग नहीं बुलाये जाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या मौजूदा बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स जनरल मीटिंग द्वारा चुने गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

उप **सहकारी मन्त्री** (श्री दौलतराम) :

(१) २६-५-५५ को।

(२) उक्त कथित दिनांक को चुने गये

(श्री दौलतराम)

बोर्ड ऑफ डाइरेक्टरर्स का कर्तव्य था कि वे बैंक की आम सभा बुलाते मगर उन्होंने नहीं बुलाई। बाद में पदेन अध्यक्ष (कलेक्टर) की सलाह के अनुसार पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा उक्त बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स दिनांक २३-८-५६ को भंग कर दिया गया और नये बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स को मनोनीत करने की स्वीकृति विधान के अन्तर्गत कर दी गई। बैंक के सन् १६५४-५५ व १६५५-५६ के हिसाब किताब का अंक परीक्षण करवाया गया और पाली एवं नागौर में नये बैंक बन जाने के कारण उनके हिसाबात (लेनदारी तथा देनदारी) तय करने में समय लग गया। इस ही बीच में सन् १६५६-५७ का वर्ष भी ३०-६-५७ को समाप्त हो गया। अतः मौजूदा बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा यह तय किया गया कि सन् १६५६-५७ का अंक परीक्षण हो जाने पर ही बैंक की आम सभा बुलाई जावे।

(३) जी नहीं। समय बतलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तेजाराम गहलोत : मौजूदा जो बोर्ड है उसको २३-८-५६ को नोमीनेट करने का तथा पुराने बोर्ड को भंग करने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम : उन्होंने अपना फर्ज अदा नहीं किया।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार को इस चीज़ की तसल्ली थी कि वास्तव में पुराने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने अपना फर्ज अदा नहीं किया ?

श्री दौलतराम : यह निर्णय होने पर ही भंग हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

जन-सम्पर्क अधिकारी

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Hon. Minister be pleased to state: Is it correct that there are 26 sanctioned posts of Public Relation officeers, but only ten posts have so far been filled and the rest are lying unoperated for the last 2¼ years.

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : There are sanctioned posts of Public Relation Officers in this Directorate, out of which 12 (not 10) are in operation, while the remaining are, at present, lying unoperated for the last 1½ years (and not 2¼ years).

श्री पी० के० चौधरी : Why they are not operated ?

श्री रामकिशोर व्यास : We have written to the Public Service Commission for selection of persons.

श्री पी० के० चौधरी : Why they are not operated so far ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि उनका सिलेक्शन करने के लिए हमने पी. एस. सी. को लिखा है ?

श्री पी० के० चौधरी : When it was written; कब लिखा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : काफी टाइम हो गया।

श्री पी० के० चौधरी : कब लिखा है ? When it was written, the date we want to know.

श्री रामकिशोर व्यास : डेट नहीं बता सकता, करीब साल भर हो गया ।

श्री पी० के० चौधरी : What the P. S. C. was doing so far ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : Next.

सरपंच चोरू (उनियारा)

२६३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि डेवलपमेंट तथा पंचायत विभाग व जल बोर्ड से सरपंच ग्राम चोरू तहसील उनियारा को ग्राम चोरू में कुए पंचायत भवन व स्कूल इत्यादि के निर्माण हेतु रकम दी गई थी ?

(ख) अगर हां, तो कितनी कितनी और किस किस सरपंच को ?

(ग) क्या इस रकम के सरपंच द्वारा गबन कर लिये जाने का कोई मुकदमा सरकार द्वारा चलाया गया है ?

(घ) अगर हां, तो कब और उसका क्या नतीजा रहा ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम) : (क) केवल पंचायत विभाग से जलाशय के कार्यों के लिये रकम दी गई थी।

(ख) १५,००० रु० उस समय के सरपंच श्री कल्याणमल पंचायत चोरू को ५,०००, ५,००० रु० की तीन किश्तों में दिनांक ४-१-५५, १४-३-५५ और २३-३-५५ को दिये गये थे ।

(ग) जी नहीं । अब तक इन्सपेक्टर द्वारा, इस विषय में तहकीकात की जा रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गबन का जो प्रश्न है, उसकी शिकायत कब हुई थी राज्य सरकार के पास ?

श्री अर्जुनदास : पूछ कर बताइये ।

श्री दौलतराम : २८-५-५६ को ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : और इसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी कब जारी की गई ?

श्री दौलतराम : २७-११-५६ को लोकल ऑडिट फंड विभाग को ऑडिट करने के आदेश दिये गये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : १५ हजार रुपये देने से पूर्व यह जांच कराई गई कि यह आदमी रिलाएबल है या नहीं ?

श्री दौलतराम : पंचायत को दिये गये तो सरपंच को रिलाएबल मानेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

सहकारी समिति

२६४. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सांसी बहु धंधी सहकारी समिति लि० जोधपुर की स्थापना कब हुई और वह क्या कार्य कर रही है ?

(श्री बेनाराम गहलोत)

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त समिति को १०,००० रुपये की सहायता सरकार की ओर से मिली थी ? यदि हां, तो उपरोक्त रकम किस कार्य में लगाई गई ?

(३) उपरोक्त समिति की कार्यकारिणी कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं और वे कौन कौन हैं ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) इस समिति की स्थापना दिनांक १७-३-५४ को हुई थी । यह समिति चमड़े की चप्पल आदि बनाने का काम करती थी ।

(२) हां । यह रकम समिति के लिए वर्कशॉप की शेड बनवाने, कच्चा माल खरीदने व मजदूरी वगैरह देने में व्यय की गई ।

(३) कार्य समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

१.	श्री रामाकिशन	अध्यक्ष
२.	श्री अमरदत्त	मंत्री
३.	श्री रंजीतराम	खजांची
४.	श्री जवाराम	सदस्य
५.	श्री धूलाराम	,,
६.	श्री सनवा मियां	,,

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि इस संस्था में गबन है ?

श्री दौलतराम : जी हां ।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या इन्क्वायरी की गई ?

श्री दौलतराम : आपने यह पूछा कि क्या इसमें गबन है, इस संस्था में गबन है; इसकी इन्क्वायरी की कार्यवाही की गई । इस इन्क्वायरी का परिणाम यह रहा कि श्री रामाकिशन के खिलाफ ६१८ रु० १५ आने और श्री अमरदत्त के खिलाफ २८६३ रु० २ आने ऑर्डर नोट के अनुसार इलज़ाम खयानत लगाया गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : अमरदत्त और रामाकिशन सांसी हैं ?

श्री दौलतराम : वे सांसी नहीं हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : ये कौन हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी. के. चौधरी ये : समिति के मेम्बर कैसे हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : केवल सांसी बहुधन्धी सहकारी समिति के सांसी मेम्बर हों, यह बात नहीं है । इन लोगों ने सांसियों को ऑर्गेनाइज़ करके इस समिति की स्थापना के लिए प्रयत्न करवाये । जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वे जोधपुर के आदमी हैं । जिन्होंने रुपये की गड़बड़ी की उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मदनसिंह : क्या यह बतायेंगे कि ये कौनसी पार्टी के आदमी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह किस पार्टी के हैं, इसकी जांच नहीं की । बिना पार्टी के भी बहुत से आदमी हैं ।

श्री तनसिंह : इस रुपये की वसूली के लिए क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके खिलाफ यह मुकर्रर कर दिया है कि उन्होंने रुपये की गड़बड़ी की है; जो रुपया उनमें डूबा है, उसके लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

Page No.7

श्री चन्दनमल वेद : जब दूसरे लोग इस समिति के सदस्य थे तो इस समिति का नाम सांसी बहुधन्धी सहकारी समिति क्यों रखा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यादा मेम्बर सांसी थे।

श्री तेजाराम : जो सरकारी सहायता दी गई वह किस काम के लिए दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चमड़े की वस्तुओं 'आदि के उत्पादन में लगाई जाय,' इसलिए दी गई।

श्री अध्यक्ष : डॉ॰ चन्द्रकला।

औषधालय

२६५. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बनी पार्क क्षेत्र में कोई सरकारी डिस्पेन्सरी अथवा औषधालय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार का जल्दी ही वहां कोई डिस्पेन्सरी खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) (क) बनी पार्क में कोई डिस्पेन्सरी या औषधालय नहीं है।

(ख) उक्त क्षेत्र में फिलहाल कोई डिस्पेन्सरी अथवा औषधालय खोलने की योजना नहीं है।

डॉ॰ चन्द्रकला : क्या सरकार जयपुर की बनी पार्क बस्ती को नई बस्ती मानती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : जयपुर में जो अस्पताल बना हुआ है, वह इस बस्ती से ज्यादा दूर नहीं है।

डॉ॰ चन्द्रकला : बनी पार्क के क्षेत्र को नया नहीं कह सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर के सामने बनी पार्क नयी बस्ती है।

डॉ॰ चन्द्रकला : क्या नई वस्ती होने के कारण अभी तक इस बस्ती में कोई औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी नहीं है।

डॉ॰ चन्द्रकला : मैंने यह पूछा है कि कितने क्षेत्र के बीच में एक औषधालय या डिस्पेन्सरी होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, आपने पहली दफा शिकायत की है। वैसे जयपुर में बड़े अस्पताल की सहूलियत है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या बनी पार्क से बड़ा अस्पताल तीन मील की दूरी पर नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनाना अस्पताल बिल्कुल इस बस्ती के पास है।

(हंसी)

डा॰ चन्द्रकला : मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरा प्रश्न यह है, क्या इस क्षेत्र में कोई औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं है ? अगर कोई औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं हैं तो क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आपका जो प्रश्न पूछने का मकसद था वह पूरा हो गया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ध्यान रखेगी।

नेक्स्ट, श्री रामकरण सिंह।

Page No.8

चावलों की खेती

२६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : (श्री रामकरणसिंह की अनुपस्थिति में) क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कौन कौन सा चावल (धान) किस किस प्रणाली से कितने कितने रकबे में काश्त होता है ?

(ख) कुल कितने क्षेत्र में कितना चावल १९५६–५७ में पैदा हुआ है ?

(ग) क्या यह सही है कि चावल का ३।४ रकबा जापानी प्रणाली से काश्त होता है ?

(घ) यदि हां, तो किस किस तहसील में कहां और कितना ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (क) ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सन् १९५६–५७ में ४,२८,१८९ एकड़ में चावल की ८६,२९९ टन उपज हुई ।

(ग) राजस्थान में ३०,००० एकड़ जापानी प्रणाली से चावल होता है ।

(घ) डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अनूपगढ़, कोटा में इस प्रणाली को काम में लाया जाता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जापानी पद्धति से जो काश्त होती है और अपने यहां जो काश्त होती है, इन दोनों के अन्दर सरकार को कुछ अन्तर अनुभव हुआ या नहीं ? क्या उससे कुछ लाभ होता दिखाई दे रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उससे डेफीनिटली लाभ हुआ है, उपज पहले से बढ़ी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

चोरियां

२६७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५७ में लालसोट थाने में कितनी चोरियों की रिपोर्ट्स दर्ज हुईं, उनमें से कितने का माल बरामद हुआ और कितना और बरामद होने की आशा है ?

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस चोरी के मामले में फौरी तफतीश कर माल बरामद करने में असफल रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ४८ चोरियें, जिनमें नकबजनी भी शामिल है, १४०६) रुपयों के मूल्य का माल बरामद हुआ। कितना और बरामद होने की आशा है, यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता ।

(ख) जी नहीं ।

श्री मदनसिंह (दांता) : ४१ चोरियां एक गांव में हुई हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने सवाल पढ़ा नहीं । लालसोट थाने में हुई हैं ।

श्री मदनसिंह : क्या ४८ चोरियें हुई हैं वे सारे राजस्थान में हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष : लालसोट थाने में हुई हैं, यह बताया है न ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि लालसोट थाने में मीणों को बिठा कर थानेदार चोरियां करवाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गलती करते होंगे तो थाने में बुलाता होगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि जिन लोगों को थाने में बुलाता है वे ही लोग आगे जाकर चोर निकलते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : शक-शुबह होता होगा तो थाने में बुला सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कृषि विभाग, अजमेर में गबन

२६८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगस्त, १९५६ में ऑडिट पार्टी ने अजमेर राज्य में वेल सिंकिंग स्कीम का लाखों रुपये का सामान व कृषि विभाग के ट्रकों के स्पेअर पार्ट्स न्यू एन्जिन ऑइल्स आदि का गबन बताया?

(ख) क्या इस रिपोर्ट पर सरकार ने अधिकारियों से जवाब मांगा?

(ग) यदि हां, तो क्या जवाब दिया गया और उसकी क्या कार्यवाही हुई?

(घ) यदि नहीं तो कागज़ कहां हैं, क्या हुआ या हो रहा है?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह, नेक्स्ट।

चिकित्सालय की स्थापना

२६९. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गीजगढ़ कस्बे की छः हजार की आबादी होते हुए भी सरकारी डिस्पेन्सरी वहां क्यों नहीं है?

(ख) क्या सरकार गीजगढ़ में डिस्पेन्सरी खोलने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

श्री भीखाभाई (उपस्वास्थ्य मंत्री) (क) गीजगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय मौजूद है है अतः एलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) फिलहाल योजना के प्रोग्राम के अन्तर्गत नई डिस्पेन्सरियां नहीं खोली जा सकतीं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : डिस्पेन्सरी कितनी आबादी में खोली जाती है?

श्री भीखाभाई : आजकल आबादी का सवाल नहीं ...

एक माननीय सदस्य : महरबानी का सवाल है?

(हंसी)

श्री भीखाभाई : पंच वर्षीय योजना में जहां जहां ब्लॉक खोले जाते हैं वहां एन. ई. एस. प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोले जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : महरबानी का सवाल नहीं है, ब्लॉक खोले जाते हैं। जैसे १४ इस साल ब्लॉक खुले हैं वहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोले जाते हैं.

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार की नीति है कि जहां आयुर्वेदिक औषधालय हों वहां डिस्पेन्सरीज़ नहीं खोली जायं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि गीजगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय मौजूद है अतः डिस्पेन्सरी खोलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, तो इससे तो यही मतलब निकलता है कि जहां आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहां डिस्पेन्सरी खोलने की सरकार की नीति नहीं है, तो मेरा प्रश्न सरकार की नीति के बारे में है; क्या सरकार की ऐसी नीति है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : औषधालय काम कर रहा है और अभी हमारे पास डिस्पेन्सरी खोलने के लिये पैसा नहीं है और दूसरे जहां ब्लॉक्स खोले जाते हैं वहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोलते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कहा गया कि आयुर्वेदिक औषधालय है इसलिये डिस्पेन्सरी खोलने का सवाल उत्पन्न नहीं होता; तो क्या जहां आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहां पर सरकार डिस्पेन्सरीज़ नहीं खोलेगी ?

श्री अध्यक्ष : वह भी एक कारण है नहीं खोलने का।

श्री पी. के. चौधरी : आबादी का क्राइटेरिया आपने रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइमरी, हैल्थ सेंटर तो हर एक ब्लॉक में एक खुलता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिंचाई हेतु कूए के लिए तकावी

२७०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील श्री माधोपुर में ढाणी लूनीवालों की तनपीतमपुरी में छोटू बलाई को सिंचाई हेतु कूए के लिये कोई तकावी दी गई है ?

(२) यदि हां, तो कब व कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि उस व्यक्ति ने अब तक कोई कूआ नहीं बनाया है ?

उप कृषि मन्त्री : (श्री दौलतराम) :

(१) जी हां।

(२) दिनांक ३०-७-५६ को दी गई थी व डेढ़ हजार रुपये दिये गये थे।

(३) माह जनवरी, १९५७ में कूए का काम शुरू कर दिया गया। जिलाधीश सीकर ने इस विभाग को यह सूचना दी है कि यह सही नहीं कहा जा सकता कि ऋण किसी अन्य कार्य में लिया गया, इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कूआ बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी सूचना किससे मिली ?

श्री अध्यक्ष : कहा न कि जिलाधीश से।

नेक्स्ट।

श्री केशर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल, धौलपुर

२७१. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) श्री केसर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल, धौलपुर में कितने स्थान रिक्त (पोस्ट्स वेकेन्ट) हैं व उनकी पूर्ति हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

Page No.11

(श्री बहादुरसिंह)

(ख) उक्त आतुरालय में रोगियों की दैनिक संख्या क्या है ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(क) श्री केसर महारानी मेमोरियल अस्पताल में निम्न स्थान रिक्त हैं :

१. सिविल असिस्टेन्ट सर्जन प्रथमश्रेणी	१
२. स्टाफ नर्स	४
३. मिडवाइफ	३

सिविल असिस्टेन्ट सर्जन प्रथम श्रेणी की जगह के लिये पी. एस. सी. में रिक्वीज़ीशन भेज दिया गया है वहां सेसिलेक्शन होने पर जगह पूरी की जायगी। स्टाफ नर्स व मिडवाइफ की भी ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग पूरी होने पर जगह की पूर्ति की जायगी।

(ख) उक्त अस्पताल में दैनिक रोगियों की संख्या इस प्रकार है :

बाह्य रोगी	१७२ नये व पुराने
अंतः रोगी	४८ नये व पुराने

श्री बहादुरसिंह : यह ट्रेनिंग कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री : यह तो हर साल ट्रेनिंग होती है।

श्री बहादुरसिंह : धौलपुर किनमें से भेजेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो ट्रेनिंग में हैं उन्हीं में से धौलपुर और जहां आवश्यकता है वहां भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लघु सिंचाई योजना

२७२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रान्त में कितना कितना रुपया किस किस जिले में खर्च किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री दौलतराम (उप कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिपाहियों की पदोन्नति

२७३. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर जिले में मौजूदा जिला अधीक्षक, जनरक्षा विभाग के कार्यालय में कितने व्यक्तियों को हैड कॉनिस्टेबिल बनाया गया तथा कितने हैड कॉनिस्टेबिलों को पुनः कॉनिस्टेबिल बना दिया गया है ?

(ख) जो कॉनिस्टेबिल से हैड कॉनिस्टेबिल बनाये गये हैं उनको पदवृद्धि किन किन आधारों पर दी गई है ?

(ग) जिन हैड कॉनिस्टेबिल्स कॉनिस्टेबिल बनाया गया है क्या उनके सन्बन्ध में पुनः विचार किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) दस कॉनिस्टेबिलों को ऑफिशियेटिंग हैड कॉनिस्टेबिल बनाया गया और चार हैड कॉनिस्टेबिलों को रिवर्ट किया गया।

(ख) इनको सीनियोरिटी कम मैरिट के आधार पर पद-वृद्धि दी गई।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ग) तीन व्यक्तियों को अस्थाई रूप से सीमित समय के लिए बतौर पनिशमेंट रिवर्ट किया गया। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें फिर हैड कॉनिस्टेबिल बना दिया जायगा। चौथे व्यक्ति के बारे में स्थान रिक्त होने पर अन्य कॉनिस्टेबिलों के साथ विचार किया जायगा।

श्री बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि ए.स. पी. भरतपुर ने ३०० रुपया लेकर हैड कॉनिस्टेबिल बनाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिलकुल गलत।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जलाशय

२७४. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर जिले के किन किन गांवों में किन किन जलाशयों के कार्यों के लिए अब तक राजस्थान जल सहायता बोर्ड की जिला कमेटी की सिफारिश पर कितने कितने रुपये मन्जूर किये गये तथा प्रत्येक कार्य में अब तक कितनी सरकारी राशि खर्च हो चुकी है ?

(२) उपरोक्त कार्यों में से कौन कौन से सम्पूर्ण हो चुके हैं तथा कौन कौन से अधूरे पड़े हैं व क्यों ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूचियें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) केवल ५१ कामों के अलावा जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं सब कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं।

अपूर्ण इसलिए रह गये हैं कि जल बोर्ड द्वारा और राशि मन्जूर नहीं की गई।

[कृपया (अ, ब, स व द) परिशिष्ट १ देखिये]

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ये काम अपूर्ण इसलिये रहे हैं कि रुपये नहीं मिले ?

श्री अध्यक्ष : वह जवाब मिल चुका है।

श्री भीमसेन : कालासर के लिए ५००० रुपये मन्जूर हुए थे, पर वह काम अधूरा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बहुत से कार्यों में ऐसा हुआ है कि रिक्वायर्ड काम पूरा नहीं हुआ और टाइम नकल गया, इसलिए रुपया नहीं मिला।

श्री भीमसेन : कूओं पर काम बराबर चल रहा है फिर भी रुपया नहीं दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप सूचना दे रहे हैं, इस पर जांच कराई जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : पूरा कराने की क्या व्यवस्था करा रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पूरा कराने की यही व्यवस्था करा रहे हैं कि उनको रुपया दे दिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही हो जायगी, अभी मन्जूरी दी है और आयन्दा २०००० रुपया रखा है।

Page No.13

श्री मोहरसिंह : क्या जल जिला कमेटियों की सिफारिश पर रुपया दिया जाता है या मन्त्री खुद देते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल बोर्ड बने हुए हैं उनके कलेक्टर चेयरमैन हैं, जल समिति भी बही हैं; उनकी सिफारिश से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गल्ला वसूली

२७५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) विकास खण्ड शाहबाद में ऐसे कितने कृषक हैं जिनसे बीज का गल्ला लेना बाकी है?

(ख) उपरोक्त गल्ला कब दिया गया था? क्या इसकी वसूली हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) २३८ कृषकों से गल्ला लेना बाकी है।

(ख) यह गल्ला १९५५–५६ में दिया गया था और नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हो रही है।

श्री रामनारायण वर्मा : तो फिर वसूली में ढिले क्यों हो रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा : ढिले नहीं हो रही है, काम ठीक हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह?

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : प्रश्न संख्या २७६

श्री अध्यक्ष : Yes, he (Shri Jagdish Prasad) has been authorised.

कैदियों की रिहाई

२७६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में): क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि फोर्मर स्टेट्स में जेलों से शुभ अवसरों पर कैदी रिहा करने की प्रथा थी?

(ख) अगर हां, तो क्या राजस्थान बनने के बाद अब तक यह प्रथा जारी है तथा सन् १९४७ से सन् १९५७ तक कितने कितने कैदी किस किस शुभ अवसर पर किस किस जेल से रिहा किये गये?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) रेकार्ड के अभाव में यह प्रमाण सहित नहीं कहा जा सकता कि भूतपूर्व रियासतों में राजस्थान बनने से पूर्व शुभ अवसरों पर बन्दी छोड़े जाते थे और उनके क्या नियम थे, लेकिन यह सर्व विदित है कि लगभग सभी भूतपूर्व रियासतों के राजाओं के जन्म-दिवस जैसे शुभ अवसरों पर बन्दी छोड़े जाते थे।

(ख) यह प्रथा राजस्थान निर्माण के पश्चात् समाप्त की जा चुकी है, किन्तु राजस्थान बनने के पश्चात् केवल प्रथम गणतन्त्र दिवस २६. १. ५० के शुभ अवसर पर और १५. ८. ५७ को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम शताब्दी मनाने के उपलक्ष में बंदियों को छूट प्रदान की गई। कुल १३४२ कैदियों को छोड़ा गया।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ग) राजस्थान निर्माण के बाद यह प्रथा समाप्त कर दी गई है क्योंकि भूतपूर्व रियासतों के शुभ अवसर अब भूतपूर्व शासकों के निजी मामले हो गये हैं।

प्रसूति गृह

२७७. श्री दयाकृष्ण विजय (छेबड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम छीपा बड़ोद (जिला कोटा) में प्रसूति गृह भवन का निर्माण हुए कितना समय हो गया है ?

(२) क्या वहां प्रसूति गृह विधिवत् कार्य करने लगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ग्राम छीपा बड़ोद, जिला कोटा में प्रसूति गृह भवन का निर्माण १९५६ में सम्पन्न हुआ था।

(२) जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद : भवन का निर्माण किसलिये कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बजट में इस प्रकार के प्रसूति गृह खोलने के लिये धन की स्वीकृति नहीं होने के कारण इसे चालू नहीं किया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र आए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

शाहबाद विकास खण्ड के कृषकों को तकावी

२७८. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शाहबाद विकास खंड में ऐसे कितने कृषक हैं जिनको दस हज़ार या दस हज़ार से अधिक रुपये तकावी में सरकार ने दे रखे हैं ?

(ख) तकावी दिये कितना समय हो गया ? क्या इसकी वसूली हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) ऐसे कितने किसान हैं जिनसे अब तक रुपया वसूल नहीं हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) शाहबाद विकास खंड में दस हज़ार या इससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति को तकावी ऋण नहीं दिया गया।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बिजलीघर, बीकानेर

२७९. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या मंत्री बिजली विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर पॉवर हाउस की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है एवं इस नगर की मांग कितनी है तथा मांग को पूरा करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर से सन् १९५१ से १९५६ तक कई डीज़ल एंजिन बाहर ले जाये गये हैं ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(1) Installed Capacity 9270 K. W.
Firm Capacity 4200 K. W.
Maximum Demand 3350 K. W.

बीकानेर के सेट्स बहुत पुराने हैं। चूंकि इस नगर को भाखरा से बिजली मिलेगी इस कारण इन सेट्स को इस समय बदलना उपयुक्त नहीं है।

(२) जी हां। तीन, प्रत्येक ६० के. डब्लु. वाले एन्जिन हिन्डोन, निवाई, व किशनगढ़ लाये गये।

श्री भीमसेन : वे वहां से क्यों हटाये गये ?

श्री भीखाभाई : उस वक्त बिजली की सप्लाई पोज़िशन अच्छी थी और दूसरी जगह एन्जिनों की जरूरत थी, इसीलिये भेज दिये गये।

श्री चन्दनमल वेद : क्या यह सही है कि रेल्वे वालों को जरूरत थी, मगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास (विद्युत मंत्री) : इस प्रकार की जानकारी नहीं है और यह प्रश्न ही दूसरा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि कई कन्ज्यूमर्स की अर्जियें आई हुई थीं, मगर उनको बिजली नहीं दी गई ? आपने यह कहा था कि मांग नहीं थी इसलिए एंजिन दूसरी जगह भेज दिये गये। इसलिए इस प्रकार की कितनी अर्जियें आपके पास आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बहुत पहले की बात होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : यह १९५१-५२ की बात है।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसे कैसे कहा जा सकता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : वहां अर्जियें भी तो होंगी।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बहुत असें की बात है।

श्री भीमसेन : वहां पर रेलवे को बिजली का काम करने के लिये जरूरत थी लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई ?

श्री गिरधारीलाल : बीकानेर में अब भी पक्के कनेक्शन्स दिये जाते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास बहुत कम दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

त० राजगढ़ में जल बोर्ड द्वारा कूओं के निर्माण हेतु दी गई धनराशि

२८८. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजगढ़ तहसील के हसियावास गांव में १९५६-५७ में जल बोर्ड की तरफ से कूआ बनाने के लिये कितनी रकम दी गई थी ?

(२) इस गांव में कुल कितने घर हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस गांव में पहिले से ही दो पक्के कूए तथा अनेक कच्ची कुइयां होते हुए भी तीसरा कूआ और बनवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि जल बोर्ड की तरफ से जो कूआ बनाया गया है उसका पानी खारा है ?

Page No.16

(श्री मोहरसिंह)

(५) क्या यह भी सही है कि उस गांव के निवासियों ने उस जगह पर पानी खारा होने की वजह से वहां कूआ बनाने का विरोध किया था ?

(६) क्या यह भी सही है कि चूरू जिले में कई अन्य जगहों पर भी जल बोर्ड की रकम का इसी तरह दुरूपयोग हुआ है ?

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) ३००० रु० दिये गये थे ।

(२) व (३) इस सम्बन्ध में राजस्थान जल बोर्ड से सूचना मांगी गई पर वहां से कोई इन प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मिली ।

(४) व (५) जिलाधीश चुरू से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(६) दो–तीन स्थानों की जिनकी शिकायतें आई हैं उनकी जांच की जा रही है।

श्री मोहरसिंह : सूचना कब तक मिल जावेगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस समय तो एसेम्बली का अधिवेशन काफी लंबा चलेगा, आपको सूचना मिल जायेगी ।

श्री मोहरसिंह : उसका उत्तर तो मिल जायेगा ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

जोड़ बीड़ में से निकलने वाले आम रास्ते का बन्द किया जाना

२८१. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या वनमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जोड़बीड़ जिला बीकानेर में से निकलने वाले आम रास्ते को खाई द्वारा रोक कर नया रास्ता निकालने की शिकायत ग्रामीणों की ओर से की गई है ? अगर हां, तो सरकार उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

वनमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां । राज्य के खर्चे से एक नया रास्ता बना दिया गया है ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, जो नया रास्ता बताया जाता है वह कोई रास्ता नहीं है, उसमें खड्डे हैं और यह रास्ता गांव जाने में पहले रास्ते से खराब है ।

श्री अध्यक्ष : कागजों में तो बन गया है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन ऊंट उन खड्डों में गिरकर मर गये ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार के सामने ऐसी शिकायत भी आई है कि ऊंट इन खड्डों में गिरकर मर गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऊंट तो कोई खड्डों से मरते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पुलिस लाइन्स, पाली के लिए पानी की व्यवस्था

२८२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री मूलचंद डागा)

(१) पाली शहर में पुलिस लाइन्स के लिए वाटर सप्लाई का क्या प्रबन्ध है ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस लाइन्स को पानी महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली द्वारा दिया जाता है ? यदि हां, तो उसके एवज में सरकार उक्त मिल को क्या देती है ?

गृह मन्त्री : (श्री रामकिशोर व्यास) : उनको पीने का पानी नल के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है।

(२) जी हां। कुछ खर्च नहीं करते।

श्री मूलचन्द डागा : महाराजा श्री उम्मेद मिल्स को क्या दिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं दिया जाता।

श्री मूलचन्द डागा : कितने सालों से यह काम में लिया जाता रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब उनको कोई एतराज नहीं है तो फिर दूसरों को क्या एतराज होना चाहिए ?

मोटर विभाग के मोटर चालकों का साप्ताहिक विश्राम

२८३. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Transport Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the Motor Drivers working on cars etc. in the Government Motor Garage are given no weekly rest ?

(b) Is it also correct that these drivers have no duty rosters and are made to work more than 8 hours per day but no over time allowances are paid to them ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(a) This is not correct.

(b) This is also not correct.

श्री चन्दनमल वेद : जो मिनिस्टरों के साथ ड्राइवर हैं उनको कितने घन्टे काम करना पड़ता है और उनसे कितने घण्टे काम लिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बताया कि उनसे काम लिया जाता है और उनको उसके लिये २० परसेंन्ट अलॉउन्स दिया जाता है।

श्री चन्दनमल वेद : क्या वे अपना ड्युटी के अलावा भी काम देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने सुना नहीं, मैंने बताया कि उनको २० परसेंन्ट अलॉउन्स मिलता है और वे खुशी (वॉलन्टेरिली) से काम करते हैं।

श्री चन्दनमल वेद : अभी आपने बताया कि यह सही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कान खोल कर सुना नहीं।

श्री पी. के. चौधरी : उनको वीकली रेस्ट कितना मिलता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून से जो सबको मिलना चाहिये, वह मिलता है।

श्री पी. के. चौधरी : किस किस को मिलता है ?

Page No.18

श्री नाथूराम मिर्धा : हर एक को मिलता है।

श्री पी. के. चौधरी : हरएक ने रेस्ट बराबर किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर किया है।

श्री पी. के. चौधरी : इसके लिए क्या ड्युटी रजिस्टर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : छुट्टियों का रजिस्टर होता है।

श्री पी. के. चौधरी : ड्युटी रजिस्टर और छुट्टियों का रजिस्टर अलग अलग होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वीकली होलिडेज़ का रजिस्टर होता हैं।

श्री पी. के. चौधरी : उनसे कितने घंटे काम लिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ८ घंटे काम करते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : कब से कब तक। कितने बैचेज़ हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बैचेज़ का प्रश्न अलग से हैं। कितने बैचेज़ हैं, मैं नम्बर नोट करके लाया हूँ क्या ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

२८४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर, पाली के खिलाफ कोई शिकायत सरकार के पास दिसम्बर, सन् १९५७ में आई ? अगर आई, तो उसकी जांच हुई या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी हां और उस पर जांच की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : जांच करने के लिये किसके पास भेजी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : इसकी पी. एम. ओ. जोधपुर जांच कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह शिकायत क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक लेबर था उसका ट्रीटमेंट नहीं किया।

बंदियों को धार्मिक शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था

२८५. **श्री तनसिंह** : (बाड़मेर) क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५० से अब तक जेलों में बंदियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के लिये क्या किसी को निमंत्रित किया गया था ?

(२) यदि हां, तो वे लोग कौन कौन थे ? उन्होंने किस किस जेल में कब कब भाषण दिया और उस पर मार्ग-व्यय भत्ता अथवा वेतन का प्रति व्यक्ति कितना कितना खर्चा सरकार द्वारा किया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। कोई खर्च नहीं हुआ।

(२) सूची इस प्रकार है :

(श्री रामकिशोर व्यास)

Date of lecture.	Name of persons who delivered Lectures.
	Central Jail, Jodhpur.
2-10-53 (Gandhi Jayanti)	Shri J. N. Asopa. M. A. L.L. B.,Lecturer, Inter College, Bhilwara. Shri R. V. Kumbhare, M. A. T, D., Principal, S. M. K. College, Jodhpur.
2-10-53. (Gandhi Jayanti)	Shri Chiman Lal Arya, Local man. Shri Gayani Labh Singh, " "
26-1-54. (Republic Day)	Shri Deo Kishan, Local man.
5-1-55. (Jail Conference)	Shri R. K. Vyas, Home Minister, Rajasthan, Jaipur.
30-4-55 (Rajasthan) Day.	Shri A. P. Gaur of Education Department.
2-10-55(Gandhi Jayanti)	Shri Gajraj Singh, Director of Education, Rajasthan.
26-12-56 (Visit)	Shri J. P. Pankal, Head of Deptt. of Criminology, Juvenile, Delinquency and Correctional Administration of Tata Institute of Social, Science, Bombay.
	Central Jail, Jaipur.
27-8-54 (Official Tour)	Shri J. P. Gupta, National Correspondent to the U. N., New Delhi.
26-1-55 (Republic Day)	Shri Pandharkarm M. A. St. Xavier High School, Jaipur.
	Model Jail, Ajmer.
Since 1-2-56 On every Sunday.	Shri R .S. Chhabra, Mayo Link Road Ajmer.
	District Jail Alwar.
26-1-54 (Independence Day)	Shri Shobha Ram, M. P.
	District Jail, Ganganagar,
1956	Shri Bardulla Singh Jhin, Village Social Worker.

श्री पी० के० चौधरी : क्या रेगुलर वीकली विज़ीट देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेशल ओके-ज़न्स पर कोई आता है तो देते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : इस प्रश्न का एक हिस्सा रह गया है वह यह है कि उन पर मार्ग–व्यय भत्ता अथवा वेतन का प्रति व्यक्ति कितना कितना खर्चा सरकार द्वारा किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : अजी, मैंने अर्ज किया कोई खर्चा नहीं किया।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : यहां कौन से धर्म का प्रचार होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सर्व धर्म की नैतिक शिक्षा का।

श्री मदनसिंह : सरकार ने इसको किस अधिकार पर माना ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भानसिंह : Which was the subject dealt with by Mr. R. K. Vyas ?

श्री रामकिशोर व्यास : General.

श्री पी० के० चौधरी: Not 'naitik' ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

बस सर्विस

२८६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गंगापुर से गढ़ खेड़ा तक जो कि एक दूसरे से २६ मील के अन्तर पर स्थित है, कोई बस सर्विस चालू है ?

(ख) क्या गढ़ खेड़ा की जनता की ओर से बस सर्विस हेतु सम्बन्धित विभागों में कोई प्रार्थना पत्र आये थे ? यदि हां, तो कब और कितनी दफा ?

(ग) क्या सरकार जनता की सुविधा हेतु यह बस सर्विस चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक चालू हो जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा):

(क) नहीं।

(ख) जनता की सुविधा के लिए इस मार्ग पर बस सर्विस चलाने का प्रश्न आर. टी. ओ. के विचाराधीन है।

(ग) हां, दिसम्बर १६५७ में प्राप्त हुए थे।

(घ) आगामी आर. टी. ओ. की मीटिंग में विचार किया जायेगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि पांच-सात दरख्वास्तें दी गई लेकिन अभी तक कोई ख्याल नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा था कि दरख्वास्तें आयी हैं और इस पर आर. टी. ओ. की आगामी मीटिंग में विचार करेंगे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जबकि विचार करना चाहते हैं, तो लोगों को काफी तकलीफ होती है, कोर्ट में आना जाना पड़ता है, इस लिए जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको सरकार कोई डाइरेक्शन नहीं दे सकती क्योंकि यह अपनी खुद ही कानूनदां हैसियत रखने वाली बोडी है और उसके अधीन मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

अल्प आय भवन निर्माण योजना

२८७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीकानेर नगरपालिका को लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के तहत कोई ऋण दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो कब, कितना और किस ब्याज पर ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (१) जी हां।

(२) चार लाख रुपये का ऋण मार्च, १९५६ में ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या इस प्रकार के मकान बन चुके ?

श्री पूनमचन्द : नहीं बने।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द : वहां पर जमीन अलॉट होना था वह म्युनिसिपैलिटी वाले अलॉट नहीं कर सके।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री पूनमचन्द : म्युनिसिपैलिटी से और अर्बन इम्प्रूवमेंट से कह दिया गया है कि हरिजनों को जमीन अलॉट कर दी जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक कर दी जावेगी ?

श्री पूनमचन्द : यह तो उनके ऊपर निर्भर है !

श्री पी० के० चौधरी : क्या रुपया म्युनिसिपैलिटी के पास है या इन्डीविजुअल्स को दे दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द : म्युनिसिपैलिटी के पास है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : बीकानेर बैंक में जमा है और २ पर्सेन्ट ब्याज मिलता है।

गङ्गा थियेटर, बीकानेर

२८८. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गंगा थियेटर, बीकानेर कब से बन्द पड़ा है ?

(ख) इस थियेटर पर सरकार की कितनी धनराशि लगी है तथा इससे सरकार को नफा रहा या घाटा ?

(ग) क्या इस थियेटर को अब पुनः चलाने की कोई योजना है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री, गृहमन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) बीकानेर गंगा थियेटर दिनांक १० दिसम्बर सन् १९५५ से बन्द है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ख) इस थियेटर पर निर्माण विभाग (पी. डब्ल्यू. डी.) के रेकार्ड के अनुसार कुल लागत रु. ३, २३, ०७२- ३- ६ की है।

(ग) इस थियेटर से सरकार को घाटा रहा जैसे सन् १६५४-५५ में २४, ३५६- ५-० का घाटा, सन् १६५५-५६ में ३७, ५६१-२-० का घाटा।

(घ-ङ) अब पुनः इस थियेटर को चलाने की योजना है। यह थियेटर पांच साल के लिए ठेके पर देने के हेतु कार्यवाही चालू है। ठेके की बोली दिनांक ८ मार्च सन् १६५८ मुकर्रर की गई जिसके विषय में अखबारों आदि में सूचना प्रकाशित की जा चुकी है।

श्री पी० के० चौधरी : घाटा होने के कारण क्या सरकार ने तलाश किये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिनेमा देखने आये नहीं, टिकट कम बिके।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि घाटा होने के कारण इसको गवर्नमेन्ट की ओर से चलाया जावेगा और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे इस थियेटर के मैनेजर रहेंगे ? क्या यह बात सही है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आपने अपने दिमाग से मनघढ़ंत कहानी कही है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि इस थियेटर के कारण से, इसकी जो आमदनी होती थी उससे बीकानेर होस्पिटल का खर्चा निकलता था, लाखों रुपया इस अस्पताल को दिया जाता था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह जानकारी दे रहे हैं, मुझे यह जानकारी नहीं।

श्री तनसिंह : अभी यह कहा गया है कि पब्लिक टिकिट खरीद कर देखने नहीं आयी, सो क्या इसकी कोई जांच की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आमदनी कम हुई और खर्चा अधिक हुआ। टिकिट कम बिके।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात नहीं हुई कि आमदनी कम हुई। यह भी हो सकता है, कि जो दूसरे कम्पीटिटर्स थे वे उसके मैनेजर को घूंस देकर इसमें रद्दी फिल्म मंगाने के कारण से आमदनी कम हुई हो, तो क्या इसकी जांच कराई गई या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये तो आप अपने क्यास लगा रहे हैं।

श्री भीमसेन : दूसरे सिनेमाओं के कारण प्रोफिट नहीं हुआ इस वजह से बन्द कर दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे सिनेमा की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भीमसेन : दूसरे लोगों के मंगाने से यहां प्रोफिट नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : थियेटर जो पांच साल के लिए दिया जा रहा है तो मशीन भी साथ ही दी जा रही है या अलग ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह लीज़ पर दी जा रही है।

Page No.23

श्री मुरलीधर व्यास : मशीन लीज़ पर दी जा रही है, यह बिलकुल सत्य है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह अखबार में निकाला गया है; मुझे शर्तें इस समय याद नहीं हैं कि किन किन टर्म्स और कन्डीशन्स पर देना चाहिए । आप देख लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मशीन लीज़ पर दी नहीं जा रही है किन्तु बेची जा रही है । क्या लीज़ पर दी जा रही है यह आपको मालूम है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे इसके सम्बन्ध में पूरा मालूम नहीं है ।

श्री पी. के. चौधरी : इसको चलाने के चार्ज़ेज.......

श्री अध्यक्ष : It is not being done, it has been closed since long

श्री चन्दनमल वेद : इस थियेटर के मेन्टीनेन्स और सुपरवाइज़री स्टाफ पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लीज़ पर है !

श्री चन्दनमल वेद : मेरा प्रश्न यह है कि इस थियेटर के मेन्टीनेन्स और सुपरवाइज़री स्टाफ पर क्या सालाना खर्चा होता रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एक अलग प्रश्न है । इस मुझे समय मालूम नहीं कि मेन्टीनेन्स और सुपरवाइज़री स्टाफ पर कितना खर्चा होता है । नोटिस दें तो जवाब दे सकता हूं ।

श्री चन्दमल वेद : तीन साल तक जब यह बंद पड़ा रहा तो इसको पहले लीज़ पर देने का विचार क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारा प्रोसिज़र यह होता है कि क्या करें, किस तरह लीज़ पर दें, क्या टर्म्स हों । अलग अलग महकमों में घूमता रहा ।

श्रीअध्यक्ष : नेक्स्ट् ।

पच पहाड़ से गंगधार तक सड़क निर्माण

२८६. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झालावाड़ जिले में पच पहाड़ से गंगधार तक कितनी मील लम्बी सड़क है ?

(ख) इस सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति सर्व प्रथम किस वर्ष में दी गई और कार्य किस वर्ष में आरम्भ हुआ ?

(ग) अब तक इस सड़क का कितना भाग बन चुका है और कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

(घ) इस कार्य में अब तक कम प्रगति का कारण क्या है ?

(ङ) यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) ५२ मील ।

(ख) १९४७–४८. ।

(ग) ८ मील और लगभग १,००,०००) रु० ।

(घ) उचित रेट्स पर टेन्डर प्राप्त नहीं हो सके ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ङ) आशा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक के अन्त तक।

श्री पी. के. चौधरी : एन्युअल प्रोग्रेस कितने माइल हुई?

श्री नाथूराम मिर्धा : Mileage started from mile 30 from Pachpahar and ending at mile 82 at Gangdhar. The estimates for the construction of this road-52 miles in length was originally sanctioned for Rs. 8,54,040 by the then Jhalawar Government and the work was taken in hand in the year 1947-48 by the former Jhalawar Government. It remained in progress till the year 1950 after which the work was stopped for want of funds. A sum of Rs. fifty thousands was subsequently sanctioned in the year 1951 and the work of mile 74 to 79 (5 miles and 4 flgs.) was completed during the years 1951-52 and 1952-53. A provision of Rs. one lac was subequently approved in the First Five Year Plan during the year 1952-53. Out of this sanctioned amount, a sum of Rs. 45,730 was spent and miles 72 to 74 were completed thus making a total of eight miles. The tenders for the remaining road from miles 66 to 71 were invited for fifteen times but could not be sanctioned as the trend of the tenders was high. Now the tender has been sanctioned and the work is in progress since November, 1957 This work of mile 66 to 71 is likely to be completed by the next rainy season and tenders are being invited from mile 30 to 66. There is a provision of Rs. 9,78,000 for construction of this road in the Second Five Year Plan and it is phased to be completed during the Second Plan period. The main difficulty in the construction of this road is that no contractors are coming forward to take up the work on reasonable rates. Efforts are, however, being made to complete as much of the work as possible.

नगरपालिका सीकर

२६०. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीमकाथाना) क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सीकर नगरपालिका द्वारा गत जुलाई में अति वर्षा से उत्पन्न संकट में नगर के लिये सहायता कार्य किया गया?

(२) क्या इस स्थिति का विवरण कलेक्टर द्वारा सरकार को दिया गया था? यदि हां तो, उस पर सरकार ने क्या निश्चय किया?

(३) क्या सरकार निकट भविष्य में इस संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है?

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जी हां।

(२) जी हां। सरकार ने राहत पहुंचाने के लिये २०,००० रुपये मकान आदि की मरम्मत हेतु ऋण तथा २,००० रूपये सहाय-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तार्थ मुख्य मंत्री फन्ड में से जिलाधीश को स्वीकृत किये थे। ७०० रुपये जिला बोर्ड द्वारा भी सहायतार्थ प्रदान किए गए।

-(३) जी हां। सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर हैल्थ को नगर की ड्रेनेज़ योजना बनाने का आदेश दिया गया है। योजना आने पर आगे कार्यवाही की जावेगी। नगरपालिका तथा जिला अधिकारियों को आदेश दिये जा रहे हैं कि जब तक योजना न बने वे चालू नाले को ठीक स्थिति में रखें व नीची सतह के स्थानों को यथासंभव भरवाने की कोशिश करें।

खाद्यान्न उत्पादन

२६१. श्री सतीशचन्द्र (जोहरी बाजार, जयपुर) क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में इस वर्ष कितनी प्रगति हुई है तथा इस संबन्ध में सरकार की भावी योजनायें क्या हैं ?

(२) खाद्यान्न के अभाव को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार मृत्युभोज यानी मोसरों पर पाबन्दी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या आयोजना बोर्ड ने भी इस प्रकार की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री उपकृषि मंत्री (श्री दौलतराम) :

(१) राजस्थान के कृषि विभाग राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और सामुदायिक विकास खंडों में १९५६-५७ में जो आय हुई उनमें ४०,००० टन के अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है। इस वर्ष का लक्ष्य एक लाख पांच हजार टन का रखा गया है।

इस संबन्ध में सिंचाई साधनों में वृद्धि, उन्नत बीज वितरण, भूमि सुधार, हरी खाद व गोबर कचरे की खाद को प्रोत्साहन देना, रसायनिक खाद को प्रोत्साहन देना, तथा खेती की रीति में सुधार सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा, उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) सम्बन्ध नहीं रखता।

(३) सम्बन्ध नहीं रखता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

सिंचाई हेतु ली गई जमीनों का मुआवजा

२६२. श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रीछेड़ तहसील कुंभलगढ़ के पास नाड़ेवा का तालाब कब बना ?

(ख) उक्त तालाब में किन किन लोगों की कितनी कितनी जमीन डूबी तथा उन्हें उक्त डूबी हुई जमीन का मुआवजा दिया गया या नहीं ?

(ग) ऐसी कितने मामले राज्य सरकार के ध्यान में हैं कि जिसका मुआवजा अब तक नहीं चुकाया गया है और न चुकाने अथवा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(क) नाड़ेवा तालाब का कार्य मई १९५३ में शुरू किया और मई १९५५ में समाप्त हुआ।

Page No.26

(श्री भीखाभाई)

(ख) गांव वालों ने जिनकी ज़मीन डूब में आती थीं मुआवजा न लेने का वायदा किया था इस कारण इसका रिकार्ड नहीं रखा गया।

(ग) ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है कि जिसका मुआवजा देना था और कार्यवाही न हुई हो। मुआवजे की रकम तय होने में जो समय लगता है उतना विलंब अनिवार्य है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है जिन लोगों की जमीन डूब में नहीं आयी किन्तु उनकी ज़मीन से मिट्टी खोदकर तालाब की पाल पर डाली गई थी? क्या उनको मुआवजा देने का वादा नहीं किया था!

श्री भीखाभाई : यह तो आप जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी एकत्रित नहीं की गई।

एक माननीय सदस्य : जानकारी क्यों नहीं की गई?

श्री भीखाभाई : इसलिये कि चाही नहीं गई।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है कि कुछ लोगों को मुआवजा देने के लिये कार्यवाही शुरू की गई थी लेकिन इस पर कलेक्टर महोदय ने यह कहा कि इनके बारे किसी प्रकार के टर्म्स तय नहीं किये गये इसलिये मुआवजा नहीं दिया गया?

श्री भीखाभाई : एक कूए का सवाल है। सभी गांव वालों ने कोई मुआवजा नहीं मांगा ख़ास तौर से एक कूए वाले ने जिसका कूआ डूब में आया, यह कहा कि या तो उसको मुफ्त पिलाई की सुविधा दी जावे नहीं तो मुझे मुआवजा दिया जाय इस पर डिपाटमेन्ट ने इन्कार कर दिया।

श्री मनोहर कोठारी : कूए वाले के सिवाय और किसी की मुआवजे की दरख्वास्त नहीं आयी?

श्री भीखाभाई : नाम तो मेरे पास नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : कूए के अलावा किसी का नाम मुआवजा देने में अभी नहीं आया क्या?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं, मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : यह इर्रिगेशन टैन्क था या ड्रिंकिंग वाटर टैंक?

श्री भीखाभाई : इर्रिगेशन टैंक।

श्री मनोहर कोठारी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि मुआवजा नहीं देने का जो निश्चय किया उसके लिये गांव वालों ने लिख कर दिया था कि हम मुआवजा नहीं लेगें?

श्री भीखाभाई : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह तालाब पंचवर्षीय योजना काल में बना उस समय मुआवजा देने का सवाल नहीं था।

श्री मनोहर कोठारी : क्या जनता ने उस समय यह लिखकर दिया था कि हम मुआवजा नहीं लेगें?

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई-मंत्री) : जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी, उस समय इस गांव वालों

(श्री रामकिशोर व्यास)

ने गवर्नमेन्ट के पास एप्रोच किया और कहा कि अगर आप तालाब बनाते हैं तो जो जमीन इसके डूब में आयगी उसका मुआवजा हम किसी प्रकार का नहीं लेंगे और इसी बेसिस पर यह तालाब बनाया गया था।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आपने इस बात का निश्चय कर लिया था कि इस प्रकार मुआवजा न लेने की जो बात कह रहे हैं क्या वे सब उसी गांव के रहने वाले हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : गांव वालों के कहने पर ही तो किया गया।

श्री मनोहर कोठारी : तो जो केसेज़ मुआवजे देने के पेंडिंग हैं उनको मुआवजा देने का सरकार विचार रखती है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

खातीपुरा से सिरसी तक सड़क निर्माण

२६३. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर) : क्या मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर के पास खातीपुरा से सिरसी तक एक सड़क का टुकड़ा बनाये जाने की योजना थी ?

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मील तक सड़क बनाई गई ?

(ग) उपरोक्त सड़क का ठेका कब व किसको दिया गया और अब तक सड़क नहीं बनाये जाने का क्या कारण है ?

(घ) अब सड़क का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) लगभग आधी मील।

(ग) रेखण अलाइन्मेन्ट परिवर्तन के कारण १७-११-५४ को।

(घ) संभवत: अगले वर्ष के अन्त तक।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह कितने मील लम्बी सड़क का टुकड़ा बनाया गया और टेन्डर्स कब कब कॉल किये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पांच मील का टुकड़ा है इसके लिए कई दफा टेन्डर्स कॉल हुए, कई दफा हाई रेट्स आयीं, रिअलाइन्मेन्ट हो गया फिर टाइम निकल गया, दो तीन बार टेन्डर्स इन्वाइट किये गये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय मेहरबानी करके यह बताने की कृपा करेंगे, कब कब और किस किस ठेकेदार के टेन्डर आये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां तो मेरे पास तारीख मौजूद है आप लिख लीजिये– १४-२-५१, २१-६-५४, १८-२-५८।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : लास्ट टेन्डर कब कॉल किया गया और आधा मील सड़क बना कर उसे क्यों रोक दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सम्भवतः अगले वर्ष के अन्त तक खत्म करने की कोशिश करेंगे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आपने डेट ऑफ कम्प्लीशन क्या रखा था ?

Page No.28

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, अगले वर्ष के अन्त में खत्म कर दिया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आप यह बतलाइये कि डेट ऑफ कम्प्लीशन आपने क्या रखा था ? पी० डब्ल्यु० डी० के जो कायदे हैं उसकी जानकारी मैं भी रखता हूँ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो टेन्डर्स फाइनल हुए ही नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो फिर आधा मील सड़क का टुकड़ा कैसे बन गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक कन्ट्राक्टर को काम दिया गया था उसने इतना टुकड़ा बना कर छोड़ दिया था। क्योंकि अलाइनमेंट की वजह से उसने काम बन्द कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही में पंचायतें

२६४. **श्रीमोहब्बतसिंह** : Will the Minister for Local Self Goverment be pleased to state:

(a) What area in Sirohi Tehsil is not covered by the Panchayats ?

(b) Is it a fact that Sendrath Panchayt in Sirohi district has not been formed so far ? If so, why ?

उप स्वायत्त शासनमन्त्री (श्री दौलतराम) : सिरोही तहसील में कोई भी ऐसा ग्राम नहीं है जो किसी पंचायत में लगाने से छूटा हुआ हो।

पंचायत सिन्द्रथ के दो वार्डों का अभी तक चुनाव हुआ है। चार वार्डों का चुनाव शेष है। इस चुनाव के हेतु दिनांक ३१-१-५६, ३०-५-५६, ७-६-५६ व ४-१२-५६ को प्रयास किया गया। कलेक्टर सिरोही द्वारा निर्वाचन अधिकारी नियत कराया जा चुका है। लेकिन वहां की जनता चुनाव में भाग लेने ही नहीं पाई। अतः इस पंचायत का मुख्य स्थान अन्य गांव में बदलने की कार्यवाही की जा रही है ताकि चुनाव सुगमता से करवाया जा सके।

श्री मोहब्बतसिंह : यह कार्यवाही कब से जारी है और कब समाप्त होगी ?

श्री दौलतराम : यह कार्यवाही जब से चुनाव नहीं हुए तब से जारी है।

श्री मोहब्बतसिंह : कब समाप्त होगी ?

श्री दौलतराम : मुख्य पंचायत अधिकारी ने यह प्रस्ताव पास किया है।

श्री मोहब्बतसिंह : इसी प्रकार का जवाब गत सेशन में भी दिया गया था, उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री दौलतराम : शीघ्र ही प्रगति करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६५

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

बृहस्पतिवार, १३ फरवरी, १९५८ का स्थगित प्रश्न

बीजों का क्रय तथा वितरण

८६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे :

(श्री बेनाराम)

(क) जिला कृषि अधिकारी, पाली ने सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना कितना सन का बीज व किस किस भाव से, कहां कहां से कब कब खरीदा ?

(ख) उपरोक्त बीज कौन कौन सी तहसील में कितना कितना तथा किस किस भाव से दिया गया ?

(ग) उस समय बाजार में इसका क्या भाव था ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम) : (क) सन् १९५६-५७ में सन का बीज ३३७ मन ३९ सेर १० रु० प्रति मन के भाव से रानी मन्डी जिला पाली से खरीदा गया। सन् १९५७-५८ में सन का बीज नहीं खरीदा गया।

(ख) उपरोक्त बीज निम्नलिखित तहसीलों में दिया गया।

तहसील	दिया गया	भाव पर
१. पाली	४२ मन २ सेर	११॥
२. बाली	१५९ मन ३७ सेर	११॥≈
३. देसुरी	४७ मन २० सेर	११॥
४. खारची	१८ मन ३८ सेर	११॥
५. सोजत	११ मन	११॥
६. जैतारन रायपुर	२० मन	११॥≈

(ग) उस समय बाजार में १० रु० से १३ रु० प्रति मन का भाव था।

श्री तेजाराम : तो बाजार भाव से कम देने में सरकार का क्या अभिप्राय है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : दस से तेरह का भाव था और हमने साढ़े ग्यारह में दिया।

श्री तेजाराम : सरकार ने दस में खरीदा और साढ़े ग्यारह में क्यों बेचा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खर्चा भी कुछ उस पर पड़ता है, लाने ले जाने का।

श्री तेजाराम : सरकार की बीज–वितरण की क्या नीति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो लाभ और न नुकसान।

श्री तेजाराम : नो लौस नो प्रोफिट में किन किन खर्चों को जोड़ते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न पूछेंगे तो, कितनी बोरियों का जोड़ते हैं, कितना लाने ले जाने का जोड़ते हैं, यह सब बता देंगे।

१२.१२ म० प०

मंत्री मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए, अब अविश्वास का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है उस पर बहस जारी रहगी।

कल जो भाषण हुए, बहुत लम्बे थे और कई माननीय सदस्य अब भी ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं। इसलिये आधे घण्टे से ज्यादा कोई भाषण नहीं होगा।

श्री परसराम जो बोल रहे थे वे पन्द्रह मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : Sir, I request the Chair that this is a

(राजा श्री मानसिंह)

very important matter and that the House should sit one hour longer to fully discuss the matter.

अनेक माननीय सदस्य : No, no.

श्री अध्यक्ष : I don't think enough time has been allotted for this and I don't think the House should sit any longer than 5 P. M.

श्री परसराम (ओसियां) : (पूर्व क्रम से) अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने रक्खा। वे अब समय चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई कारण नहीं बताये कि जिससे किसी को अविश्वास हो गया हो, यह मालूम पड़ सके।

उन्होंने पुलिस अफसरों के ट्रान्सफर के बारे में और एम्बेज़लमेन्ट के बारे में बातें कहीं, जिनका जबाब कल मैंने दिया था।

इसके अलावा पंचायत सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मन्त्री के आने में उनकी विजिट पर कितना खर्च हुआ यह उन्होंने मांगा। मैं बता देना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हिन्दुस्तान के ही नहीं, पर इस संसार के बहुत बड़े नेता हैं। ऐसे व्यक्ति जहां कहीं जाते हैं, वहां सरकार का खर्चा होना लाजिमी है। सिक्योरिटी का माकूल इन्तजाम करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रश्न पूछने का कोई मूलभूत नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं है, हां, प्रश्न पूछने के नाते पूछ सकते हैं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि एट दी एण्ड ऑफ दी इयर डिपार्टमेन्ट स्वीकृत रकम खर्च नहीं कर पाते और वह लैप्स हो जाती है। मैं बता देना चाहता हूं, मैं पी. ए. सी. में बैठता हूं और वहां जो देखने में आता है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब एक फी सदी भी ऐसे केस नहीं रहे। आपने सन् ५१ की रिपोर्ट पढ़ी होगी। पर अब ५६-५७ की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली है। उसको आप देखेंगे तो यह मालूम हो जायगा।

राजा श्री मानसिंह : We have not got that report.

श्री परसराम : ५४-५५, ५५-५६ की मिल गई है, तो ठीक है। इसके मुतल्लिक अब फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने एक सर्क्युलर निकाल कर सब को हिदायत कर दी है कि कोई भी रकम इस तरह से न रक्खी जाय जिसका दुरुपयोग हो।

तो जो कारण उन्होंने पेश किये उनमें से एक भी ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जिनके कारण से सरकार पर अविश्वास पैदा हो गया हो।

श्री माधोपुर से आने वाले जनसंघ के माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे की बातें प्रस्तुत कीं और उन्होंने खास तौर से तीन बातें रक्खीं। प्रशासन के मुतल्लिक सरकार की इन्डस्ट्रियल पॉलिसी और एज्युकेशनल पॉलिसी के मुतल्लिक। पहले इसके कि मैं इन का आगे जवाब दूं मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी के वे सदस्य हैं उस पार्टी की राजस्थान के स्तर पर ही नहीं हिन्दुस्तान के स्तर पर एक मूलभूत नीति है। उनकी नीति हमारी कांग्रेस की नीति से मेल नहीं खाती। हमारी पार्टी की नीति में उनकी पार्टी को विश्वास नहीं है। हमारा जो बुनियादी अंग है, प्रजातन्त्र उसमें भी उनको विश्वास नहीं है।

Page No.31

श्री मदनसिंह : यह गलत बात है।

श्री परसराम : जिस तरह की सेकुलर स्टेट हम चाहते हैं उसमें भी उनको विश्वास नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, में अपने अनुमानों से परे जो एक सफलता हमने प्राप्त की है, उसमें भी इनको यकीन नहीं है। इसके बाद दूसरी योजना है, हर विकास के क्षेत्र में क्या क्या किया जाने वाला है और विगत दो सालों में जो हमने आशातीत प्रगति की है उसमें भी उनको विश्वास नहीं है। इसके आगे सारे देश में जो एक अल्प बचत योजना चल रही है उसमें भी उनको विश्वास नहीं है। उनका विश्वास तो उनके विचार का कोई रामराज्य होगा जो हर–हर महादेव का नारा लगाता हो, उसमें है।

श्री मदनसिंह : बिलकुल है।

श्री परसराम : फिर मैं ऐसी हालत में नम्रता पूर्वक यही निवेदन कर सकता हूं कि आपके और हमारे सोचने के तरीके अलग अलग हैं। हमारा विश्वास समाजवादी समाज रचना में है और यही हमारा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है भारतीय संस्कृति का कोई रामराज्य। आप आदमी को ज्यादा महत्व देते हैं तो हमारा आपका यह बुनियादी महत्व का मतभेद है। ये मतभेद पूरे देश में हैं और आपको इसका जवाब यहां सदन में देने की हम आवश्यकता महसूस नहीं करते। जनता ने आपको बाहर इसका जवाब दे दिया है।

दांता–रामगढ़ से पधारने वाले माननीय सदस्य ने कल जनता का नाम ले ले कर बड़ी बड़ी बातें कहीं। उनके भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि आपके १९ आदमी हैं जिनमें कोई चार हज़ार अधिक मतों से जीता है, तो आप कहते हैं हम तो चार-चार हजार अधिक मतों से जीते हैं और हम पांच-पांच, दस-दस मतों की अधिकता से और यह भी कहते हैं आप कि अगर जनता को इजाजत होगी तो लाखों की तादाद में यहां आ सकते हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि जब आप जनता की बात करते हैं तो हम ११९ नही हैं, बल्कि राजस्थान के २/३ हिस्से से अधिक की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप चार हजार के डिफरेन्स की बात करते हैं इसके लिये मैं कहूंगा कि आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, राजस्थान की रिपोर्ट देखें, उसमें पर्सेन्टेज़ दिया है। उस पर मैं कह सकता हूं कि पहले २५ आदमी कांग्रेसी है जो तेरह तेरह हजार वोटों से जीते थे, तो कोई कितनी ही हजार अधिक मतों से जीते हैं। तो पहले ऐसे २५ आदमी कांग्रेस पार्टी के हैं।

श्री मदनसिंह : राजाओं की मदद लेकर।

(हंसी)

श्री परसराम : इसलिए यह कह देना कि जनता में आज सरकार के प्रति बहुत बड़ा अविश्वास पैदा हो गया है या हम जनता के रिप्रेज़ेन्टेटिव नहीं हैं।

श्री मदन सिंह : यह नहीं कहा हमने।

श्री परसराम : सही नहीं है। हां, मैं इतना कह सकता हूं कि न आप जनता के प्रतिनिधि हैं और न जनता के सेवक। आप प्रतिनिधि हैं जनसंघ के, सेवक हैं जनसंघ के। इसलिए जो चश्मा आप पर लगा है उससे आप सब चीज़ देखते हैं। उन्होंने नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य पर कुछ आरोप लगाये और यहां तक कहा कि ऐसे भिखमंगे अजमेर की गलियों में फिरते हैं। आश्चर्य हुआ यह सुन कर, उन राजर्षि कहे

(श्री परसराम)

जाने वालों के मुख से सुन कर, जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक अपने आपको समझते हैं, जो बड़े-बड़े वेद–पुराणों की बातें करते हैं।

श्री मदन सिंह (दांता) : हमें तो बड़ी खुशी होती है गलियों में फिरने से, आपको क्या दुःख हुआ ?

श्री परसराम : Sir, the member be asked to maintain order in the House, He has no right to interrupt me, and if he has got any point of order he should stand up and say that he has got a point of order. It is against democracy and parliamentary procedure.

श्री मदनसिंह : उनको बताइये, मुझे क्या कह रहे हैं ?

श्री परसराम : इसके लिए मेरे कहने से आपके चेहरे पर असर पड़ रहा है, मेरी भावना ऊंची हैं और मैं कह रहा हूं। मैं इस स्तर पर कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं। सदन के सदस्य की हैसियत से जो मुझे ईमानदारी से फौलो करना चाहिये वह करता हूं और वही कहता हूं। जो बातें जनसंघ के माननीय सदस्य ने यहां रखीं उनमें उन्होंने ख़ासतौर से यह कहा था कि मैं तो कॉन्क्रीट बातें रखना चाहता हूं और उन कॉन्क्रीट बातों की भूल भुलैया में पड़कर जो सब से पहले बात इस सदन के सामने रखी वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स के बारे में रखी। मैं कल हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स की ही चर्चा कर रहा था जिस समय कि यहां डिबेट में बोलते हुए मुझे बैठने की आज्ञा उपाध्यक्ष महोदय ने दी थी और उस समय हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात की कोशिश की कहने की कि जितने भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं टैकनीकल्स हैंड्स नहीं हैं और उनके टैकनीकल हैंड्स नहीं होने की वजह से जिस तरह से इन डिपार्टमेंट्स का काम चलना चाहिएं वह नहीं चलता है और क्योंकि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स टेक्नीकल हैंड्स नहीं हैं इसलिए जो प्रशासन में बहुत बड़ी गड़बड़ है उसकी वजह से सरकार प्रशासन के मामले में फेल हो गई है और इसीलिए अविश्वास का प्रस्ताव है। उनकी बातों में मुझे दो बातें नजर आती हैं। एक तो यह थी कि कुछ हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स से वह राजी थे और उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता था कि या तो वह चाहते थे कि जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स इस समय काम कर रहे हैं मेरे ऐसा कहने से उनका ट्रांसफर हो जाय, तो शायद है उनका भी काम बन जायेगा और शायद कुछ हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स उनसे मिले होंगे या उन्होंने वहां नहीं रहने की जानकारी दी होगी। अब कुछ ऐसे हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स हो सकते हैं कि जिनसे वह राजी नहीं हैं, इनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। मैं वैसे सब हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट् को नहीं जानता लेकिन एक दो से मेरी जानकारी है और वह इसलिए है कि मेरा सम्पर्क अधिकतर किसानों से है, एक जनसेवक होने की हैसियत से और जो खेतीबाड़ी के डाइरेक्टर हैं उनसे मेरी जानकारी है। उनके बारे में उन्होंने कहा कि वह टेक्नीकल हैंड नहीं हैं। लेकिन जहां तक टेक्नीकल और नोन–टैकनीकल का प्रश्न है वह टैकनीकल आदमी नहीं हैं और वह एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में जितने भी डिपार्टमेन्ट्स हैं, सोइल कन्ज़र्वेशन का है, चाहे फूडिंग का है, चाहे दूसरे भी डिपार्ट-

(श्री परसराम)

मेन्ट्स हों उनके अलग-अलग डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं और वे सब के सब टेक्नीकल हैंडस हैं और इन सब के ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड्स रखा जाता है तो मेरा ख्याल है कि इस डिपार्टमेन्ट का काम टैकनीकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छी तरह चल सकता है। जहां तक एग्रीकल्चर का प्रश्न है उनका काम सुचारू रूप से चल रहा है और उनके रहने के बाद में इस डिपार्टमेन्ट में काफी तरक्की हुई है और काम काफी सुविधाजनक हुआ है। वहां के किसानों के लिए उस क्षेत्र में जो तरक्की का प्रश्न है उसको भी देखते हुए काफी प्रगति हुई है।

उसके बाद में उन्होंने दूसरे और डिपार्टमेन्टल हैड्स के बारे में कहा कि उनको टेक्नीकल नॉलेज नहीं है। तो क्या सारी टेक्नीकल नॉलेज उनके पास ही आ गई है और जो सरकार के पास हैड आॅफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं वे सब के सब तो नाकाबिल हो गए? अगर ऐसी ही बात थी तो आपको कोई न कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन देना चाहिए था और इसके बारे में जहां तक मेरा ख्यल है आपने एक-दो किताबें पढ़ ली होंगी। तो आपको सुझाव देना चाहिए कि ये ये आदमी इस काम के लिए हैं। इन सभी पोस्टों पर अच्छे योग्य आदमी हैं, आई० ए० एस हैं, लेकिन वे टेक्नीकल हैंड्स नहीं हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि दो-तीन हैड आॅफ दी डिपार्टमेन्ट्स को लेकर मेरे मित्र ने कल उनको जवाब दिया था। जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट में आप किस तरह का टैकनीकल हैंड चाहते हैं, मैकेनिकल चाहते हैं या जिसको बोम्बे और मद्रास से ट्रेनिंग मिली हुई हो उसको चाहते हैं? डाइरेक्टर्स के अलवा वहां पर ए० टी० ओ० होते हैं, सब-इन्सपेक्टर्स होते हैं, वे सबके सब ट्रेनिंग शुदा होते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : Two minutes more.

श्री परसराम : मैं कल भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच-सात मिनट ही बोल सका था क्योंकि हाउस के सामने कल कॉन्टेम्प्ट आॅफ दी हाउस का प्रश्न खड़ा हो गया था और वह एक अकस्मात् चीज थी इसलिए मुझे अधिक समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है, दो मिनट और?

श्री परसराम : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में कहा। खेती के बारे में उन्होंने फूड-क्रोप्स और कॉमर्शियल क्रोप्स के बारे में काफी कहा। उनको यह मालूम होना चाहिये था कि जो प्राइसेज़ का प्रश्न है, प्लानिंग कौंसिल बैठी हुई है और हर एक विकास के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि फूड प्रोजेक्ट की ज्यादा उपज हो जायेगी और उसके बाद में इन्डस्ट्रियल या कॉमर्शियल क्रोप्स की कमी होगी तो उसकी प्राइसेज़ को मेन्टेन करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है।

एजुकेशन की पोलिसी के बारे में खास तौर से उन्होंने नेशनेलाइज़ेशन आॅफ बुक्स के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलीं, तो बच्चों का नाम लेने से हाउस गुमराह नहीं होगा। अलग अलग स्टेट्स का जिस समय इन्टीग्रेशन हुआ तो उस समय अलग अलग पाठ्यक्रम थे और उनका यह कहना कि बुक्स में पार्टीज़ की विचारधारा रखी गई है, मैं समझता हूँ कि

Page No.34

(श्री परसराम)

हिन्दूस्तान में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं उनकी एक कमेठी बिठा दीजिए। आपको एक चीज़ उसमें ऐसी मिल जाये तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है ...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष, कल से राजस्थान की राज्य सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हुए दो अविश्वास प्रस्तावों के ऊपर चर्चा हो रही है; उसके बाद में उन दो प्रस्तावकर्ताओं के बोलने के बाद उसके पक्ष और विपक्ष में कुछ भाषण हुए हैं। बेहतर होता अध्यक्ष महोदय, कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार उन प्रस्ताव रखने वाले मित्रों में से एक सदस्य जो मुझे इस समय दिखाई नहीं देते हैं, आज यहां अभी उपस्थित होते और उन सब बातों को सुनते जो कि उनके लिए आज कही जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष, पहले प्रस्तावकर्ता महोदय ने बहुत कुछ बातें किताबों के सम्बन्ध में कहीं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वे पिछले पांच वर्षों में इस सदन के सदस्य रहे और इस बार भी चुनाव में जीतकर यहां आये। जिन पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने पढने की तकलीफ गवारा की इस प्रस्ताव को रखते हुए बेहतर होता कि वह उन रिपोर्ट्स को; पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रिपोर्ट्स को पढ़ते और उसके बाद में पीरियोडिकली यह देखते कि जिन रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने कल अपने भाषण में जिक्र किया था उसके अनुसार वह पुनः अब क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगा कि उनके भाषण में तीन–चौथाई समय हिसाब से संबंधी उन सब चीजों पर लगाया था कि जिसको पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने पिछले तीन वर्षों से डील किया था।

अध्यक्ष महोदय, इस सब को कहने से पहले उन्होंने जो कल कहा था और आगे जितना भी कहना चाहते हैं वह किस हद तक सही है अथवा कैसा है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान जिस प्रकार का राज्य रहा और विभिन्न रियासतों को मिलाकर यह एक इकाई के रूप में अपने सामने आया तो बहुत स्वभाविक था कि इस राज्य में जितने भी जो राज्य मिले हैं उनके हिसाबों की प्रणालियां विभिन्न प्रकार की रही हैं। उन विभिन्न प्रकार की हिसाबात की प्रणालियों के कारण से अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी गलतियां हुई हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिये और वह जो कि नहीं होना चाहिए थीं। मगर इसी सदन की दो हिसाबात की कमेटियों ने कुछ इस प्रकार से जांच की, सफलतापूर्वक काम किया कि जिसके लिए न केवल हम बल्कि हिसाबात से विशेषज्ञ यह कहते हैं कि राजस्थान में हिसाब सम्बन्धी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए काफी सोचने और समझने की बात है। न केवल पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटीज़ बल्कि एकाउन्टेन्ट जनरल और कम्प्ट्रोलर जनरल ने भी हमारे इस सुधार के ऊपर और हमारी प्रगति के ऊपर सन्तोष जाहिर किया है और यह चीज़ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट से बहुत साफ जाहिर होती है। अभी तक यह स्थिति होती आ रही थी कि एक रुपये के एक्सेस और सेविंग्स के ऊपर ए. जी. कॉन्टिनजेन्सी लेते थे। अब यह समझ

(श्री हरिदेव जोशी)

लिया गया है कि हिसाबात में काफी सुधार हो गया है; समूचे बजट के सिलसिले में काफी सन्तोष रहा है। खर्च और बजट की स्थिति में काफी फर्क आ गया है इसलिए १ हजार रुपये के एतराजात को हाथ में लेने की बात का निर्णय जो किया गया है वह बतलाता है कि हिसाबात की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी रिपोर्टों को अगर हम देखें और जो ताजा रिपोर्ट बाहर आई है, उसको देखें तो मालूम होगा कि पहले जो गबन के मामले हुए थे, जो इर्रेगुलेरिटीज़ के मामले हुए थे, उनकी गम्भीरता और आज की गलतियों में फर्क है, और मैं अगर गलत नहीं समझा हूं तो विश्वासपूर्वक यह कहा जा सकता है कि हमारे हिसाबों में काफी सुधार हुआ है।

यह तो एक प्रकार की स्थिति है, मगर वैर से आनेवाले माननीय सदस्य, जिन्होंने अवि..स का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक तार निकाल कर यहां सुनाया था, अध्यक्ष महोदय, वह था लॉ एन्ड ऑर्डर के बाबत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैं सदन का ध्यान १५ अगस्त, १६४७ से लेकर आज तक की राजस्थान की लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उस समय हिन्दुस्तान ताजा ही आज़ाद हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान में खून की होलियां खेली जा रही थीं, मासूम बच्चों और निरपराध अबलाओं का खून किया जा रहा था, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर, दूसरे तबके लोगों पर राजस्थान के अन्दर टूट पड़ रहे थे, और कई लोग निराश होकर उन सब की ओर देखते रहे थे और आज अध्यक्ष महोदय, एक टेलीग्राम आता है, उस टेलीग्राम की क्या स्थिति है, किस हद तक सत्यांश है उसके अन्दर, इस ओर दृष्टिपात करने की हमारे माननीय सदस्य ने आवश्यकता नहीं महसूस की। अगर जो १५ अगस्त के बाद में भरतपुर और अलवर में हालात पैदा हुए उनकी और आज जो भरतपुर की स्थिति है उसका मुकाबला करते तो फर्क महसूस होता और वह यह निश्चित रूपसे कह सकते थे कि राजस्थान में आज के लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत के अन्दर और उस दिन की हालत के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान उन स्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब आज से कुछ वर्ष पूर्व चुनकर पहली मर्तबा इस सदन के अन्दर आये थे, उस वक्त डाकुओं के आतंक के कारण राजस्थान के गांवों के अन्दर लोगों को नींद नहीं आती थी और ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि आदमी अपनी औकात, अपनी हालत को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। अध्यक्ष महोदय, यह हालत थी कि गांवों के लोगों को रात में नींद नहीं आती थी। उन स्थितियों में और आज की स्थिति के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र तकलीफ गवारा करते और समझने की कोशिश करते तो उनको मालूम होता कि आज और उस जमाने के अन्दर कौन लोग, किस प्रकार और किन हालतों में लॉ एण्ड ऑर्डर को भंग कर रहे थे और करते हैं। आज हालात बदले हैं, परिस्थितियों ने पलटा खाया है। जो लोग नींद हराम करते थे उनको मौत के घाट उतारा गया है और राजस्थान के अन्दर डाकुओं की संख्या कम हो गई है और आज यह हालत पैदा हो गई है कि लोग राजस्थान के अन्दर कानून की मंशा के अनुसार चलें।

(करतल—ध्वनि)

(श्री हरिदेव जोशी)

, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कुछ जगह आज भी ऐसी स्थिते है कि बहुत बड़े लेण्डलोर्ड्स छोटे छोटे काश्तकारों को पीटते हैं और ऐसे लोग सदन में आकर शिकायत करते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की कमी है, वे लोग अपने घरों के अन्दर लोगों को पीटते हैं। (करतल ध्वनि) (शेम, शेम) मगर अध्यक्ष महोदय, इसके मायने यह नहीं हैं कि राजस्थान के अन्दर आम शान्ति और व्यवस्था की स्थिति खराब है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ लोग दूसरे वर्ग और दूसरे पीड़ित किसानों को तबाह करते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार और शासन करने वाली पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि गड़बड़ की स्थिति का अन्त होना चाहिये। दूसरे प्रकार की स्थिति का अन्त हुआ है। तीसरी प्रकार की स्थिति के जो लोग है जो दूसरों के द्वारा अपना पेट पालना चाहते हैं, जमीन के मालिक रहना चाहते हैं और जो जमीन जोतता है उसका कब्जा नहीं होने देना चाहते हैं, उस प्रकार की स्थिति का भी राजस्थान सरकार अन्त करके रहेगी। इसका निर्णय वह कर चुकी है।.........

श्री मदनसिंह दांता : पांचवीं प्रकार का भी निर्णय कर लिया क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे एक स्थिति को देखें या दूसरी स्थिति को देखें राजस्थान की हालत के अन्दर फर्क हुआ है।

उन्हीं माननीय सदस्य ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों के सिलसिले में और ऐसी ही कुछ बातों के सिलसिले में दो—तीन मुख्य बातें कही थीं। उन्होंने यह कहा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है कि वह अर्बन सैक्टर के पास से पॉवर रूरल सैक्टर के पास में नहीं जाने देना चाहती है। इसके ऊपर उनके भाषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात मैं इसको समझता हूं और मैं उनकी इस बात को चुनौती देता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि न केवल वर्तमान राजस्थान सरकार बल्कि भारत सरकार भी इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। १५ अगस्त से पहले हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन था। जिस प्रकार खाट के चार पाये होते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजों की छत्रछाया में पलने वाले शासक लोग थे, उनकी सत्ता को बनाये रखने वाले लोग थे। वह अंग्रेजी शासन गया। अंग्रेजी शासन की तरह उनके ऊपर पलने वाले राजा—महाराजा थे वे गये और उनकी तरह ही जो जागीरदार लोग थे वे गये। आज जो सत्ता है वह ग्राम पंचायतों के रूप में और दूसरी चीजों के रूप में सही जनता के हाथ में आई है। बहुत मुमकिन है कि वे ग्राम पंचायतें गलतियां करती हों, बहुत मुमकिन है कि उनके द्वारा कुछ खराबियां होती हों, मगर अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के द्वारा शिशु जनतन्त्र के अन्दर इस प्रकार की गलतियां होना, खामियों का होना बड़ा स्वाभाविक है और हम यह समझते हैं कि अगर उनके साथ में सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया, उन्हें सिखाने की कोशिश की गई, उनके बीच में टंटा खोजने की कोशिश नहीं की गई, तो जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई है, ग्रामीण जनता के पास में, सही शासक के हाथ में वह सत्ता आई है, वह मजबूत होगी। इस प्रकार से बिखरे हुए हिन्दुस्तान में, टुकड़े

(श्री हरिदेव जोशी)

२ हुए हिन्दुस्तान में हम सब लोग एक होकर रहेंगे। पहले हम सोचते थे कि वाइसरॉय के महलों के अन्दर से इशारा होने पर जिस प्रकार से राजाओं महाराजाओं के महलों के अन्दर तबाही पैदा होती थी, उनके शासन के पाये हिल उठते थे। आज यह स्थिति पैदा हुई है कि गांव की जनता के हाथ में सत्ता आने से उनमें जागृति हुई है। जागृत जनता ने अधिकार अपने हाथ में लेने के बाद सही और गलत को पहिचाना है। कौन लोग मदद देने वाले हैं, और कौन लोग मुगालता देने वाले हैं, इस बात को हिन्दुस्तान की जनता ने पहिचाना है और हिन्दुस्तान में और राजस्थान में इस रूप में एकता है।

अध्यक्ष महोदय, फिर ऐसी हालत में मैं यह नहीं समझ सका कि हमारे माननीय मित्र ने कैसे कहा कि मौजूदा राजस्थान सरकार ग्राम पंचायतों को, जनता के पास में सत्ता नहीं जाने देना चाहती। बहुत साफ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट जो है उसके लिए संशोधन इसलिए आया है कि हम बलवन्तराय कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको अमल में लाना चाहते हैं। बलवन्तराय कमेटी भी अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जनता को ही विशेष करके अधिकार देनी चाहती है और उन्हीं लोगों को देना चाहती है जो जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ सकता कि हिन्दुस्तान में ग्राम पंचायतों के चुनने के बाद भी यह कैसे कहा जा सकता है कि ग्रामीण जनता को हम अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इससे भी यदि ग्रामीण जनता को अधिकार नहीं देना हुआ तो क्या म्युनिसिपेलिटिज़ के जरिये ग्रामीण जनता को अधिकार मिलेंगे या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये ग्रामीण जनता को अधिकार दिये जायेंगे ? ग्रामीण जनता को अधिकार ग्राम पंचायतों के द्वारा मिला है, उनको अधिकार छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा मिला है। गांवों की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वे ही सही माने में ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। गांवों के लोग शहरों के आदमियों को भेजें यह गांव वालों का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता। इससे अधिक और कौन उनका प्रतिनिधि हो सकता है यह तो माननीय सदस्य ही बतायेंगे।

एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा मौजूदा सरकार की रीति-नीति के बारे में कि उसकी रीति-नीति ठीक नहीं है। इस सरकार के समय में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं; उन्होंने एक सूत्र वाक्य ही कह कर छोड़ दिया, हम पर उन्होंने भाष्य करने को छोड़ दिया, उन्होंने खुद ने कुछ नहीं बताया कि यह कैसे वे समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस चीज़ को समझा हूं वह यह है कि शायद वे आज के शासन से इस बात की आशा करते हैं या उम्मेद करते हैं कि आज जो जमीन हम सही माने में बांटने वाले हैं वह जमीन सही माने में जो ज़मीन जोतने वाले हैं उनके पास ज़मीन नहीं जावे और जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स हैं और जिनके पास जमीन पहले से ही बहुत है उनके पास जाती रहे। आज शायद इस बात की इमदाद चाहते हैं सरकार से कि जिन पर टैक्स लगने जा रहा है उन पर टैक्स न लगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी नीति साफ है। पंचवर्षीय योजना राजस्थान सरकार की ओर से नहीं बनाई गई है बल्कि देश के बड़े से बड़े लोगों ने बनाई है, जो कि हमारे द्वारा स्वीकार की गई है। इसका मतलब

Page No.38

(श्री हरिदेव जोशी)

यह हुआ कि देश की जो फन्डामेन्टल पोलिसी है उसी के सिद्धान्त और प्रोग्राम पर हम काम कर रहे हैं। हम जिस सिद्धान्त और प्रोग्राम पर हम काम कर रहे हैं वह है सेकन्ड फाइव इयर प्लान । क्या यह प्लान अमीरों को और अमीर व गरीबों को और गरीब बनाने वाला है ? मैं उनको धन्यवाद देता यदि वे अपने सूत्र वाक्य का भाष्य जिस तरह से श्री कृष्ण ने किया था वैसे ही करके बताते, तो हम मानते कि जिस तरह से वे कह रहे हैं उसी तरह से गरीबों को गरीब बनाने वाली है और उनकी रोजी छीनने वाली है, और जो बड़े–बड़े होल्डर्स हैं उनको ज्यादा जमीन देने वाली है हमारी नीति । राजस्थान सरकार की नीति के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है, वे सदस्य खुद जानते हैं कि राजस्थान उन इनी–गिनी रियासतों में से है जिसने हिन्दुस्तान में भूमि–सुधार का रेकॉर्ड कायम किया है, राजस्थान वह रियासत है जिसने जागीर एबोलिशन पहले की है,

(करतल–ध्वनि)

यह वह रियासत है जिसमें राजा, महाराजा और जागीरदार प्रथा को समाप्त किया है। ऐसी हालत में भी क्या राजस्थान सरकार की ऐसी नीति है जिससे गरीब–गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं या इसके विपरीत बात हो रही है।

(करतल–ध्वनि)

आप राजस्थान सरकार की नीति की बात करते हैं ! मैं जानता हूं कि राजस्थान में आज भी ऐसे तत्व हैं जो पुरानी चीजों को देखना चाहते हैं, आज भी वे उसी चीज को वापिस लाना चाहते है। कभी भू–स्वामी आन्दोलन के नाम पर, कभी किसी दूसरे नाम पर उस चीज को लाने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता उनको पहिचानती है। जनता अपने भले बुरे के बारे में अच्छी तरह जानती है। अध्यक्ष महोदय, जनता हर्गिज़ उनके कहने में नहीं आने वाली है। आज सच्चे माने में जो जमीन का मालिक है उसके पास जमीन आई है। आपने अपने कब्जे में जमीन को घोड़ों की टापों के बल पर रखा है, संगीनों के बल पर जमीन को अपने कब्जे में रखा है, लेकिन वे संगीनें अब झुका दी गई हैं। केवल आपकी बातों के आधार पर जमीन वापिस मिलने वाली नहीं है या आपके ख्याली पुलावों के आधार पर वह जमीन वापिस मिलने वाली नहीं है। आपकी संगीनें जनता के बल पर झुकाई गई हैं। वह जमाना अब दूर चला गया जब कि आप सोचते हों कि ख्याली पुलावों के आधार पर जमीन वापिस ले लेंगे..........

(श्री मदनसिंह दांता बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन करतल-ध्वनि की आवाज के कारण उनकी बात नहीं सुनी गई)

लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह जमीन हर्गिज़ वापिस मिलने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक मित्र ने कल कहा था कि आपने देखा होगा वह जमाना, जब कि जोधपुर महाराजा एक जगह से चुनाव में खड़े हुए थे और वहां आपकी क्या हालत हुई थी ? मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, डूंगरपुर की ओर जहां के महाराजा अपने ही क्षेत्र में तीन–तीन बार हारे हैं। जनता की सामूहिक शक्ति के सामने सामन्तवाद खत्म हो चुका है। आज उनको स्वीकार करना चाहिये कि उनका जमाना बीत गया है। आज आप भू–स्वामी आन्दोलन चला कर उस जमाने को वापिस लाना चाहते हैं, लेकिन ये पुराने

(श्री हरिदेव जोशी)

जमाने की बातें हैं, आज के जमाने में इन बातों से जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता, आज आप अपनी बातों से जनता को अन्धा नहीं बना सकते ।

आज कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि जनता के प्रतिनिधि वे लोग हैं । अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग यह महसूस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि जनता के प्रतिनिधि वे लोग हैं जो सरकार को गालियां देना चाहते हैं, सरकार को कोसना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनता के प्रतिनिधि वे लोग हैं जो इस ओर बैठे हैं । जनता ने समझ बूझ कर उनके हाथों में शासन दिया है, उन निकम्मे लोगों के हाथों में नहीं दिया जिन्होंने पिछले दिनों में काम नहीं करके जनता का शोषण पीढ़ियों तक किया है । उनके हाथों में जनता ने आज शासन नहीं दिया है । आज वे लोग जब सरकार को गाली देते हैं तो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है या करते हैं । लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिये, जैसा कि आप महसूस करते हैं कि आप कहते हैं वह सही है तो आपको यह भी महसूस करना चाहिये कि राजस्थान की जनता ने जिनको भेजा है वे भी सोच समझ कर बात करते हैं, अकेले आपके ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं है कि जनता की भलाई की जाय और राजस्थान को दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में खड़ा किया जाय । मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, मेरे और उनके तालुकात अच्छे रहे हैं । लेकिन श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, कल जब इस तरफ के एक सदस्य बोल रहे थे तब उनसे कहा कि वे ट्रेज़री बेंच की खुशामद करते हैं । लेकिन एक बात मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को गाली देना, उसकी आलोचना करना उनका बहुत पावन कर्त्तव्य है, उसी तरह से जिस तरह से रामायण, भागवत को पढ़ना, तो क्या सरकार की सही बातों को सदन के सामने रखना क्या गुनाह करना है ? आप भी वोटों के आधार पर यहां आये हैं, जनता की राय पर यहां आये हैं और हम भी उसी जनता के प्रतिनिधि हैं । जिस प्रकार सदन को अपनी बातें समझाने का विरोधी पक्ष को अधिकार है उसी प्रकार ट्रेज़री बेन्चेज़ को भी अपनी बातें समझाने का अधिकार है । यदि कोई आदमी यह समझता है कि विरोध करना हमारा धर्म है तो मैं यह समझता हूं कि यह देश को पीछे खींचना है, उस समय जबकि देश का निर्माण हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है उस समय यदि ऐसी चीज होती है तो आने वाली पीढ़ियें बतायेंगी कि कुछ लोग जब आगे बढ़ने की बातें करते थे उस समय कुछ लोग दकियानूसी बातें करके पीछे ले जाने वाली बातें सोचते थे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कह कर एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं. मैं उनके अधिकार को स्वीकार करता हूं कि वे इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं । डेमोक्रसी में बहुमत को मार्ग दर्शन करने का अधिकार है तो अल्प मत को अपनी बात कहने का भी अधिकार है और उसको अपनी बात कहनी चाहिये भी । राज्यपाल महोदय के अभि– भाषण पर वे बातें कह सकते थे और बजट के अवसर पर भी वे अपनी बातें कह सकते थे, फिर आज कौन सी ऐसी बातें थीं जिनके कारण उनको यह प्रस्ताव लाना पड़ा । भ्रष्टाचार, फेवरेटिज़्म, नेपोटिज़्म इस प्रकार की बातें कही गईं । अध्यक्ष महोदय, मुझे

(श्री हरिदेव जोशी)

स्वीकार करना चाहिये कि समाज और शासन की मशीनरी में कुछ रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। लेकिन हमको देखना है कि आखिर इस प्रकार के काम को रोकने के लिये, बुराइयों का नाश करने के लिए आप कैसा प्रयत्न करते हैं ? सही चीज यह है कि हम इसका नाश करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। मेरे एक मित्र ने सही चीज़ सामने रखी थी और वह यह कि जब माननीय सदस्य ने कहा था कि २०० से ऊपर गबन के मामले सरकार के सामने हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन मामलों को डिटेक्ट किसने किया था; जन संघ ने किया था या प्रजा प्रगतिशील पार्टी ने उन्हें डिटेक्ट किया था ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डिटेक्ट किया था, उसमें सब-इन्सपेक्टर से लेकर एस० पी० तक कारण हो सकते हैं और अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र कल कह रहे थे कि मुझे ३ दिन के लिए राज्य दे दीजिये सब कुछ कर दूंगा ...

श्री मदनसिंह दांता : सही बात है।

श्री हरिदेव जोशी : आपको दे दिया जाय, जिन्होंने कि ७०० वर्षों तक अपने कन्धे पर जागीरदारों और राजाओं को बिठा कर रखा था और आप कुछ नहीं कर सके !

(शेम–शेम)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह जमाना नहीं आने वाला है। आपका परीक्षण ७०० वर्षों तक हो चुका है। राजस्थान में राजाओं और जागीरदारों का शासन एक वर्ष तक नहीं, दो वर्ष तक नहीं रहा, बल्कि ७०० वर्षों तक या १००० वर्षों तक रहा है और उस शासन के अन्दर जो डिटीरियोरेशन आया, तो जनता ने उसमें रुकावट डालने के लिए आवाज खड़ी की।

(करतल-ध्वनि)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी तरफ के एक माननीय सदस्य तीन दिन के लिए शासन की मांग करते हैं, मैं उन्हें तीन सेकिन्ड के लिए भी चान्स देने की बात नहीं करता।

(करतल–ध्वनि)

वह दिन वापिस नहीं आने दिया जा सकता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें यह समझना चाहिये और सोचना चाहिये कि राजस्थान की और इस देश की प्रगति के लिए, इस देश को ऊंचा उठाने के लिए दुनियां के अन्य देशों के मुकाबले में राजस्थान और हिन्दुस्तान को खड़ा करने के लिए हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई। अध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी एक प्रकार की थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमार दूसरे प्रकार की है और इनके जरिये हमें हमारे मुल्क के और हमारे प्रान्त के बड़े–बड़े मसलों को हल करना है। हम अनेक मसलों को और कमियों को हल करना चाहते हैं, हमारे देश के अन्दर जो अत्यावश्यक समस्यायें हैं; जैसे खेती की समस्या है, उद्योग की समस्या है व अन्य समस्यायें हैं, उनको हल करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें, ये सारी समस्यायें, किसी भी मुल्क के सामने हों, उन्हें एक दो दिन में दूर नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, आज हम यह समझते हैं कि आज हम अमेरिका और रूस के मुकाबले में उतने धनवान और उतने साधन–सम्पन्न हो जायें तो यह मुमकिन नहीं है। आज जहां दुनिया की राजनीति का सवाल

(श्री हरिदेव जोशी)

है, वहां हिन्दुस्तान का मूल्य है। आजादी प्राप्त करने के बाद इतने कम दिनों के अन्दर हिन्दुस्तान ने दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपना असर कायम किया है और उस असर को आज दुनिया महसूस करती है, दूसरे मुल्कों के सामने कोई छोटी—मोटी चीज आये, उनके मुल्कों के सामने कोई समस्या हो तो वे हमारी ओर देखते हैं। इससे हमें सोचना चाहिये कि हम कुछ कान करते चले जा रहे हैं, जिसके जरिये हम महसूस करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग हिन्दुस्तान में आते हैं, वे राजस्थान के अन्दर भी आते हैं और वे राजस्थान और हिन्दुस्तान की प्रगति के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि दुनिया के मुल्कों के जो मेहमान यहां आते हैं वे राजस्थान और हिन्दुस्तान की प्रगति की भूरि—भूरि प्रशंसा करते हैं, जो काम हम करते हैं उसकी वे समालोचना करते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, उनको वे सुझाते हैं और जिन अच्छाइयों की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। आज हमारे देश के अन्दर एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आ रहा है और राजस्थान की भूमि पर भी हम उस परिवर्तन को देख रहे हैं। राजस्थान की जमीन के बहुत बड़े हिस्सों में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन. ई. एस. ब्लॉक्स के द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक ट्रान्ज़ीशनल पीरियड है, ऐसी स्थिति में हम प्रान्त के सभी लोगों से सहयोग की आशा करते हैं और आज हम राजस्थान की ड़ेढ़ करोड़ जनता की ओर आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं। राजस्थान की जनता यह जानती है कि हम राजस्थान एसेम्बली में जाकर क्या और कैसे आगे बढ़ने की ओर कार्यवाही करते हैं। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज छोटी—छोटी बातों को लेकर चुटकियां भरने का अवसर नहीं रहा है, आज अवसर यह है कि सामुहिक रूप से इस प्रान्त को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करें या जो गलतियां रह गई हैं, उन्हें आपस की बातों के जरिये दूर करने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमें समझना चाहिये कि हमारी कमजोरी कहां है? आज हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं।

(घंटी)

लेकिन जब एक भाई के ऊपर वजन आता है, एक रिश्तेदार के ऊपर वजन आता है, उस समय हम देखते हैं कि इसे सजा मिलनी चाहिए, वहां यह कहा जाता है इसे छोड़ देना चाहिए। भ्रष्टाचार की जो बात कही जाती है, भ्रष्टाचार को फैलाने का दुर्गुण सरकार का नहीं है, यह समाज का दुर्गुण है। यदि कोई राज्याधिकारी रिश्वत के मामले के अन्दर पकड़ा जाता है, तो वह हममें से किसी का भाई होगा, हममें से वह किसी का चचा होगा, हममें से किसी का रिश्तेदार होगा। सेकिंड वर्ल्ड वार के बाद में जो डिटीरियोरेशन आया है समाज के अन्दर उसका प्रमाण हमारे देश के अन्दर देखा जाय तो स्थिति यह है कि देश के अन्दर, समाज के अन्दर कई प्रकार की बुराइयां आई हैं, क्या उन बुराइयों को दूर करने की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस सरकार की हो सकती है? यह जिम्मेदारी उन सब लोगों की है जो समझते हैं कि हमारा देश है, जो लोग यह समझते हैं कि इस देश को ऊंचा उठाना है। केवल सरकार की आलोचना करने से भ्रष्टाचार दूर

Page No.42

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं हो सकता। आज इस देश के अन्दर गरीबी है, आज इस देश के अन्दर भुखमरी है, आज इस देश के अन्दर बेकारी है, इस देश के अन्दर कई प्रकार की चीजें हैं, ये सारी चीजें केवल अविश्वास का प्रस्ताव ले आने से दूर नहीं हो सकती हैं। इसका इलाज अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है। अगर आज राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट हट जाती है तो मैं अधिकारपूर्वक कह सकता हूं कि दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो इस राज्य को सम्भाल ले।

(करतल–ध्वनि)

२५ राज्यों का एक राज्य राजस्थान बनाने का, उन सब राज्यों को संयुक्त करने का गौरव कांग्रेस पार्टी को है और इसी प्रकार दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में, इस राज्य को बड़े रूप में लाने का गौरव कांग्रेस पार्टी का है। ये इस पार्टी के एचीवमेन्ट्स हैं, इन अचीवमेंट्स की दूसरा कोई आदमी पूर्ति नहीं कर सकता। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि छोटे मोटे कारणों से युद्ध हुआ करते थे और उन युद्धों के कारण सिर कटते थे। हम अगर अपने आपको छोटी–मोटी चीजों में उलझाये रखेंगे, तो प्रान्त और देश का भला नहीं कर सकते........

राजा श्री मानसिंह : One point of order, Sir........

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

(करतल-ध्वनि)

राजा श्री मानसिंह : On a point of order, sir,.........

(घंटी)

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए मैं निवे- करना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाय।

(करतल–ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधरीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन में वर्तमान मंत्रीमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद–विवाद हुआ था और उस वक्त जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और जिन सदस्यों ने आज और कल में अपने विचार प्रगट किये, उससे साफ जाहिर हो गया है कि वर्तमान सरकार, राजस्थान की जनता की बहुत समस्यायें हैं, जिनको हल करने में असमर्थ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र किसानों के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, समाजवाद के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। मुझे दो तीन बातों का ज़िक्र करना है। पहले मैं कृषि के बारे में ही जिक्र करूंगा कि किसानों के लिए जितना कहा जाता है, उतना किसानों के लिए नहीं किया जाता है। आज के दिन जब कि राजस्थान के अन्दर किसानों की बहुत बड़ी तादाद है और यह सरकार भी किसानों का प्रतिनिधित्व करती है; आज यह सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए नहरें बनाई हैं, किसानों के लिए तालाब बनाये हैं, किसानों के लिए टिनेन्सी एक्ट लागू किया है और किसानों के लिए भिन्न-भिन्न काम किये हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हमें किसानों की उन्नति करनी है तो किसानों के लिए हमें बहुत कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। किसानों की उन्नति के लिए

(श्री गिरधारी लाल)

हमें दो-चार चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए सुझाव पेश करना चाहता हूं, जो माननीय सदस्यों को ध्यान में रखने चाहिए। पहला सुझाव तो यह है कि राजस्थान के अन्दर किसानों को भूमि कर से मुक्ति होनी चाहिए। आज आप यह बात हंसी में उड़ा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री अजित प्रसाद जैन ने इस सुझाव को मंजूर किया है कि किसानों के ऊपर एग्रीकलचर इन्कम टैक्स और भूमि-कर दोनों नहीं लगा सकते हैं, दोनों करों को लगाने का हमें अधिकार नहीं है। जहां एक और एक व्यापारी की जब तक साढ़े तीन हजार रुपये की आमदनी होती हैं, तब तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स चार हजार की आमदनी पर लगता है और इसके साथ ही कई तरह के टैक्स किसानों से वसूल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स लगाती है, पंचायत टैक्स लगाती है, भिन्न-भिन्न प्रकार के टैक्स लगाये जाते हैं। राजस्थान के किसान बहुत गरीब हैं और हिन्दुस्तान का किसान-तबका बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ तबका है। इस प्रकार इस तरह के टैक्स लगाने नाजायज हैं। इस प्रकार की टैक्स की दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया जाता, आज यदि सरकार किसानों को भूमि कर से मुक्त नहीं करना चाहती है, तो छठे हिस्से की जगह आठवां हिस्सा कर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसानों को भूमि कर से मुक्त करने के लिए कोई कार्यवाही की जाय। माननीय अध्यक्ष, मेरा दूसरा सुझाव किसानों के लिये यह है कि राजस्थान के किसानों की गरीबी का कारण न केवल राजा और जागीरदार थे बल्कि यहां का व्यापारी वर्ग भी किसानों की गरीबी का कारण था। गांव-गांव में सेठ लोगों ने इन गरीब किसानों को कर्ज दिये और कर्ज के बदले में, ब्याज के रूप में दुगुना रुपया किसानों से ले लिया, फिर भी कर्ज वैसा का वैसा ही कायम रहा; अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गरीब किसान इन पुराने कर्जों से दबे हुए है उनकी कमर टूटी हुई है, उन्हें इन पुराने कर्जों से मुक्ति मिलनी चाहिये। आज नहीं तो कल अवश्य इन्हें इन पुराने कर्जों से मुक्ति मिलनी चाहिये। आप कहते हैं कि किसानों के लिये कर्ज देने को कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुली हुई हैं, पर इन पुराने कर्जों के कारण किसानों की कमर टूटी हुई है, वे कर्ज के भार से पूरी तरह दबे हुए हैं, उठ नहीं सकते; अतः इन पुराने कर्जों से किसानों को मुक्ति मिलनी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि टिनेन्सी एक्ट लागू किया गया, जिस किसान को खातेदारी राइट्स नहीं मिले हुए थे उस किसान को जिस दिन से यह टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ बिना किसी दरख्वास्त के खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये, लेकिन जब इस सम्बन्ध में सदन में प्रश्न पूछते हैं कि किसानों को खातेदारी राइट्स मिले कि नहीं तो रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जवाब देते हैं कि जानकारी में नहीं है। जो मिनिस्टर साहब किसी को कभी जाकर देखते नहीं, जो जयपुर के किस बंगले में रहते हैं, वे किसानों के जीवन-मरण का जो प्रश्न है उसके बारे में कहते हैं कि हमें पता नहीं; तो मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को बता दूं कि यह सदन आपको जानकारी दिलाता है

Page No.44

(श्री गिरधारीलाल)

कि किसानों की उपेक्षा , नहीं सही जा सकती। रेवेन्यु एक्ट की धारा १५ है वह कार्य रूप में परिणत नहीं हुई है; मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खातेदारी राइट्स किसानों को मिलने चाहिये।

भाखरा और नहरी इलाके में, राजस्थान कैनाल के इलाके में हजारों बीघा जमीन जागीरदारों को दी है, मैं यह नहीं कहता कि जागीरदारों को जमीनें क्यों देते हो, खुदकाश्त के लिये जैसा आपने उनके साथ समझौता किया है वह दो, पर इस तरह की पड़त जमीनें जागीरदारों को देंगे तो क्या वहां के भूमिहीन किसानों का हक नहीं मारा जाता ? जिनके पूर्वजों ने उस जमीन के कण कण को सींचा है, जो यह आशा लगाये बैठे थे कि कभी नहर आयेगी, हमें जमीनें मिलेगी, हमें पानी मिलेगा और हमारी आर्थिक हालत ठीक होगी। राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों में सरकार जागीरदारों को ले जाकर बसा रही है और किसानों के हक मार रही है और इस तरह यह सरकार भूमिहीन किसानों की भूमि समस्या को हल नहीं कर सकी है। जो सुझाव मैंने आपके सामने रखे हैं वे गलत हैं यास ही हैं, इन पर आप विचार करेंगे और ध्यान देंगे; मैं ऐसी आशा करता हूं।

अब थोड़ा बहुत मैं उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। उद्योगों के सम्बन्ध में हमारी राजस्थान सरकार की कोई नीति नहीं है, यह भैरोंसिंहजी ने कल बता दिया था। मैं भी थोड़ा बहुत अर्ज करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारी औद्योगिक नीति है वह भारत सरकार से भिन्न है; बजट का १५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों पर खर्च करने का विचार किया है, वहां हमारी राजस्थान सरकार ने ५ प्रतिशत खर्च करने का विचार किया है। दूसरे मूलभूत बड़े उद्योगों में राजस्थान सरकार दो घोड़ों पर सवार होना चाहती है, दो घोड़ों पर सवार होना आपके लिये उपयुक्त नहीं, जनता में समाजवाद का नारा आपने लगाया है, राज्यपाल महोदय जनता की नीति के बारे में भाषण देते हैं, हम व्यापारियों को छूट रहे हैं, ऐसा दिखता है कि सेठों के हाथों में हमारी उद्योग नीति को दे डाला है, जो सेठ इतने खतरनाक हैं कि एक पैसे से दो पैसे और एक लाख से दो लाख बनाने की फिकर में हमेशा रहते हैं; न कि उनको यह फिकर है कि राजस्थान का विकास हो। आज दिन करोड़ों रुपया निजी क्षेत्रों में लग चुका है, अपने जयपुर उद्योग के अन्दर सवाई माधोपुर की सीमेंट फेक्ट्री है, उसमें राजस्थान सरकार ने ३५ लाख रुपया दे रखा है, डालमिया के जंवाई की बताते हैं, उसका एक आना भी ब्याज का सरकार वसूल नहीं कर सकी है और न एक आना नफे के रूप में वसूल कर पाई है। उस फैक्टरी को आपने इस साल ६० लाख का लोन दिया है। यह क्या है, अध्यक्ष महोदय, जब आपका पहले का पैसा सेफ नहीं है तो फिर जनता की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया हुआ और अधिक पैसा इन सेठों को दे देना कहां तक ठीक है ?

इसी तरह इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बोम्बे है; उसको एक लाख रुपया सरकार ने दिया है। पी० ए० सी० की सेकन्ड रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि जिस दिन कम्पनी को लोन दिया गया उस दिन से पहले ही वह कम्पनी दिवाला निकाल चुकी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : वह कब दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल : मैं अभी बताता हूं।

श्री अर्जुनदास : आप स्वीकार करते हैं क्या ? Do you deny things like this ?

श्री गिरधारीलाल : १ अप्रेल, १६५०; उसका एक भी पैसा अभी नहीं आया, जिस कम्पनी को दे दिया उस कम्पनी का दिवाला निकल चुका है।

इसी तरह ग्लास बेरियर लिमिटेड, जयपुर, हरिश्चन्द्र पोटेरीज़ लिमिटेड, झालावाड़, शिवाजी पब्लिकेशन्स, इनको कर्ज दिये गये हैं........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : साल बताते जाइये।

श्री गिरधारीलाल : आपसे पहले दिया है तो भी सरकार की ही जिम्मेदारी है और इसके साथ ही वसूल करने की जिम्मेदारी तो आप पर ही आती है। इन तीनों को ६०,००० रुपया दिया है; आज उन कम्पनियों का नाम तक नहीं है। मैं चाहूँगा कि मुख्य मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण कर दें कि जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है वह सही है कि नहीं, हो सकता है कि उसमें गलत लिखा हो और आप ठीक कहते हों।

१२,८०,००० रुपया शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स को दिया हुआ हैं। तमाशा यह है कि इन कम्पनियों को देते वक्त यह नहीं देखा गया कि ये कम्पनियां किस प्रकार चल रही हैं ? राजस्थान सरकार अब क्यों नहीं यह अपना पैसा वापिस ले लेती ? जनता की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया हुआ पैसा इस प्रकार सेठों को देती है, यह कहां तक उचित है ? ६ लाख रुपया बिजली का है वह आपका इस कम्पनी में बाकी पड़ा है, आप एक घेला भी वसूल नहीं कर पाये हैं, क्या बात है ? आप जनता का पैसा इस प्रकार लगाते हैं, जहां जनता का दो रुपया महीने का बिजली खर्च होता है वह नहीं दिया तो कनेक्शन काट देते हैं, उधर इस शार्दूल टैक्सटाइल मिल का लाखों रुपया, ६ लाख रुपया, बिजली का बाकी है, फिर भी किसी प्रकार की कार्यवही नहीं करते। एक तरफ तो लाखों रुपया बिजली का बाकी है, लाखों रुपया लोन दे रखा है और अब फिर गर्वनमेन्ट ऑफ इन्डिया को आपने रिक्वेस्ट की है, सिफारिश की है कि इस कम्पनी को ३,००,००० रुपया और लोन दे दो। और उसमें हमको एक पैसा भी ब्याज का नहीं दिया। वह रुपया कहां गया, यह बड़े दुःख की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें और कहूंगा। इसी प्रकार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के महाराजाओं में बिजली और पानी के ५ लाख रुपये लेने बाकी पड़े हैं। आपने उनको वसूल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और इस साल आपके और उनके बीच एग्रीमेंट हुआ बताते हैं कि आपने एक लाख रुपयों की सालाना, बीकानेर और जोधपुर महाराजाओं को बिजली पानी मुफ्त और ३ लाख का जयपुर महाराजा को मुफ्त देने का एग्रीमेंट लिख कर दिया है कि इस हद तक आपको फ्री बिजली और पानी देंगे।

१.१ म० प०

अभी एक माननीय सदस्य, जो यहां पर नहीं है, समाजवाद की बातें कहते थे और बड़ी लंबी चौडी डींग हांक रहे थे; माननीय अध्यक्ष, हो सकता है कि जो अंक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये हैं उनमें फर्क हो, मैं तो आपकी रिपोर्ट के माफिक बोल रहा हूं, मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार आप जनता को मेहनत का जो पैसा है उसे राजाओं के

(श्री गिरधारीलाल)

साथ इस प्रकार एग्रीमेंट करके लाखों रुपया सालाना बिजली व पानी में मुफ्त दे देते हैं, इसके अलावा जो उनमें बकाया है वह उनसे नहीं ले रहे हैं।

इसी तरह शार्दूल टैक्सटाइल मिल में भी आपके ५-६ लाख रुपये हैं और आप उनसे नहीं ले रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर यह माजरा क्या है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पैसा कब का है?

श्री गिरधारीलाल : बताता हूं। पैसा कभी का हो, चाहे वह व्यास और पालीवाल सरकार के जमाने का हो, लेकिन सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उसको वसूल करे। मगर मुझे यहां पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोई इस प्रकार से रुपया वसूल करने की कोशिश नहीं करते और इस प्रकार जनता की कमाई का पैसा बरबाद किया जा रहा है। मैं एम० एल० ए० की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से भी पूछता हूं कि वह पैसा कहां गया? आपने वह पैसा सेठों को दे रखा है, जागीरदारों और राजाओं को आपने पैसा दे रखा है। यदि आप इस रुपये को वसूल करें तो आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहे और राजस्थान में केनाल बन जाए। अगर आप, जो कर्ज दिया हुआ है, वह वसूल कर लें तो बहुत बड़ी बड़ी योजनायें पूरी हो जाती हैं।

इस प्रकार, माननीय अध्यक्ष, जागीरदारों में राजस्थान सरकार के १,३४,६६,७३२ रु० बकाया है और आपने अभी तक एक धेला भी वसूल करने की कोशिश नहीं की है। आखिर हम उनको लोन देते हैं, वे समझते क्या हैं? हमने उनसे जागीरें लीं और उसका मुआवजा उनको देते हैं। एक किश्त हम उनको देते हैं और एक किश्त उनकी हम क्यों नहीं उनके कर्जे में से वसूल करते! क्या कारण है कि हम ऐसा नहीं करते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन कारणों से मालूम होता है कि आप समाजवाद की तरफ नहीं जाना चाहते और किसानों और मजदूरों का हित नहीं चाहते। आप लोग, जागीरदारों, राजाओं और पैसे वालों के हित चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि आप नारे लगाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, आप जनता से वोट लेने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मगर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में हमने पाया है कि वास्तव में मामला क्या है? जनता आपको वोट देती है वह इसलिए कि वह आपकी अन्दरूनी नीति को नहीं देखती। अगर राजस्थान की जनता को यह बातें प्राप्त हो जावें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कहूंगा कि आप यहां पर नहीं आ सकते, आप इन कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते और आपकी जगह कोई दूसरे ही आकर बैठेंगे।

(बैठ जाना एवं पुनः प्रारम्भ)

(हंसी)

माफ कीजिये, माननीय अध्यक्ष, मैं अब भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं भी दो शब्द आपके सामने इसके संबन्ध में कहना चाहता हूं और मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म होने का तरीका नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष, मैं यह नहीं कहता कि पहले भ्रष्टाचार नहीं था, यह तो व्यासजी और पालीवालजी के जमाने से है और उस

(श्री गिरधारीलाल)

जमाने से दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और सुखाड़िया मंत्री-मंडल में तो यह इतना बढ़ गया है कि आज यहां का बच्चा-बच्चा यह जानता है कि पैसा दिये बगैर कहीं भी काम नहीं होता जिसके उदाहरण भी दिये जा सकते हैं, मगर मैं देना नहीं चाहता। आप इसको रोकने में नाकामयाब रहे इसलिये आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, आज कल भ्रष्टाचार का इस कदर बोल-बाला है कि कहा नहीं जा सकता। आज एक गांव में थानेदार की कद्र जितनी होती है उतनी मैं समझता हूं कि सही माने में चीफ मिनिस्टर की नहीं होती; वह इसलिये कि थानेदार को अधिकार है कि वह मर्जी आये जिसको गिरफ्तार कर सकता है। आपने एक कलेक्टर को अधिकार दिये और एक एम. एल. ए., जो एक लाख व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है उसको भी अधिकार नहीं है, चीफ मिनिस्टर को भी अधिकार नहीं दिये, जितने आपने एक कलेक्टर को दिये। इसलिये नौकरशाही का बोलबाला है और इतिहास इसका साक्षी है। जब तक आप नौकरशाही को खत्म करने के लिये प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। मेरे पास कुछ सुबूत भी हैं और मैं उनको बता भी सकता हूं, लेकिन समय नहीं है इसलिये बताना नहीं चाहता कि फलां-फलां व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार किया। इसके अलावा यह एक व्यक्तिगत आलोचना हो जायेगी। मैं अभी भी दो-तीन बातें रखना चाहता हूं क्योंकि पहले भी चीफ मिनिस्टर ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया; अब इस पर गौर करेंगे। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये आपको यह करना पड़ेगा कि चीफ मिनिस्टर से लेकर गृहमंत्री और दौलतरामजी डि० मिनिस्टर तक, सब को हमें ५००) से ज्यादा तनख्वाह किसी को नहीं देनी चाहिये; ऐसा नियम बनाना पड़ेगा, जिससे उनके सिद्धान्तों के अनुसार और आपके ही सिद्धान्तों के अनुसार; महात्मा गांधी के बोल थे.. पंडित नेहरूजी के बोल हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा राज्य आने के बाद ५०० रुपयों से ज्यादा तनख्वाह नहीं होगी। मगर आज हम देखते हैं कि हजार, दो हजार और तीन हजार, ऊपर की तनख्वाह में कोई लिमिट नहीं है। यह अन्याय है। आप पब्लिक के सेवक हैं। आपको पब्लिक की रक्षा करनी चाहिये। हम आपको पैसा देते हैं वह बंगलों में और कारों मे खर्च करने के लिये नहीं देते। राजस्थान एक गरीब प्रान्त है, इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि छोटे कर्मचारियों को पेट भरने के लिये, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने और पोषण के लिये भ्रष्टाचार करना पड़ता है, क्योंकि आप एक पटवारी को ४० या ५० रुपया देते हैं। पुलिस अधिकारी और उसी प्रकार मास्टरों को आप यही तनख्वाह देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज बेकारी के जमाने में और मंहगाई के जमाने में वे लोग इतने पैसों में अपना पेट नहीं भर सकते और जब वे अपना पेट नहीं भर सकेंगे तो वे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ? यह संभव चीज है। इसलिये कम से कम उनका वेतन १०० रुपये करना होगा और अगर नहीं करते हैं तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और इसके लिये आपको चाहिये कि आपके हैड ऑफ डिपार्टमेंट और उच्च अधिकारी हैं, उनको जो आप ऊंचे ऊंचे वेतन देते हैं उनको कम करके कम वेतन पाने वालों के वेतन की वृद्धि करें।

(श्री गिरधारीलाल)

इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा सुझाव इसके लिए यह देता हूं कि जितने भी हैंड ऑफ डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स हैं उनकी चल और अचल संपत्ति की क्यों न जांच हो जाए ? जो एक दफे मिनिस्टर बन जाते हैं उनके बंगले "सी" स्कीम में बन जाते हैं। उनको गवर्नमेंट की ट्रेज़री से तो १०००) रु० मिलता है और एक हज़ार रुपये का उनके खर्च होता है, फिर बंगले कहां से बन जाते हैं ? "सी" स्कीम सारे मिनिस्टरों के बंगलों से भरी पड़ी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन लोगों की आज से १० वर्ष पहले से जो आमदनी थी वह सब जोड़ ली जावे और ......

श्री मदनसिंह (दांता) : ये बंगले एम. एल. एज़. को क्यों नहीं दे दिये जावें ?

श्री अध्यक्ष : एम. एल. ए. ज़. बंगले बना रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : एक दफे उनकी चल और अचल संपत्ति की जांच हो जानी चाहिये, यह मेरा सुझाव है। और २० दिन के लिए हर तहसील हैडक्वार्टर पर राजपत्र के कागज़ को टांग दें और पब्लिक को अधिकार दे दें कि यह बतायें कि फलां फलां आदमी के अधिक सम्पत्ति है या नहीं। यदि वह साबित करे तो उसकी सम्पत्ति उसको मिल जानी चाहिए और जिस ऑफिसर ने सम्पत्ति छिपाई है उसकी सारी सम्पत्ति जब्त हो जानी चाहिए। इस प्रकार का कठोर कदम नहीं उठावेंगे तो यह भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। आज, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है; सब में भ्रष्टाचार है, हम में भी है। आपके लिए भी कहा जा सकता है और हमारे लिये भी कहा जा सकता है। इसलिए कठोर कदम नहीं उठावेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर सदस्य साबित नहीं कर सके कि फलां आदमी के पास इतनी रकम से अधिक नहीं है तो उसको माफ कर देना चाहिए। एक-दो सुझाव, अध्यक्ष महोदय, मेरे और हैं। मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा, चाहे आप हमारी बातें मानें या न मानें, लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि आपकी तरफ के माननीय सदस्य जितनी चापलूसी बातों से आपका मन लुभाते हैं उनको एक दिन के लिए जरूर मिनिस्टर बना देना चाहिए। आपका तो यह रिवाज़ है। माननीय नागर साहब अभी यहां नहीं है, इसी तरह की बातें किया करते हैं, इसलिए उनको साहित्य एकेडेमी का चेयरमेन बना दिया गया। अजमेर से आने वाले, माननीय सदस्य हैं, ...

एक माननीय सदस्य : नसीराबाद से आने वाले।

श्री गिरधारीलाल : जी, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को तो एक दिन के लिए ही मिनिस्टर जरूर बना देना चाहिए। इतना ही कहना चाहूँगा।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष,............

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : १५ मिनिट और हैं। १ : ३० पर बहस समाप्त हो जायगी। इसके बाद सरकार की ओर से ४ बजे तक उत्तर दिया जायगा और चार बजे के बाद जो प्रस्तावक हैं, दोनों प्रस्तावों के, वे प्रत्युत्तर...

(अनेक सदस्यों द्वारा बाधाएं)

(घंटी)

Page No.49

(श्री अध्यक्ष)

Please be quiet. I am speaking. Why can't you listen to the Chair sometimes ?

मुझे कह लेने दीजिये पहले कि किस तरह से टाइम एडजस्ट होगा । १.३० के बाद सरकार की ओर से उत्तर होगा और वह ४ बजे समाप्त होगा । ४ से ५ तक जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं उनको प्रत्युत्तर देने का मौका मिलेगा और उसके पश्चात् मतदान होगा ।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष ...

श्री अर्जुनदास : Let me, Mr. Satish Chandra...

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, समय तो बहुत कम है और मसाला बहुत ज्यादा है और जैसे पहले कई बार हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को मुझसे शिकायत रही है कि मैं फ्रन्टियर मेल छोड़ता हूँ तो इस थोड़े समय में ज्यादा मसाले के साथ गुड्स ट्रेन से कैसे पहुंच सकूंगा ? फिर भी, माननीय अध्यक्ष, आपका आदेश है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सूक्ष्म में, मुद्दे की जो बातें हो सकती हैं उन्हीं को सदन के सामने रखूंगा ।

सदन में अविश्वास के प्रस्तावों पर कल से बहस हो रही है । हमारे सामने कल विचार प्रकट करते हुए नसीराबाद से आए हुए माननीय सदस्य ने जिस ढंग से जो विचार रखे, माननीय अध्यक्ष, मैं केवल इतना ही उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि उनके विचार सुनने से पहले उनके लिए मेरे दिल में जो श्रद्धा थी और मैं समझता था कि यह आदमी शायद पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी और बोलने के ढंग में समझते होंगे, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि उनका कल जो भाषण मैंने सुना और उनके भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वे कोई भाषणकर्ता हैं मैं नहीं कहता, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में बोलने का ढंग भी वे जानते हैं, यह मैं नहीं कहता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, I do not want any certificate from him.

(विरोधी पक्ष द्वारा 'No point of order', आवाज)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am in possession of the House. I shall protest......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir,......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपकी सिफारिश करता हूं ।

((हंसी एवं विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : ये आपको अपनी टक्कर के समझते हैं ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो आपकी सिफारिश कर रहा हूं, बड़े जोर-शोर से आपकी सिफारिश करता हूं ।

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष, उनके बारे में कुछ भी ज्यादा कहना उनको ज्यादा लिफ्ट देना है ।

(हंसी)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अभी मैंने उदयपुर डिवीजन से आये हुए माननीय सदस्य का बड़ा जोर-शोर से दिया हुआ व्याख्यान सुना। मैंने उनका यह व्याख्यान पहली बार ही सदन में सुना है। हमारे यातायात मन्त्री महोदय, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं सदन में बोलता हूं तो जैसे माणक चौक की चौपड़ पर बोलता हूं। जो विचार, जिस ढंग से अभी तक रखे हैं, वे विचार, उनसे कई नीचे स्तर के हैं। मसला हमारे सामने अविश्वास के प्रस्ताव का है, मसला हमारे सामने आज वर्तमान मन्त्री-मण्डल के प्रति अविश्वास के लिए है और बातें करते हैं वे सन् १९४७ में हिन्दुस्तान के बंटवारे के समय जो भरतपुर में तथा और जगह हत्याकाण्ड हुए उनकी। सन् १९४७ में जो हत्याकाण्ड हुए, जो नर-संहार हुआ, मैं समझता हूं कि उस हत्या-काण्ड की जिम्मेदारी यदि किसी पर हो सकती है, देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो नर-संहार हुआ, स्त्रियों और बच्चों का कत्ले आम किया गया, ९० लाख लोगों को शरणार्थी बना दिया, मासूम बच्चों के प्राणों की होली खेली गई और उसकी जिम्मेदारी आज इस विभाजन के फल स्वरूप किसी पर है तो वह है कांग्रेस सरकार पर।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'शेम-शेम' की आवाजें)

मैं कहता हूं कि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीगियों के सामने × × × ×

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता से पूछा जाता........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order.........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : Order Please!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order.... I raise this point of order; he has used the words:

× × × ×

Whether it is parliamentary?

अनेक माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष की ओर से) : खुली हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सेकुलर स्टेट में तो तहमत भी है।

(हंसी एवं घंटी)

श्री अध्यक्ष : The expression is unparliamentary. It will be deleted from the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) बहुत अच्छा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सन् १९४७ के युग में देश के नेताओं ने यदि ३५ करोड़ जनता का आह्वान किया होता तो विभाजन नहीं होता, देश कमज़ोर नहीं होता, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि देश की जनता को आह्वान न कर विभाजन मंजूर किया, ४ करोड़ मुस्लिम लीगियों के सामने वे झुक जाते हैं और यह कायरता का परिणाम है और उसी के कारण ९० लाख लोगों को बेघरबार होना पड़ा, ९० लोगों को शरणार्थी बना दिया, राजस्थान के अन्दर भी उन परिवारों को बसाने की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। माननीय

× × × × उक्त अभिव्यक्ति कार्य-विवरण से श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार पृथक की गई।

Page No.51

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष, उस सारे इतिहास में आ जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तो जो विषय हमारे सम्मुख है उसी पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन जो शिक्षा दूसरों को देते हैं वे स्वयं सीखें तो अच्छा है, आपको अपने कारनामे देखने चाहिए। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। दो-चार बातों की मुख्य रूप से चर्चा करूंगा। राज्यपाल महोदय के भाषण के वक्त चर्चा हुई थी। कहा जाता है कि पहले जागीरदारों के जुल्म होते थे, लोगों को पीटा जाता था, चोरियां होती थीं, डाके डाले जाते थे; माननीय अध्यक्ष, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब अब बंद हो गया ? क्या चोरियां बंद हो गई, क्या चोर चोरियां नहीं करते, डाकू डाका नहीं डालते होंगे माननीय गृह मन्त्रीजी ने आंकड़े रख दिये होंगे कि डाकू अमृतलाल को पकड़ लिया, डाकू सुमेरसिंह को पकड़ लिया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान मन्त्रीमंडल में इसलिए अविश्वास पैदा हुआ है, वर्तमान मन्त्रीमंडल में सन्देह का निर्माण हुआ, यह इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि इन चोरों की हजार, ५० हजार की चोरियों के कर देने के कारण नहीं, किन्तु चोरी करके प्रोफिट बनाने वाले लोगों के कारण अविश्वास पैदा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका चोरों को पकड़ने का काम है, जिनका डाकुओं को पकड़ने का काम है, जिनका जनता में शान्ति और सुव्यवस्था का निर्माण करने का जिम्मा है, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके हाथों में आज शासन की बागडोर है, चोरों को पकड़ने की जिनके हाथों में जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में डाकुओं को पकड़ने की जिम्मेदारी है, ×××× ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

मैं निवेदन करना चाहूंगा,..........

श्री हरिदेव जोशी : On a point of Order, Sir,......

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री हरिदेव जोशी : On a point of Order, Sir, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मन्त्रीमण्डल के सदस्यों के लिए जो '××××' शब्दों का प्रयोग किया है... ...

श्री अर्जुनदास : He did not say...

श्री भैरोंसिंह : मन्त्रीमण्डल के सदस्यों के लिए नहीं कहा। 'मन्त्रीमण्डल' शब्द ही नहीं कहा।

श्री हरिदेव जोशी : वह किस हद तक ठीक है, आप स्वय व्यवस्था दें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने 'मन्त्रीमण्डल' शब्द ही नहीं कहा। मैंने तो शान्ति और व्यवस्था के लिए बताया था।

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, सदन के सामने भ्रष्टाचार के मामले रखे जाते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड का गठन किया जाता है, बताया जाता है कि फलां ने पटवारी को, अमीन को, तहसीलदार को पकड़ लिया, दो महीने की सजा दे दी, जुर्माना कर दिया, वार्निंग दे दी और यहां सूचना दी जाती है, आंकड़े पेश किये जाते हैं और सरकार की सफलताओं के विचार प्रकट किये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो चार मिसालें पेश करना चाहता

×××× श्री अध्यक्ष के आदेश से उक्त अभिव्यक्ति कार्य-विवरण में से पृथक की गई।

Page No.52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं । एक तो यह है कि ग्राम जल बोर्ड है, उसमें ८० लाख रुपयों का घोटाला है । सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, वाटर वर्क्स को नियुक्त किया गया कि इसकी जांच करके देखें । इसकी ऑडिटर ने जांच की । वाटर वर्क्स सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने जांच की और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को उसकी रिपोर्ट की । जब उनके पास जांच की रिपोर्ट पहुंची तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जल बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, बद्रीनारायण सोडानी उनको प्रोसिक्यूट किया जाय । जब कागज़ मुख्य मंत्री महोदय के पास आया तो स्वायत्त शासन विभाग से कहा गया कि क्या घोटाला है जाकर जांच करो । पांच फरवरी की बात है वहां पर मीटिंग बुलायी गई, ऑडिटर भी वहां उपस्थित थे और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री भी उपस्थित थे और दूसरे भी अधिकारी उपस्थित थे । मैं इस संबन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जिसका माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जवाब देंगे कि जब जल बोर्ड का यह कायदा है, जब कोई काम होता है उस काम के लिये रुपया ले लिया जाता है तो काम होने पर सेन्ट्रल बोर्ड को कम्पलीशन की रिपोर्ट भेजी जाती है । क्या ऑडिटर ने इस बात की रिपोर्ट की है कि काम खत्म होने से पहले, यानी काम तो दो साल बाद खत्म होता है और बिल पहले बना लिये जाते हैं और उन बिलों का भुगतान हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, रसीदें फ़र्जी बनादी गईं, काम पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही हजारों रुपये के बिल बना दिये गये और उनसे रुपया वसूल कर लिया गया अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो काम दो साल बाद पूरे हुए और कुछ काम तो पूरे भी नहीं हुए उनकी कम्पलीशन रिपोर्ट क्या बराबर आती रही है और उसके आने पर ही उनको पैसा दिया गया, इस बात का स्पष्टीकरण करें ? राजस्थान सरकार से हम जानना चाहते हैं कि जिस जल बोर्ड में ८० लाख रुपये का घोटाला है क्या उसके बारे में जांच करवायेंगे ?

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में और भी विभाग हैं जिनके करप्शन की बातें और भी दिल हिला देने वाली हैं । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं ट्रान्सपोर्ट के महकमें का उदाहरण प्रस्तुत करूँगा । अध्यक्ष महोदय, इस महकमे के आगे आप चले जाइये कई व्यक्ति बैठे हुए मिलेंगे, उनसे पूछिये आप किसलिये बैठे हैं तो वे जवाब देंगे परमिट के लिये । मैंने भी इस बारे में जानने की कोशिश की और मैंने एक परमिट के लिये आये हुए व्यक्ति से पूछा, भाई तुम यहां क्यों बैठे हो, परमिट लेना है । मैंने पूछा आपको परमिट कैसे मिलता है, उन्होंने कहा आज-कल तो परमिट के लिए थ्री डब्ल्यु का फॉर्मुला लागू है ।

श्री ज्वालाप्रसाद : आप इनकी ही शायद वकालात करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी रखते हुए) यह तो आपके लिये छोड़ रखा है । मैं आर० टी० ए०, एस० टी० ए० में वकालत नहीं करता, हाईकोर्ट की प्रेक्टिस करता हूं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि मैंने उन महाशय से पूछा परमिट कैसे मिलता है; उन्होंने कहा आज कल तो थ्री डब्ल्यु होना चाहिये; परमिट तो क्या, सब कुछ मिल सकता है । मैंने पूछा यह थ्री डब्ल्यू क्या बला है; रूस ने स्पुटनिक निकाला और हमारे कांग्रेसी शासन ने थ्री डब्ल्यु

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निकाला ! मैंने सोचा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो उसमें तीन शेर हैं इसका नाम थ्री होगा, लेकिन जब उनसे इस थ्री डब्ल्यु की व्याख्या सुनी, अध्यक्ष महोदय, तो मै आश्चर्य में रह गया। वे कहने लगे थ्री डब्ल्यु का मतलब होता है 'वाइन, वेल्थ एन्ड वूमेन'। यह हमारे कांग्रेसी शासन की देन है। यदि कोई सबसे भ्रष्ट विभाग है तो वह है हमारा ट्रान्स-पोर्ट विभाग, इसलिये माग करता हूं कि जितना जल्दी इस विभाग का खातमा किया जाय अच्छा है। मैं इस विभाग के कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। जयपुर-कोटा रूट पर बस चलाने की दो साल से मांग की जा रही है, लेकिन उसको ठुकरा दिया जाता है और उन्ही लोगों को टेम्परेरी पर्मिट इश्यू कर दिये जाते हैं और उनका एक्सटेन्शन कर दिया जाता है, स्टे ऑर्डर्स जारी कर दिये जाते हैं, जयपुर-अजमेर रूट के लिए मांग की जाती है उनको पर्मिट नहीं दिया जाता है और जो पहिले से पर्मिट हांसिल कर चुके हैं उनको एक्सटेन्शन दे दिया जाता है, स्टे ऑर्डर्स जारी कर दिया जाता है। जब हाईकोर्ट में मामला जाता है तो ऐसी बातें इसी विभाग के लिये हां यह बात नहीं, सभी विभागों में इस तरह की बातें होती हैं। जंगल विभाग का पानरवा काण्ड हमारे सामने है, जिसके बारे में बार बार मांग करने पर भी हमारे मुख्य मंत्री महोदय जांच करने का आश्वासन नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सदन में पिछली बार भी मैंने नाथद्वारे में मिले खजाने के बारे में कुछ तथ्यों के आधार पर बातें रखी थीं उनका उत्तर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बातों को स्वीकार किया था। मैंने कहा था कि खजाना २५ तारीख को मिलता है और उसके बाद १० तारीख को उसकी इन्वेन्टरी बनायी जाती है। मैंने उन पर यह आक्षेप भी लगाया था कि २४ तारीख को माननीय मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और यह भी आरोप लगाया था कि वे वहां महन्त से मिलते हैं और एकान्त में बातचीत करते हैं। इस प्रकार जितने भी आरोप मैंने माननीय मुख्य-मंत्री पर लगाये थे वे सब उन्होंने स्वीकार किये। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे २४ तारीख को वहां गये थे, उन्होंने इस बात को भी माना कि महन्त से वार्तालाप किया था और यह भी बात उन्होंने स्वीकार की थी कि जो खजाना मिला उसकी इन्वेन्टरी १५ दिन के बाद बनाई गई। इतनी बातों को स्वीकार करते हुए भी उन्होने एक स्टेटमेन्ट की आड़ लेकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। वैष्णव कमेटी के चेयरमेन का स्टेटमेन्ट लाकर उन्होंने सदन में बताया; जो पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर द्वारा सर्कलेट हुआ है उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। मैं इस बारे में सदन के नेता और माननीय मुख्यमंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन वाकेआत को आपने माना और जो बम्बई में प्रेस कॉन्फ्रेन्स हुई उसमें आपके विश्वास-पात्र एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर भी मौजूद थे जिनको क्रोस किया गया था, उस प्रेस कोन्फ्रेन्स के अन्दर किस प्रकार क्रोस एग्ज़ामिन किया, मैं उस सम्बन्ध में सदन को जानकारी देना चाहता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस सम्पत्ति को साढ़े तीन लाख का कहा जाता है, वह साढ़े तीन लाख का नहीं बल्कि पचास करोड़ के करीब का है, (हंसी) इस पचास करोड़ की सम्पत्ति के बारे में मुझे तब पता चला जब कि जयपुर के जौहरियों से इस बारे में पूछा गया। कुछ माल उन दिनों बाजार में बिकने आया था। आप भी अन्दाज लगा सकते हैं, अध्यक्ष

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय, जहां आठ आठ सन्दूक खचाखच भरे हुए हों जिसमें २४-२४ सेर माणिक, मोती, हीरे, जवाहरात निकले हुए हों तो क्या आप उसे साढ़े तीन लाख का ही कहेंगे ? मेरे पास वह स्टेटमेन्ट है जो प्रेस कॉन्फ्रेन्स में दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है, इस पर कहा गया आज के जमाने में ऐसा भी हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जो एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर है, जो हमारे मुख्य मंत्रीजी के खास आदमी हैं, क्या उन्होंने इस बारे में उनसे पूछा है कि उन्होंने १५ दिन के बाद उसकी इन्वेन्टरी क्यों कराई, इसके ख़ास जिम्मेदार वे हैं और वे हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के के खास आदमी हैं, इस नाते यह सारी जिम्मेदारी हमारे मुख्य मन्त्री पर हो जाती है। इस लिए ऐसे व्यक्ति को फौरन कस्टडी में लिया जाय और उसको जुडिशियल लोक-अप में भेजा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारे मुख्य मन्त्री कहते हैं कि अगर एक भी आदमी को उनके प्रति सन्देह हो तो वे इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते, आज ही अखबारों में छागला रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा; सारी रिपोर्ट में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। उस रिपोर्ट का क्या असर होता है, हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री इस्तीफा देकर मद्रास को रवाना हो जाते हैं। एक तो वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पर सन्देह होने पर इन्क्वायरी कमीशन बिठाया, दूसरी तरफ उसी संस्था से सम्बन्ध रखने वाले हमारे मुख्य मंत्री हैं जिनके बारे में बार बार कहा जाता है, फिर भी वे इस नाथद्वारा कांड पर जांच कमीशन बिठाने को तैयार नहीं होते। आप कहते हैं कि एक आदमी के सन्देह करने पर वे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहां तो एक आदमी नहीं सारा विरोधी पक्ष आपको सन्देह की नजर से देखता है, सारी जनता चाहती है कि आप इस कुर्सी को त्याग दें। हम यह चाहते हैं कि जिस प्रकार टी.टी.कृष्णामाचारी अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर मद्रास के लिए रवाना हो गये, हम भी यही चाहते हैं कि आप भी इसी तरह अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर उदयपुर के लिये रवाना हो जाइये, क्योंकि आपके शासन काल में राज्य में बहुत भ्रष्टाचार फैला है, आपके शासन-काल में नाथद्वारे का यह कांड हुआ है, पानरवा का कान्ड भी आप ही के शासन-काल में हुआ। इतना होते हुये भी आप अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। इस बारे में मुझे अध्यक्ष महोदय, एक किस्सा याद आता है, वह मैं सुनना पसन्द करूंगा। एक समय की बात है, अध्यक्ष महोदय, एक मजिस्ट्रेट महोदय के सामने एक पीर को लाया गया। शायद उस पर चोरी या भ्रष्टाचार का आरोप होगा। मजिस्ट्रेट जरा मज़ाकिया थे, उन्होंने पी. एस. आई. से पूछा, "पी० एस० आई० साहब, यह तो बताइये ये कौन हैं ?" उन्होंने कहा, "ये हजूर, किसी जगह के पीरजादे हैं।" मजिस्ट्रेट साहब मजाकिया थे, उन्होंने कहा, "पी० एस० आई० साहब, जिस जगह के पीरजादे ऐसे होते हैं तो वहां के हरामज़ादे कैसे होंगे ?"

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि आज जिस व्यक्ति के हाथ में राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता का भाग्य है वे हमारे मुख्य मंत्री हैं ! आज उनकी हालत यह है, मैं उनसे यह चाहूंगा यदि वे अपने आपको सोने की तरह स्वच्छ मानते हैं तो उनको इस प्रकार की इन्क्वायरी बिठाने में क्या आपत्ति है, मैं उनसे किसी दूसरी चीज़

Page No.55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की इन्क्वायरी नहीं चाहता। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आज इस बात का सदन को आश्वासन दें कि नाथद्वारे के मामले में वहां एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के खिलाफ जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाई जायगी। वे यह भी आश्वासन दें कि जिस प्रकार टी. टी. कृष्णामाचारी ने जो मार्ग अपनाया उसी प्रकार वे भी अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर उदयपुर के लिए रवाना हो जायें। लेकिन यह हिम्मत उनकी होने वाली नहीं क्योंकि जुडिशियल इन्क्वायरी में उनको डर लगता है, ऐसा करने से उनकी बातें चौड़े में आती हैं, यदि वे सच्चे हैं तो उनको डरने की क्या जरूरत ? गांधीजी के वे चेले बनते हैं, नाम उनका लेते हैं, केवल कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ! मैं नहीं समझता, जिस राज्य के मुख्य मंत्री इस प्रकार के होंगे तो अन्य मन्त्रियों के लिए तो क्या कहा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारे मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि हमें विरोधी पक्ष की ओर से सहयोग नहीं दिया जाता, लेकिन आप सहयोग लेना किसका चाहते हैं ? आप तो यह चाहते हैं कि कहीं इन लोगों को किसी चीज़ में शामिल कर लिया तो सब फेक्ट्स इनके सामने आ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने घड़ी की ओर देखना शुरू कर दिया है और मेरी नजर भी घड़ी की तरफ है, मैं अब ज्यादा समय न लेकर इतना ही निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री नाथद्वारा मन्दिर कांड पर जुडिशियल इन्क्वायरी बिठावें, पानरवा कांड पर भले ही वे चार महीने बाद विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री को पुनः उनके शब्दों को याद करने की ओर ध्यान दिलाता हुआ उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने शब्दों में पक्के हैं, वे अपने वचनों के पक्के हैं तो उन्हें जांच की शुरूआत अपने खुद से शुरू करनी चाहिये, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के सामने खड़े होकर उन्हें कहना चाहिये कि उन पर जो सन्देह किया गया है वे उसके लिये जुडिशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं। उनका दामन पाक है तो उन्हें डरने की क्या आवश्यकता ? जुडिशियल एन्क्वायरी से क्यों डरना चाहिये ? एग्ज़ीक्युटिव अफसर के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? २४ को खज़ाना मिलता है, २५ को वह जयपुर में आ जाता है, पन्द्रह दिन बाद इन्वेन्टरी बनाई जाती है, नेहरूजी को तार देते हैं, ढेबर भाई को तार देते हैं, पन्तजी को तार देते हैं, चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिये कि जब एग्ज्युज़ीटिव ऑफीसर ने २५ तारीख को तार दिलवाये तो ट्रस्ट के दो मेम्बरों को चतुर्भुज और श्यामलाल को, क्यों नहीं बुलाया ? तीन घण्टे तक कार्यवाही करते रहे, खजाना भर भर कर सन्दूकों में महाराज के अन्दर ले जाये गये। २४-२४ बक्से पन्द्रह दिन तक उनके कब्जे में रहे। मैं जानना चाहूंगा एग्ज़ीक्युटिव अफसर ने, २५ तारीख को जब मालूम हुआ तब, सबको क्यों नहीं बुलाया ? मुख्य मंत्रीजी एकान्त में महन्तजी से बातें करते हैं और फिर पन्द्रह दिन बाद इन्वेन्टरी बनाई जाती है। सारी बातें बिलकुल साफ साबित करती हैं कि सारी चीजों में कोई षडयन्त्र है, कोई घोटाला है, कोई राज है और कोई रहस्य है। इसलिये हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि आप इसके लिये एक जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाएं और स्वयं मुख्य मंत्री जी अगर इसकी लपेट में आ जावें तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चिन्ता न करें। चिन्ता करने का कारण नहीं, यह हम उनसे अपेक्षा करते हैं। इस तरह से जनता के इन दुख –दर्दों को देखकर ही यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है ! इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, मैं समझता हूं कि नसीराबाद और मावली से आने वाले माननीय सदस्य कन्विंस हुए होंगे कि वास्तव में जो थोड़े से समय में यहां बातें बताई गई हैं वे उचित हैं और इस सरकार में ऊंचे से नीचे तक वास्तव में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ऊपर का जब यह हाल है तो नीचे का क्या हाल होगा ? मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में इतना कहकर समाप्त करता हूं ।

१.३२ म० प०

(श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री, के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : यह गवर्नमेंट रिप्लाई शुरू हो रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : जी हां, हो रहा है। आज दो दिन से इस सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव विरोधीपक्ष के दो माननीय सदस्यों ने रक्खे, उन पर बहस हो रही है। बहस में इन दो प्रस्तावों पर प्रस्तावकों के अलावा विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया। कुछ इस तरफ से भी सदस्य बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ नहीं पाया कि जब राज्यपाल महोदय के भाषण पर हम चार दिन तक चर्चाएं कर चुके और करीब करीब यही गांगरत, जो अब गाई गई, उस समय भी गाई जा चुकी थी, तो अब नये सिरे से फिर गाने का क्या कारण हुआ ? और फिर इसमें मैं यह कह सकता हूं कि एक भी नया मुद्दा ऐसा नहीं रखा गया जिनका जवाब इन ट्रेज़री बेंचों की तरफ से पहले न दिया गया हो। फिर भी यह एक तमाशा जो करना था उसके पीछे क्या भूमिका है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में प्रकाश डालूंगा, पर अभी जो जयपुर शहर से आने वाले एक माननीय सदस्य, जैसे वे आम तौर पर बड़े तोड़ तड़ाक से बोलते हैं, उसी तरह से, बोल रहे थे कि नाथ-द्वारा के बारे में जो बातें वे कह रहे हैं वे सही हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिये। इसके बारे में मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। इसी तरह से कल दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह राज्य चीफ मिनिस्टर साहब को छोड़ देना चाहिये क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि किसी एक को भी सन्देह उन पर हो जावेगा तो वे इस कुर्सी को छोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कोई न मांगे से मिलता है और न कोई, जैसा कि आम कहावत है कि ढोर के मरने के लिये कब्बे रोज चिल्लाते रहते हैं कि ढोर मरे और हम खावें; पर कव्वे के कहने से ढोर मरते नहीं और मंगते के मांगने से राज मिलता नहीं।

(हंसी)

राज्य आज जनतन्त्रवाद से चलता है, वोट से चलता है। इसलिये जयपुर से आने वाले जोर जोर से गला फाड़कर नाथद्वारा की इन्क्वायरी मांगें और साथ साथ यह कहें कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें तो इनके कहने से इस्तीफा देने वाले नहीं, जोर जोर से कव्वा बोले उससे क्या ढोर मर जावें, इससे ढोर मरते देखे नहीं।

श्री चन्दनमल वेद : आप जांच तो करावें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं भूमिका के बारे में अब निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में कुछ माननीय सदस्य हैं जो इस सरकार से नाराज हैं और वे नाराज़ हैं इसलिये कि सरकार की नीति प्रगतिशील है, किसानों के बारे में मजदूरों के बारे में या जो गरीब आदमी हैं उनको उठाने के बारे में । ये नाराज़ होने वाले सदस्य जनसंघ से आये हैं जो एक वेस्टेड इन्टेरेस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं । वे जानते हैं कि सरकार इसी तरह से प्रगतिशील नीति पर दृढ़ रही और आगे बढ़ती रही तो उनका दल जैसा बढ़ना चाहिये नहीं बढ़ेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं....

राजा श्री मानसिंह : That an Hon. member of the House should make allegations that every member is representative of the vested interest across the floor...

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ? इसलिये मैं जगह छोड़ता नहीं हूं ।

(हंसी)

अपना भाषण जारी रखता हूं । मैं निवेदन कर रहा था कि आज उनको जनता की प्रगति से डर लगने लग गया है । वे वेस्टेड इन्टरेस्ट्स की वकालत करना चाहें, करें । उनका कहने का हक है, गला फाड़ फाड़ कर कहें, मकान की छत पर चढ़कर कहें । मुझे इसमें एतराज नहीं ।

पर भ्रष्टाचार की चटनी और अचार बनाया है जो उन्होंने इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं । किसी बात के बारे में, जो जिस हद तक नहीं है, उतनी हद तक कहना हानिकारक होता है । सही इरादे से काम करने वालों को भी इससे बाधा पहुंचती है । इसलिये उतना ही हल्ला करना चाहिये जितना आवश्यक हो ।

यह नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन क्यों आया इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि अभी कुछ थोड़े दिनों के बाद में कौंसिल ऑफ स्टेट की सीटें कुछ खाली हो रही हैं और उनका चुनाव होगा । ऑपोजीशन वालों ने सोचा कि अपने मतीरों का भारा बिखरा है उसको एक जगह इकट्ठा करें तो ऐसा स्टन्ट बिठावें जिसके जरिये एक हो जावें और इसलिये उन्होंने यह स्टन्ट किया, पर यह स्टन्ट भी कहां तक कामयाब होगा यह जब वोटों का नतीजा निकलेगा वो सामने आ जावेगा । पर इसके साथ ही एक बात यह भी मैं नहीं छिपाना चाहता कि कुछ साथी जो इस ओर बैठे हैं वे भी थोड़ी थोड़ी नाराजगी रखते हैं और विरोधी पक्ष से जब कोई कुछ बोलता है तो वे कभी मुँह उठाते हैं और ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि जैसे वे जो कहते हैं वह ज्यादा सही है और हम जो कहते हैं वह ज्यादा गलत है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किधर बैठने वाले, उधर (राज्य पक्ष की ओर संकेत करते हुए) बैठने वाले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एक राजनीति है और इसमें बहुत से लोगों को नाराजगी है, वे इसी कुर्सी पर अगर बैठें तब ज्यादा सही काम कर सकते हैं और उनमें से कोई साथी आकर बैठ जावे तो ज़्यादा सही काम नहीं कर सकता, कुछ लोगों का यह मनना है । हो सकता है, वे अपना मानना रक्खें और हमसे ज्यादा नाराज हों तो इधर उधर जाकर ठीक कर लें अपना रवैया । पर इस तरह का तरीका काम में लाना, जिसमें कोई तथ्य न हों, ताकत न हो, पर चिल्ला चिल्ला कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गलत बातों को सदन में बताना उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आॅन ए पोइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर, तीन बार 'चिल्ला चिल्ला कर' शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो तीन दफा 'चिल्ला चिल्ला कर' शब्दों का प्रयोग किया है इसके बारे में मैं उनको याद दिलाऊं कि श्री हरिदेव जोशी ने 'चिल्ला चिल्ला कर' शब्दों को अनपार्लियामेन्टरी शब्द कहा था, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इन्होंने 'चिल्ला चिल्ला कर' शब्दों का प्रयोग किया है उनको प्रोसीडिंग्स से निकालने की आज्ञा प्रदान की जाये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : 'चिल्ला चिल्ला कर' मीन्स जोर जोर से और इस तरह से आप ही बोलते हैं, मैं नहीं । इसलिए ही मैंने यह कहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने एक दफा पिछली बहस के समय भी यह कहा था कि मुझे उसी स्तर पर बहस करनी पड़ेगी जिस स्तर पर कि माननीय सदस्य ने उत्तर चाहा है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई तथ्य हों, कोई आंकड़े हों, कोई जानकारी हो, कोई रीति-नीति के बारे में बात कही हो तब तो मैं उनका सही रूप से सोच-समझकर जबाब दूं । परन्तु जब यही कह दिया जाता है कि यातायात महकमा ऐसा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है और उन्होंने तीन डब्ल्यु बताये । मैंने तो कभी जिन्दगी में ये शब्द सुने नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आदमियों की जैसी मनोवृत्ति होती है और जिस स्तर के आदमी होते हैं उनको थ्री डब्ल्युज़ ही रात दिन दिखाई देती हैं और इसी दृष्टिकोण से यह बात उन्होंने यहां सदन में कही । मुझे तो यातायात विभाग में तीन डब्ल्युज़ दिखाई देते नहीं । क्या पता कौन यह देखता है और कौन इनको इस तरह की बात कहता है ? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, जिस आदमी के पास में जैसा चश्मा होता है वह उन चीजों को उसी चश्में से देखता है । तो जो आदमी जिस चश्मे से देखते हैं और जिस तरीके से कहते हैं उनको सोचना चाहिए कि कहीं मैं तो खुद ऐसा नहीं हूं जो दूसरों के लिए ऐसी बात कहता हूं । जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मैं उनके लिए कह दूं तो क्या परिणाम निकलने वाला है, इसके लिए आप अन्दाजा लगा सकते हैं !

इसी तरह से वन विभाग के विषय में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वन विभाग में भी ठेकेदारी के मामले में घोटाले हो रहे हैं, मुझे तो दिखता नहीं कि कहां घोटाले हो रहे है...........

श्री भैरोंसिंह : मैंने बताये और आपने नहीं सुना हो तो फिर सुन लो और गिन लो, पानरवा, नीनवाड़, बयावास, कूकस........

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पानरवा के बारे में कहा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मैं उसकी जांच कर रहा हूं । अब आपने कहा है कि जुडिशियल इन्क्वायरी करवाओ तो फिर आप ही बताओ, क्यों साहब यह जरूरी है क्या ? अगर सरकार इन्क्वायरी करवा दे तो ईमानदार और नहीं करवाये तो उसमें अविश्वास हो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गया; मैं कहता हूं कि क्या हर एक केस में इन्क्वायरी कराना जरूरी है ?

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक को कॉन्फीडेन्स में लेने के लिए जरूरी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या पब्लिक को कॉन्फीडेन्स में लेने का ठेका आपने ही ले लिया है ....

श्री भैरोंसिंह : हां....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कितने रुपये में लिया।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्क्वायरी करायें सरकार जब तो अच्छी, नहीं तो बुरी। जब हम खुद कह रहे हैं कि हम उस मामले को देख रहे हैं तो आपको विश्वास रखना चाहिए, मगर वह कहते हैं कि हमें तो विश्वास नहीं है; तो बस ठीक है आप अपना काम कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी समय दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कल मेरे महकमे का जिक्र किया और उन्होंने चलते समय कहा कि मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट चला गया था और उस दफ्तर गया तो वहां पांच आदमियों को पेशाब करते हुए देखा, देख लिया होगा और फिर आगे कहा कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ देखा। हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उस दिन मेहतर न आया हो और उनके पहुंचने के पहले सफाई नहीं हुई हो। फिर उन्होंने वहां जाकर कहा कि मैं एम. एल. ए. हूं तो वह कहने लगे कुर्सी पर बैठो। तो मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य के साथ कोई अभद्रता का व्यवहार तो उन ऑफिस वालों ने नहीं किया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि गांव वाले आदमियों के साथ ऐसा होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर पर भी रोज बीस-पच्चीस गांव वाले आदमी आते हैं, मगर उन लोगों ने आज तक शिकायत नहीं की कि ऑफिसर्स लोगों ने उनको कभी ठीक तरह से रास्ता नहीं बताया या उन्होंने ठीक तरह से उन गांव वालों को किसी केस में जवाब नहीं दिया। जिसको जैसा जैसा जवाब मिलना होता है, मिलता है और मैं जानता हूं कि निःसन्देह हर महकमे में लोगों के साथ ठीक तरह से बर्ताव होता है। एम. एल. ए. का नाम बताकर उनको सीट दे दी तो इसमें उन्होंने क्या बुरा किया और फिर इसमें शिकायत की क्या बात है ? तो मैंने कहा कि क्रिटिसिज़्म का कोई मुद्दा नहीं था, मगर चलते हुए यह टोरे जिस तरह से मारे गए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी उनको जवाब टोरों के रूप में ही दूंगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : २॥ साल से रुपया अभी तक नहीं मिला, क्या बात है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून चलता रहता है, कभी दो महीने में पेमेन्ट मिल जाता है, कभी महीने में ही मिल जाता है, यह प्रोसीजर का मामला है। कहीं पर रुकावट आती है तो प्रोपर स्टेज पर बताओ तो उन कागजों की जानकारी करके ठीक तरह से कार्यवाही करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब काम के करने का तरीका है तो उसी के तरीके से काम करना चाहिए।

श्री मदनसिंह (दांता–रामगढ़) : इसी तरीके को तो भ्रष्टाचार कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसी भ्रष्टाचार से तो आपका दिमाग खराब हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कहने लगे कि डेमोक्रेसी के तरीके ऐसे ही चलेंगे और १० जगह जाकर काम तय होता है। अगर उसको भ्रष्टाचार कहते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं और यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपने जिन्दगी भर जो काम किया है वह यह किया है कि घोड़े पर सवार होकर तलवार और बन्दूकों की ट्रेनिंग देना और इस जनतंत्र को पनपने नहीं देना और आपने जो उस समय भाषण दिए हैं वह भी हमने सुने हैं और उस समय आप कहा करते थे कि इन सफेद मुर्दों को तो ठोकते-ठोकते काबुल के दर्रे से बाहर निकाल दूंगा। तो ठाकुर साहब वह तो यहीं बैठे हैं, कहीं बाहर-बाहर नहीं गए, कहीं काबुल के दर्रे के बाहर नहीं गए, राज्य भी करते हैं और जनता का भला भी करते हैं अगर आपको यह बात पसंद नहीं आती है तो मैं कह नहीं सकता।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम गलत है, मैंने ऐसा विचार ही नहीं किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और बताऊं कि जिस समय कन्ट्रोल का जमाना था उस समय जोधपुर की एक अलग रियासत थी, इसके लिए मैं यह कहता हूं कि उस समय मनुष्यों के खाने के लिए गुड़ नहीं मिलता था और उसकी काफी कमी थी और यह अपने घोड़ों को खिलाने के लिए गुड़ का परमिट लाते थे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पर उन लोगों का कोई असर नहीं पड़ता है जिनको हम जानते हैं। इसलिए वह अपने चरित्र का रौब गालिब करना चाहें तो उसका हम पर असर ही नहीं पड़ सकता।

(करतल–ध्वनि)

श्री मदनसिंह दांता : वह रौब तो हमेशा के लिए रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकारी रीति-नीति की बात पर आता हूं। उन्होंने अपनी बात रीति-नीति का नाम लेकर शुरू की और कहने लगे कि इस सरकार की तो कोई रीति-नीति ही नहीं है और फिर इस पर बोलते हुए उन्होंने सबसे पहले हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स का पोथा पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने उठाकर दस-पन्द्रह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स के नाम पढ़ डाले और उन सब के महकमों के नाम गिना डाले और उनके लिए एक तरफ तो कहते हैं कि वह काबिल हैं, अच्छे हैं और दूसरी ओर वह कहते हैं कि वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स के लायक नहीं हैं। असल में उनकी यहां दुरंगी चाल रहती है, ताकि ऑफिसर एक तरफ से नाराज हो जायेगा तो दूसरी ओर उसकी बड़ाई कर देते हैं। तो एक तरफ तो अच्छा-अच्छा कहते जायें और दूसरी तरफ यह कहना कि वह काम के लायक नहीं हैं और फिर इतना नहीं कहें तो फिर सरकार के साथ में यह वाद-विवाद की कड़ी को जोड़ें कैसे? अब आगे वह कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का डाइरेक्टर नाकाबिल है। क्या मालूम उनके दिमाग में क्या था? क्या वह बूढ़े आदमी हैं, बुरे आदमी हैं; क्या बात है? मगर नहीं, उन्होंने तो एक दम से कह दिया कि साहब, ट्रांसपोर्ट के लायक नहीं हैं वह। आखिर क्या बात है, क्या उनमें कमियां हैं? मगर बस, कह दिया कि अच्छे आदमी हैं मगर ट्रांसपोर्ट के लायक नहीं हैं। मैं अंदाजा लगाता हूं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि एक तरफ तो अच्छा भी कहते जायें और फिर नालायक भी कहते जायें, यह इनकी दुरंगी चाल है। अगर ऐसा नहीं करें तो इनको ऑफिसों में कौन घुसने दे ? इसी तरह से एग्रीकल्चर के डाइरेक्टर के लिए कहने लगे कि वह अच्छे आदमी हो सकते हैं मगर उसके लिए टैक्नीकल आदमी होना चाहिए। मेरे सामने भी यह मामला पेश हुआ और मैं इसकी गहराई में गया हूं और मैं इसके बारे में जिम्मेदारी लेना चाहता हूं कि इस पोस्ट पर टैकनीकल आदमी की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की हर ब्रान्चेज़ में उनके हैड्स को हमने टैक्नीकल आदमी रख छोड़ा है और यह सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं और यह सब ५०० से ८०० तक की ग्रेड के हैं। मगर इस सारे डिपार्टमेंट में टैक्नीकल लोगों का को-ऑर्डीनेशन करने के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी का होना आवश्यक है और श्री समरथराज जी इस डिपार्टमेंट का काम करते हैं और मैं दावा कर सकता हूं कि उनके इस काल के अन्दर इस महकमे में बहुत प्रगति हुई है। सारी स्कीमें चली हैं और सबके अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमारे राजस्थान में धान का उत्पादन बढ़ा है और वह एक्सपोर्ट के आंकड़ों को उठाकर देखा जा सकता है और इस साल कमी की स्थिति को देखते हुए यह आशा की जाती है कि यह सैल्फ-सफिशियेन्ट है। मुझे उनके काम से पूरा सन्तोष है और इसका जिम्मेवार मैं हूं कि मैंने उनको इस महकमे का डाइरेक्टर रखा है। मैं इस बात की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटि लेता हूं कि इस महकमे का काम बड़े सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से चल रहा है।

इस प्रकार से कई हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स का जिक्र किया गया है उनके बारे में डिटेल्स में मैं सदन का टाइम नहीं लेना चाहता हूं। फिर कल वे इस तरह की बहस कर रहे थे कि जैसे सारे प्रान्त के महकमों के डाइरेक्टरों को मुकर्रर करने का जिम्मा उनका है। सही या गलत सारी बातों को ठीक ढंग से सोच सकते हैं। यह ठीक है कि अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। उस हद तक एक बात कह देते तो ठीक था। कह देते, मानना या न मानना सरकार का काम है। किस आदमी को किस विभाग में रखा और किस जगह पर उससे काम लेना है यह सरकार में काम करने वाले लोगों के सोचने का जिम्मा है।

इसी प्रकार से इन्डस्ट्री के बारे में चर्चा की, इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने चर्चा की। जिस कमेटी के वे सदस्य हैं उस कमेटी का सदस्य उनके साथ में रहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है उस कमेटी के अन्दर। मैं बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान के इन्वेस्टमेंट हैं वे पुरानी स्टेटों के वक्त के थे। उनके अन्दर कई जगह डिविडेन्ड नहीं मिल रहा था। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये बता देना चाहता हूं सदन के सदस्यों की सूचना के लिए कि पिछले ३-४ वर्षों से इन्वेस्टमेंट का ठीक तरह से मेनेजमेंट कर डालने के लिए, ठीक तरह से बेलेन्स शीट प्रिपेयर करवाने की वजह से कुछ कन्सर्न्स ने, जिन्होंने अभी तक डिविडेन्ड नहीं दिया था, उन्होंने, पिछले २-३ वर्षों से डिविडेन्ड देना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट के अन्दर सुधार हुआ है। फिर भी जिनमें सुधार नहीं हुआ है तो जांच पड़ताल जारी है और हम यह चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट सरकार के हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेन्ड मिले।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इनके बारे में विस्तृत जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी करायेंगे, जो कि इस विभाग के मंत्री भी हैं।

शिक्षा की नीति को लेकर भी चर्चा की गई। उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी जो शिक्षा विभाग के मन्त्री हैं, वे विशेष रूप से उन बातों का जवाब देंगे।

उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स के बारे में बात कही गई। कई दफा इसकी चर्चा हो गई है इस सदन में और कई दफा उसका जवाब दिया जा चुका है। कागजों की कमी थी या क्या बॉटल नेक्स थे, किस वजह से कुछ हुआ है, ये सारे फेक्टर्स समझाये जा चुके थे। फिर भी एक बात को लगातार कहना और इस सदन का समय लेना, मैं मानता हूं, माननीय अध्यक्ष, यह की समय का सही उपयोग नहीं होगा। आज जो दो दिन इस चर्चा के विषय में लगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था जनता के धन का दुरुपयोग है। रात-दिन बैठकर हम बहुत कुछ रचनात्मक बातें कर सकते थे। जो जरूरी लेजिस्लेटिव वर्क था और बहुत दिनों से पेंडिंग है वह निकल सकता था, परन्तु अपनी पार्टी के अन्दर एकता कायम हो जाय क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए, यह स्टन्ट पैदा कर दिया।

राजा श्री मानसिंह : You did not waste time of the House on the District Board Act !

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास कर दिया और लागू कर दिया है। उसमें वेस्ट क्या हुआ ? दूसरी जगह बोर्ड बनने के बाद नई व्यवस्था आ गई है। एक रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई है। वह सदन के सारे मेम्बरों को बता दी है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसके बाद में जैसा दिमाग बन गया है वैसा काम करेंगे।

तो, माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता था कि जो कुछ तर-तराटे की चर्चा हुई है उसमें विशेष रूप से मैंने कोई ऐसा पॉइन्ट नहीं देखा जो कि पहले बहस के दौरान में नहीं आया हो, जिसका उत्तर इधर की बेन्चेज़ की तरफ से नहीं दिया गया हो। सब का उत्तर दिया जा चुका है फिर भी कुछ वक्तव्य अलग अलग विभाग के इस ओर बैठने वाले सदस्य पेश कर देंगे, उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष मान लेना चाहिए।

मैंने एक बात कह दी, यद्यपि मैंने माइक्रोफोन पर नहीं कही थी, एक प्रश्न के बारे में कहा था कि जुडीशियल एन्क्वायरी मुकर्रर की जाय, तो मैंने कह दिया कि मैं यहां बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं जुडीशियल ऑफिसर हूँ, लेकिन जुडीशियल ब्रेन रखता हूँ कानून को जानता हूं और वह मामला अभी मेरे हाथ में है। वह निबटाया नहीं गया है और जब तक निबटाया नहीं गया आपको विश्वास रखना चाहिये कि जो कुछ होगा वह सही तौर से होगा और उसमें पूरा इन्साफ किया जायगा और मेरा ख्याल है, इससे सदन के माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा। इस तरह से हम बात बात में जुडीशियल ऑफिसर से फैसला करवाने लगें तो फिर एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर, गवर्नमेन्ट या मिनिस्टर्स के बिठाने की क्या आवश्यकता है ? कल से तो कहने लगेंगे कि दफ्तर में एक होल्डर चला गया, चोरी हो गई, इसलिए

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जुडीशियल ऑफिसर बिठाया जाय। जुडीशियल एन्क्वायरी की एक एक मिनट पर मांग कर सकते हैं। लेकिन हम सारी बातों को मान लें और उनसे सहमत हो जांय यह कोई जरूरी नहीं है। जब हमें विश्वास हो जायगा कि ज्यादा लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो हम अपने आप सोच लेंगे कि क्या करना चाहिये। आप लोगों की एडवाइस की, आप लोगों की मांग करने की हम आवश्यकता नहीं रखेंगे। जिस वक्त हम यह महसूस कर लेंगे कि हमें इस सदन के ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं है, तो आप लोगों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रखेंगे।

(करतल-ध्वनि)

१.५८ म० प०

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो रोज़ से अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में बहस मुबाहसा हो रहा है। कुछ भाषण बहुत कुछ जोश-खरोश के साथ हुए, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल पड़ता है कि जोश-खरोश के साथ में होश की कमी रही। मैं चाहता था कि इस सदन में जो भाषण हुए उसमें जोश के साथ होश भी रहे। कितने ही अहम मसले की बात करें, कितने ही जरूरी से जरूरी मसले की बात करें, कुछ मर्यादा से बोलना चाहिए। कुछ हमारी लिमिटेशन्स हैं, सीमाएं हैं उनके अन्दर रहते हुए जो चीज कहें वह सदन की मर्यादा के अन्दर होगी। मिसाल के तरीके की बात कहूं कि आज ही 'चोर-डाकू' की बात किसी के बारे में कही। क्या कोई भाई सदन में बैठने वाले इस बात को बतला सकते हैं, इसको पार्लियामेंट्री कह सकते हैं कि इस सदन के माननीय सदस्य चोर और डाकू हैं? बड़े अफसोस और गैर जिम्मेदाराना बात कही गई है। वह अनपार्लियामेन्ट्री और वास्तव में बेज़ा है। मेरा ख्याल है कि सन् ५२ में भी इस तरह का तस्करा चला था तो एक भाई ने किसी भाई के लिए जो कि उस समय सदन के सदस्य थे, डाकू का लफ्ज़ कहा था तो उसमें कितना शोर मचा था और जहां तक मुझे याद है वह लफ्ज़ हटा दिये गये थे। ऐसी बात मैं समझता हूं कि आज सदन में कही जाय तो जो कहने वाले हैं उनकी शान के मुआफिक नहीं है और न इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य हैं उनकी शान के मुआफिक है।

एक बात मैं देख रहा हूं कि जो समय बहस मुबाहसे में जाता है वह ज्यादातर निगेटिव बातों की तरफ, डेस्ट्रक्टिव बातों की तरफ जाना चाहते हैं। कन्स्ट्रक्टिव या पोज़िटिव बातों की तरफ नहीं। हमारे सदन के सामने बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर विचार करना था, बहुत पोलिसी के बारे में विचार करना था, उस पर बहुत कम काम हो पाता है। रुपये में १२ आना छोटी-छोटी बातों में समय लग जाता है और बड़ी-बड़ी बातें रह जाती हैं।

सदन में अविश्वास का प्रस्ताव लाना एक साधारण बात नहीं है। सदन के लिए एक असाधारण सी बात है। जब तक कोई बड़ी चीज़ नहीं हो, आम तौर से अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। यदि और मुल्कों को देखेंगे तो इस तरह की चीज़, फॉरेन कन्ट्रीज़ को देखेंगे तो इतनी आसानी के साथ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। जहां तक मैंने सोचा क्या कारण हो सकता है इसका? मैंने सोचा दो बातें हो सकती हैं, एक तो यह कि जो प्रस्ताव को लाते हैं वे

(श्री रामकिशोर व्यास)

वाकई में यह समझते हैं कि प्रस्ताव सफल होगा, प्रस्ताव पास हो जायगा तो गवर्नमेंट को हटा देंगे। दूसरा कारण अगर यह नहीं है तो यह हो सकता है कि जितनी भली बुरी बातें कहने को चाहते हैं वह कहने का मौका मिले। दोनों में से एक बात हो सकती है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि पहली बात के बारे में यदि उनको ख्याल हो कि वे वोट के जरिये प्रस्ताव को पास करा सकते हैं तो अपोज़िशन के सदस्यों की जो संख्या है वह उनसे छिपी हुई नहीं है। वे कांग्रेस से कुछ आशा करते हों तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि भले ही आज चाहे हममें आपस में फर्क हो, मुतफरिक राय हो, जितने बुद्धिवादी लोग हैं वे अलग-अलग सोच सकते हैं, लेकिन आप यह सोचते हों कि अविश्वास के प्रस्ताव में आपकी मदद होगी तो आपको अपने दिल में से यह ख्याल निकाल देना चाहिए। हम आपस में कुछ भी हैं लेकिन जहां तक आपका तालुक है हम सब एक हैं। कौरव पांडव लड़ें आपस में तो भी आपके लिये तो हम १०५ हैं। यह बात आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिये कि आपको इससे कुछ मदद मिल सकेगी।

दूसरी बात यह है कि गाली गलौच करने का मौका मिले तो यों तो आपको काफी मौका मिलता है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आपको काफी कहने का मौका मिला है, सप्लीमेंट्री ग्रान्ट पर आपको काफी कहने का मौका मिला है। आयन्दा बजट के मौके पर भी आपको काफी कहने का मौका मिलने वाला है और भी बहुत से मौके मिल सकते हैं। तो इस मौके का इस समय प्रयोग करना कहां तक मुनासिब है यह आप पर छोड़ता हूं। बहरहाल जिन वज़ूहात से आपने प्रस्ताव रखा है उसको आप ज्यादा जानते हैं। मेरी समझ में ज्यादा बात नहीं आई।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह सदन एक ऐसा सदन है जिसमें तमाम सत्ता एक प्रकार से रखी हुई है। असल में आज जो सत्ता है वह किसी एक व्यक्ति में नहीं है। वह सत्ता सारी जनता में है और जनता की सत्ता आपमें है और आपकी सत्ता इस सदन में है। सदन की सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है। अलग-अलग कमेटियां कायम की जाती हैं, एस्टिमेंट्स कमेटी, पी० ए० सी०, प्रिविलेज समिति हैं, इनको अलग-अलग अधिकार सदन से मिले हैं। उसी तरह से सदन में से ही गवर्नमेन्ट बनती है, उसको भी अधिकार सदन ही देता है, लेकिन ज्यादा नहीं, एक ही सदन के सदस्य सभी हैं, एक कमेटियों में काम करते हैं, भेद यही है। जो गवर्नमेन्ट में भेजे जाते हैं उनको अधिकार, सेलेरी, भत्ता आदि यहीं से मुकर्रर होता है और सदन जिनको हटाना चाहे, हटा भी सकता है। जो गवर्नमेन्ट में जाते हैं वे भी सदन के ही अंग हैं, जुज़ है। आप सब सदन रूपी शरीर के बड़े-बड़े हिस्से हैं। क्या यही तरीका शरीर के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के प्रति होना चाहिये? यदि इस तरह का रवैया एक सदस्य का दूसरे सदस्य के प्रति रहे, चाहे व कमेटी हो या गवर्नमेन्ट में हो, तो यह शरीर बलशाली होनेवाला नहीं है, वह तो कमजोर ही होनेवाला है। कहीं ऐसी परम्परा न पड़ जाय जिसका असर आगे आनेवाले लोगों के लिए बुरा हो। हो सकता है कि आज गवर्नमेन्ट में जो सदस्य हैं वे न रहें, दूसरे

(श्री रामकिशोर व्यास)

लोग आ सकते हैं, कांग्रेस के ही दूसरे लोग आ सकते हैं, कांग्रेस के अलावा पार्टीज़ के लोग भी आ सकते हैं, जिनके आने की आशा कम मालूम होती है, फिर भी ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि गवर्नमेन्ट नाम की संस्था है उसके प्रति कमजोरी हो, उसको दोषी बना दें और बेजा मिसाल कायम हो। मैं आशा करता हूं ऐसी परम्परा माननीय सदस्य नहीं डालेंगे जिससे सदस्यों में आपस में, जो गवर्नमेन्ट में जाते हैं उनके और दूसरों के, आपस में, मनोमालिन्य हो जाय। गवर्नमेन्ट के सामने जितने काम हैं उनमें आपको सहयोग देना अनिवार्य है और आपको सहयोग देना चाहिये, लेकिन सहयोग मिल नहीं रहा है।

बहुत सी बातें इन दो दिनों के भाषणों में कही गई हैं।। उनका अलग अलग तौर से जवाब देना आवश्यक समझता हूं।

एक बात भरतपुर के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के बारे में कही गई कि उनके यहाँ एक नौकर था जो सरकारी मुलाजिम था वह उनके मकान पर रहा और उन डी वाई. एस. पी. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई. .

राजा श्री मानसिंह : Are the facts correct, that is what I want to know ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह ठीक है कि उनके घर पर रहा। इसके बारे में जैसे ही मालूम हुआ वैसे ही इन्क्वायरी कराई गई और मालूम हुआ कि यह वाकया सही था। एक कांस्टेबल उनके मकान पर रहा। इसके बारे में उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्दली रहा करते थे इसलिए रखा। फिर भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। उसकी तीन महीने की तनख्वाह उनसे वसूल की गई।

इसी तरह से कहा गया कि कांग्रेस के आदमी पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। हमारे पास ऐसी खबर नहीं है लेकिन प्राइमाफेसी तो बुरी बात नहीं लगती। कोई गाड़ी में बैठ ही नहीं सकता, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अगर उसका खराब असर पड़ा हो तो नोटिस में लाना था ताकि जानकारी की जाती।

इसी तरह से वायरलेस के आदमियों के बारे में कहा गया कि उनको दूसरी ब्रान्च में प्रमोशन नहीं दिया जाता है। यह सही है। वायरलेस में जिनको लेते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पाने के बाद अगर वे दूसरी जगह चले जाते हैं तो नतीजा यह होता है कि वायरलेस में नये नये आदमी रह जाते हैं और पुराने निकलना चाहते हैं, इसलिये कोशिश यह की जाती है कि ट्रेन्ड आदमी वहीं रहें।

इसी तरह जीप्स के बारे में कहा गया कि कुछ जीप्स गवर्नमेन्ट के द्वारा खरीदी गई थीं, उनमें से कुछ पड़ी रही और कुछ चलीं, कुछ नहीं चलीं यह बात सन् ५१-५२ के जमाने की है और यह सही है कि १२४ जीप्स खरीदी गई थीं जिनमें से सब चलीं, लेकिन २३ गाड़ियां, जहां तक मेरा ख्याल है, बाद में चालू हुईं उनकी चेसिस बन रही थी और कुछ काम बाकी था। टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे। उनके ठीक होने पर चलीं। यह कोई बुरी बात नहीं मालूम होती है।

इसी तरह से एम्बेज़लमेन्ट के बारे में कहा गया। इस बारे में कई सदस्य कह चुके हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही

(श्री रामकिशोर व्यास)

कहना चाहता हूं कि १७८ केसेज़ पकड़े गये थे उनमें से कुछ डिस्पोज़ ऑफ हो गये ।

इसी तरह से एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, भरतपुर के लिये ...

राजा श्री मानसिंह : धौलपुर ।

श्री रामकिशोर व्यास : उनके रिवर्शन के बारे में कहा गया । उनका वहीं पोस्टिंग हुआ इस वजह से जुरायम हुए, और भी बातें कही गईं । इसके लिये कहना पसन्द करूंगा कि प्रमोशन, रिवर्शन आदि के कुछ नियम हैं, कायदे हैं, उनके माफिक चलना पड़ता है । जब भी प्रमोशन होते हैं उसके लिए कमेटी बनी हुई है वह जो कुछ निर्णय करती है उसके माफिक चलना पड़ता है । उस कमेटी में पी. एस. सी. के चेयरमेन हैं आई. जी. पी. हैं, होम सेक्रेटरी हैं । वे निर्णय करते हैं कि कौन आदमी प्रमोशन के लायक है और कौन लायक नहीं है । वे जो फैसला करते हैं वह मंजूर करना पड़ता है । जहां रिवर्शन हुआ है उसके लिये अर्ज करूंगा कि नये रिक्रूट्स की ट्रेनिंग हो रही थी, वे जब ट्रेनिंग से आये तब उनका पोस्टिंग करना था....

राजा श्री मानसिंह : I agree with the reversion, Sir, but is it a good policy administratively to keep him in the same place ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह ख्याल ठीक है । जो नये आदमी ट्रेनिंग से आये उनका पोस्टिंग करना था । पहले जो ऑफिशियेटिंग एरेंजमेन्ट था उनमें से कुछ को रिवर्ट करना था । उनमें से कौन कौन रिवर्ट हों इसके बारे में कमेटी ने तय किया उसके बाद में रिवर्शन किया गया । उसमें कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती ।

कुछ बातें सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के बारे में कही गईं । एक बात यह कही गई कि डाइरेक्टर का कन्फर्मेशन गलत तौर पर हुआ है । इन्टिग्रेशन हुआ, अजमेर का इन्टिग्रेशन हुआ, उस सिलसिले में यहां जिस जानकारी पर बात रखी गई, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को जानकारी कम है, इस वजह से यह बात कही गई । मैं आपको बताऊं कि अजमेर के इन्टिग्रेशन से इसका ताल्लुक नहीं है, मैं सदन की सूचना के लिए निवेदन करूंगा कि १९५५ में हमने यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया था । यह मैं यहां सदन में प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं । यह मामला उनके पास काफी दिनों तक चलता रहा, कई आदमियों ने इस सम्बन्ध में रिप्रज़ेन्टेशन किये, उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज दिया, उन्होंने उन सब का इन्टरव्यू किया और उस पर निर्णय दिया । जो निर्णय आया वह इन्टिग्रेशन के बाद आया । जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने फैसला दिया था, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया । इसमें कोई खास बात हुई हो, ऐसी बात नहीं है । ये व्यक्ति जिनका प्रश्न है, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बनने के समय भी सब्सटेन्टिव डाइरेक्टर थे । इस प्रकार इनका सिलेक्शन करने में भी कोई खास बात मालूम नहीं हुई । इसलिए किसी प्रकार इन्टिग्रेशन के बारे में इस चीज़ को रखने का प्रश्न नहीं होता, अजमेर का प्रश्न नहीं होता क्योंकि हम १९५५ में लिख चुके थे, ऑर्डिनरी कोर्स में यह काम हुआ, इसमें कुछ समय अधिक लग गया ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

दूसरी बात जुबली ब्लॉक वर्क्स के बारे में कही गई। इसका जवाब भी मैं सदन में दे चुका हूं कि जो जुब्ली ब्लॉक वर्क्स है, उसके लिए टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे, इनमें जो लोएस्ट था, उसको एक्सेप्ट कर दिया गया और यह काम ठीक नहीं हुआ इसलिए उसे लिखकर दिया गया कि काम ठीक नहीं है और फिर वह ठेका दूसरे को दे दिया गया....

श्री भैरोंसिंह : बिना टेण्डर इन्वाइट किये जुबली ब्लॉक वर्क्स का ठेका दूसरे को दे दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट का प्रोसीजर है कि वह टेण्डर इन्वाइट करे और फिर ठेका दे, यह मेरी शिकायत है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह शिकायत नहीं की, यह आपने नहीं फर्माया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद दूसरे को ठेका दे दिया।

तीसरी बात कही गई बुल्गानिन की विज़ीट के बारे में; उनकी विज़ीट के समय जो किताब छापी गई, उसकी कुछ कॉपीज़ पहले आई, कुछ बाद में आई और उसका पूरा पेमेंट हो गया। इस सिलसिले में मैं कहूं कि उसमें से कुछ किताबें बाद में आई, कुछ पहले आ गई थीं, इसका एक फेक्चुअल बात से ताल्लुक है और वह सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन स्थिति यह है कि जब बुल्गानिन तशरीफ लाये थे, उस मौके पर एक किताब तैयार करवाई गई, उसमें कुछ जयपुर के बारे में जानकारी थी। जब वह तैयार होकर आई तो उसमें कुछ गलतियां थीं और उस व्यक्ति को उन गलतियों को ठीक करने के लिए कहा गया। इसलिए जितनी कॉपी आ गई थीं, उनकी उस मौके के लिए जरूरत थी, इसलिए उनको ले लिया गया था और बाकी को ठीक करने के लिए कहा गया बिना एक्स्ट्रा चार्जेज़ लिये हुए। जो रेट्स तय हुई थीं, उसी के अनुसार गलतियों को ठीक करने के लिए लिख कर भेजा। उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं था। इसमें जयपुर के बारे में जानकारी है, वह आज भी आवश्यक है, इसकी आज भी इम्पोर्टेन्स है। उससे हर आदमी को जानकारी हो सकती है, उसका सदुपयोग नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है.......

श्री भैरोंसिंह : रूसी भाषा में जो लिखी हुई हैं उनका क्या होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे यहां मेहमान आते रहते हैं, उनको बांट सकते हैं और बाहर भी भेजी जायेंगी।

राजा श्री मानसिंह : Were they given to any guests yesterday ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे आते रहते हैं।

(हंसी)

ये मुख्य मुख्य बातें कही थीं, उनका मैंने जवाब दे दिया है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, के भाषण देने को खड़े होने पर सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि)

२.१५ म० प०

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आम तौर से अविश्वास का प्रस्ताव जनतंत्र में इस आशय से रखा जाता है कि वे सरकार को बदल सकें। हमारे यहां एक नया तरीका शुरू हुआ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है कि अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए रखा जाय कि हम अपनी बात कह सकें, खास तौर से तब जब कि बजट अधिवेशन हो रहा है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तीन रोज तक बहस करने का अवसर प्राप्त हो चुका है और जब बजट पेश होगा तब फिर अवसर मिलने वाला है, लेकिन फिर भी इस बात को यहां रखा जाय तो मुझे, यह प्रस्ताव रखा जाय, उसके बारे में, कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह विचार करने की बात होती है कि अविश्वास का प्रस्ताव इस मौके पर रखना, खास तौर से जब ऐसी चर्चा करने के मौके आ रहे हैं, आवश्यक था क्या ?

अभी कुछ देर पहले जो बहुत जोर-शोर से बोले, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, वे अपने स्थान पर बैठे हुए नहीं हैं, वे आ जांय, तब उनकी बात का जवाब दूं तो उपयुक्त होगा . ...

एक **माननीय सदस्य** : यहीं हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे आ जायें तब उपयुक्त होगा कि उनकी बात का जवाब दूं । इस बीच में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी छुटकर, फुटकर बातें उठाई गई । कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सरकार में एम्बेज़लमेंट हो रहा है और चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है । तो मैं सबसे पहले इस ऐम्बेज़लमेंट के बारे में इस सदन को जानकारी दे दूं तो उपयुक्त होगा । एम्बेज़लमेंट के केसेज़ की जो स्थिति रही है वह मैं आपको साल के हिसाब से देना चाहता हूं ।

१९५०-५१	५२ केसेज़
१९५१-५२	४५ केसेज़
१९५२-५३	५१ केसेज़
१९५३-५४	८० केसेज़
१९५४-५५	६५ केसेज़
१९५५-५६	३७ केसेज़
१९५६-५७	३६ केसेज़ और
१९५७-५८ में	
३०-९-५७ तक केवल	२ केसेज़ ।

(करतल-ध्वनि)

मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा स्थिति के सुधरने का कोई दूसरा उपयुक्त तरीका नहीं हो सकता कि जिससे मैं बताऊं कि एम्बेज़लमेंट को कन्ट्रोल के बारे में इस सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं और लगातार किस प्रकार एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ कम होते चले जा रहे हैं ।

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, करप्शन के सम्बन्ध में भी यहां बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि बहुत करप्शन बढ़ गया है, अब क्या किया जाय, क्या नहीं किया जाय, कुछ न कुछ गजब होने वाला है राजस्थान में । उसके लिए हमने एक स्पेशल एन्टी-करप्शन बैंच स्थापित की ।

इस सम्बन्ध में आगे कुछ कहूं क्योंकि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य आ गये हैं इसलिए मैं पहले उनकी बात शुरू करना चाहता हूं । वह है नाथद्वारे के सम्बन्ध में, जिसमें कि मुझको घुसाने का प्रयत्न किया जाता है । मैं समझता हूं कि पिछली बार जो कुछ मैंने कहा, उसको कहने के बाद इस बात के लिए मैं आशा नहीं करता था कि इस प्रश्न को वे यहां उठायेंगे । मैंने यह बतलाया था, जब मैं महाराज श्री से मिला, तो मेरे साथ में दो व्यक्ति थे, जो कमेटी के मेम्बर हैं, वे मेरे साथ थे । अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर बहस के दौरान में अनेक माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्यों ने कहा, उसे सदन ने सुना होगा कि जब खजाने को देखा गया, उस समय चुन्नीलाल और चतुर्भुज को क्यों शरीक नहीं किया गया, इस बात पर जोर दिया। मैं उन्हें बता दूं कि वे ही माननीय सदस्य मेरे साथ थे जब मैंने महाराज श्री से बात की।

(करतल–ध्वनि)

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो बात रखते हैं तो उससे इतनी बात तो जाहिर है कि वे यह मानते हैं कि यह प्रमाणिक हो सकता है कि खज़ाना उस मौके पर खोला जाय, जब वे उसमें शरीक होते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब वह खजाना खोला गया, जिसके लिए हम पर जिम्मेदारी नहीं है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ इस सदन की जानकारी के लिए कि नवम्बर के महीने के अन्दर जो श्रीनाथजी का मंदिर है, उसके ट्रेज़रार कहिये, गहना घर जो कहलाता है, जहां जेवर रखते हैं उसके जो इन्चार्ज हैं, उन्होंने लिख कर भेजा एग्ज़ीक्युटिव ऑफ़िसर को कि क्योंकि गहना घर की छत टूट गई है, जहां जेवर रखे हुए हैं, इसलिए दूसरे कमरे में रखने की इजाजत दी जाय। एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर ने नवम्बर के लैटर के जवाब में लिख कर भेजा कि कहां रखे जा सकते हैं, वह स्थान सजेस्ट करें। उसके लिए वापिस रिपोर्ट करते हैं कि एक कमरा है, इसके अन्दर रख दिया जाय तो उपयुक्त होगा। इसके बाद वे वहां पहुंचे तो उसमें सील लगी हुई मिली। उसके बाद २५ आदमियों की मौजूदगी के अन्दर वह खोला गया। उसके खुलने पर जो कुछ मिला वह लेकर महाराज के पास गये। यह फेक्ट है, मैंने पिछली बार कहा और इसके बाद भी निवेदन किया था, कि जो कमेटी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है नाथद्वारा मंदिर की व्यवस्था करने की और उस कमेटी के मेम्बरों के बारे में, मैं समझता हूं कि कोई शक करने का कारण नहीं हो सकता है क्योंकिउसमें बड़े–बड़े मिलियोनर हैं, ऐसे कई व्यक्ति हैं, जिस कमेटी को हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री के सामने स्वेच्छापूर्वक वैष्णवों ने स्वीकार किया था, उस कमेटी ने पूरी तौर से सदस्यों से बातचीत करके, क्रोस करके, अपने को सेटिसफ़ाई करके जो कुछ वे समझते थे कि नाथद्वारा में जाना चाहिए वह वहां जमा करवा दिया और जो कुछ महाराज के पास जाना चाहिए, वह वहां जमा करवा दिया। पिछली बार निवेदन किया गया है और इसके सम्बन्ध में वक्तव्य भी जारी किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी होते हुए मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न का उठाना क्यों उचित समझा? मैं इस सदन की जानकारी के लिए यहां पर केवल यह दिखाना चाहता हूं कि एक समाचार पत्र गुजरात से निकलता है, उसमें एक वक्तव्य है, यह वक्तव्य उनका है, मैं समझता हूं, कुछ माननीय सदस्यों ने उनका नाम सुना होगा, उन्हें ध्यान होगा कि एक शंकरलाल बालाभाई हैं, जो अहमदाबाद के मिलियोनर हैं और जो बड़ा काम करने वाले हैं, उन्होंने जो संदेश दिया है, जिसकी कापी मौजूद है, इसे यदि कोई सदस्य देखना चाहते हों तो देख सकते हैं, वैरीफाई कर सकते हैं। इसमें से ही मैं निवेदन, गुजराती कुछ समझ सकते हैं, मैं गुजराती में ही पढ़ दूँ :

"आअंगे आजेसांझे सेठ श्री शंकरलाल बालाभाई नीं मुलाकात लेतां तैमने जणाव्यु

Page No.70

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हतूं के आ खजाना अंगे आचार्य श्री गोविन्दलाल जी महाराज साथे खुल्ला दिल थी अने लंबाण थी। वार्ता तथा चर्चा थई हती। महाराज श्रीए मली आवेलो खजानो कमेटी ना सभ्योनै बताव्यो हतो।

महाराज श्री नां निवेदन उपरथी खात्री थई के तेमने आमाथी कशूज छुपावेलूं नै थी। जे खजानो छै ते लगभग आठ पेढ़ि भराय ऐटलो छै। एमां सोना, चांदीना अने रोकड़ वगैरह छै।
सील कोना नामना हता ?

जे आलमारी मांथी आ जवेरात तैमज सोना चांदीना वासणो नीकण्या हतां। तेना सील ऊपर श्री भागीरथी बहूजी महाराज जे महाराज श्रीना मातुश्री हतां तेमना नामना सील हतां श्री नाथजी ना उपयोग नी आ चीजो महाराज श्रीए श्रीनाथजी ना भंडार मां सौंपी देवानी तैयारी बतावी छै।

तेमणे जणाव्यु के छापाओमा जुदा जुदा आक्षेपो जे व्यक्तिओ ऊपर धर्या छै। तेमा कशी वजूद जेवूं जणांतु नथी। तेमणे जणाव्यु के श्रीनाथजी ना चालु आभुषणो चौपड़ानी यादी प्रमाणे मेलववामा आवे छै। अने ते पण बराबर मालूम पड्या छै।" यह उनका वक्तव्य है लेकिन सदन में बार-बार चोर, लुटेरे और दूसरी बातें कही जाती हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे विपक्ष में हैं, उनके पास सत्ता नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है और इसलिए चूंकि हम यहां बैठे हैं, चारों और से जिस तरह की बातें करना चाहें कहें। अभी कहा गया कि जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय, मैं चाहता हूं कि नाथद्वारा काण्ड की जुडिशियल इन्क्वायरी हो, मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कहूंगा कि वे नाथद्वारा के मामले में इन्क्वायरी करें कि वास्तविकता क्या है ? मैंने पहले भी कहा है कि आज १० वर्ष तक राजस्थान और मेवाड़ में मिनिस्टरी करने के बाद भी, मैंने झोंपड़ी नहीं बनाई है, मैं इसलिए एक नहीं १० बातों को फेस करने की हिम्मत करता हूँ, तब आप यहां बैठ कर कुछ कहते रहें मेरे दिमाग में एक क्षण के लिये भी चिन्ता नहीं होती, इस प्रकार की बातों का असर मुझ पर नहीं होता। मैं जानता हूं कि इस प्रकार का वातावरण क्यों बनाया जाता है, कौन बना रहा है ? मैं जानता हूं मेरे ऊपर जब से तीन सवा तीन साल से यह जिम्मेदारी आई है, मैंने इस बात की कोशिश की है कि राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान को आगे बढ़ाया जाय, राजस्थान में सुधार किये जांय।

एम्बेज़लमेंट के केसेज़ के बारे में जिक्र किया, मैं विश्वास पूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो जिम्मेदार और बड़े अफसर हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं रहा है। उनके बारे में यह कहना बार-बार कहना कि उनमें भ्रष्टाचार रह गया है, तो हम यहीं पर इस प्रकार की चर्चा करके राजस्थान के उन व्यक्तियों को गिराना चाहते हैं और राजस्थान की जनता का अहित करते हैं, मैं इसे उचित नहीं समझता। आज किसी में शक्ति नहीं जो यह कह सकता हो कि अमुक कलेक्टर भ्रष्टाचारी है, हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को कहें कि भ्रष्टाचारी हैं, तो यह गलत है, इनमें भ्रष्टाचार नहीं रहा। राजस्थान में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में सुधार हुआ है और कुछ नहीं मिला तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और शुरुआत की। भ्रष्टाचार के मामले में वे निवेदन करना चाहते हैं कि वैसा उस पर

Page No.71

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

साबित होता है कि नहीं, मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य के भाई सस्पेन्ड किये गये, इन्क्वायरी की गई, पूरी तरह साबित नहीं हुआ तो रीइन्स्टेट भी किया गया।

(करतल–ध्वनि)

किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता, पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ठीक तरह से हमें चलना होगा, खास तौर से सर्विसेज़ के मामलों में किसी पर अत्याचार किया जाय तो उचित नहीं होगा। यह करते हैं तो यह नहीं कहा जाय कि यह बोर्ड ऐसे मामलों को दबाने के लिए बना है, बोर्ड को जैसा कि मैंने अभी कहा उन्हें रीइन्स्टेट करना पड़ा, दोष साबित नहीं हुआ तो उनको कैसे सजा दे दें ? तो ऐसे कई मामले आते हैं, जिनके बारे में हमें जांच करनी पड़ती है; कुछ दिनों से यहां हाईकोर्ट में वकालत करने लगे हैं तो यहां गलत वकालत नहीं करना चाहिये। कभी-कभी यह वकालत उल्टी पड़ जाती है। मैं समझता हूं आपने बहुत हित किया है मेरा यह कह कर कि जुडिशियल इन्क्वायरी नाथ–द्वारा के मामले में की जाय, उसके बाद जो कुछ सामने आयेगा उससे माननीय सदस्य को यहां पर बोलने का कम मौका आयेगा।

एक हमारे माननीय सदस्य जो श्री माधोपुर से चुन कर आये हैं जनता के नाम पर बहुत बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य की बात थी कि वहां से कांग्रेस ने एक बहिन को खड़ा किया जो वहां की रहने वाली नहीं थी और भैरोंसिंहजी चुनकर आ गये, वरना जनता को प्रतिनिधित्व मिलने वाला नहीं था। वे जनता का प्रतिनिधित्व कितने जोरों से कर रहे हैं वे खुद जानते है कि जनता कितनी उत्सुक थी उनको प्रतिनिधि के रूप में भेजने के लिए। पर दो चार ही अपने आपको जनता का प्रतिनिधि समझते हैं, हम तो यों ही बैठे हैं। जनता के सम्पर्क में हमें आपसे ज्यादा आना पड़ता है।

यह कहा गया कि सरकार की कोई रीति-नीति नहीं है, जो हमने भूमि सुधार किये वह कोई रीति–नीति नहीं, जिस भूमि सुधार का असर राजस्थान की ८०-८५ प्रतिशत जनता पर पड़ता है, उनके जीवन पर पड़ता है, जो दबे हुए थे उनको उठने का अवसर जिसने दिया है, वह सब बिना रीति–नीति का था, इससे तो रीति–नीति की बात को समझने की कमी आप में नजर आती है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार गरीबों को गरीब और अमीरों को और अमीर कर रही है। और हम राज्यपाल महोदय के भाषण के मौके पर, जब आपका भाषण सुन रहे थे तो आपने कहा था कि मैं सीलिंग्स के बिलकुल खिलाफ हूं, मुझे याद है आपकी वह बात, आपको भी याद होगी। क्यों खिलाफ हैं ? इसलिए कि हमारी ज्यादा जमीन से हमें ज्यादा मिलता है वह सीलिंग आ कर कम न हो जाय और जो बिलकुल गरीब हैं उनको इस सीलिंग के कारण दो पैसे न मिलने लगें, तो गरीब और अमीर की जो व्याख्या आपने की वह आप न करते, आपकी बजाय और दूसरा करता तो उपयुक्त होता।

बीकानेर, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप राजा महाराजा और जागीरदारों को न मालूम क्या क्या रियायत कर रहे हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके दल के नेता राजा हैं, हमसे क्या कहना चाहते हैं ?

(हंसी)

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं समझता हूं, मैंने गलत नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कभी २ जोश में वह बातें कर जाते हैं कि ध्यान नहीं रहता। आगे उन्होंने कहा कि जागीरदारों को जमीनें दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? मैं निवेदन करूं भूमि सुधार का एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया, जागीरदारी प्रथा को हटाया, पर उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं, रोजी की दिक्कत होती है, तो हमने व्यवस्था को पलटा है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उनको बसायें, उनको जमीनें दें और वह भी फिर किसे कितनी? कुल मिला कर भाखरा की सिंचाई में पांच, छः लाख एकड जमीन आती है, उसमें से सिर्फ २५००० बीघा जमीन दी गई, वह किसको, बड़े जागीरदारों को नहीं, जो लोग ५ हजार से कम आमदनी वाले जागीरदार हैं, उनको बसाया गया। दर असल हम अब उस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि एक पुराना युग था, पुरानी व्यवस्था थी उसके बारे में कोई द्वेष की भावना, विरोध की भावना प्रकट करें, वह अवसर निकल चुका है, एक व्यवस्था थी, उसको हम भूल गये हैं, हम कई बातों को भूल गये हैं, उसी तरह इसको भी भूल जायं। आज मैं यह मान कर नहीं चलता कि जागीरदार वर्ग है, वह बात समाप्त हो गई, मैं चाहता हूं हम सब आपस में मिलें, हमारे सबके सम्बन्ध ठीक हों।

अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं इस मामले में प्रयत्नशील हैं और राजस्थान सरकार में वह स्थिति पैदा हो चुकी है। हमारे विरोधी पक्ष के, जिसमें रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, उनसे ऐसा मालूम होता है कि उनके अलग-अलग अधिवेशनों के लिये अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं। पहले मुझे याद है जब हम १।६ बांटे का कानून सदन के समक्ष लाये थे तो उन्होंने उसका विरोध किया।

श्री भैरोंसिंह : हाउस की प्रोसिडिंग्ज़ इसके लिये मौजूद हैं आप देख लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बाद हमेशा बराबर किसी न किसी बात को लेकर विरोध करते रहे, जब कभी अधिवेशन हुआ। अब की बार उन्होंने सोचा कि सब बातें खत्म हो गईं, इस बार क्या करना चाहिये? तो इस बार बोलने के लिये भ्रष्टाचार की बात लाए और सोचा कि इससे काम चलेगा। तो मैं यह कहूंगा और कहना चाहता हूँ कि ये सब सदस्यों के लिये सोचने की बात है कि दर असल भ्रष्टाचार कौन फैलाता है? दर असल एक तरह से गलत विचारधाराओं को पैदा करके उनको फैलाना क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है या उन बातों को उल्ट पुल्ट कर कहना और गलतफहमी पैदा करना यह भ्रष्टाचार नहीं है? इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमें जो बातें यहां कहनी चाहिये वे इस प्रकार माप तौल कर कुछ वजन के साथ कहनी चाहिये, जिससे उन बातों का असर पड़े, वरना उनका कोई असर नहीं पड़ता। मैं यह अर्ज करूं कि हमारे माननीय सदस्य जिनको बोलने के लिये कहा तो उन्होंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की पिछली रिपोर्ट को लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। जो बात पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में है वही आप कह रहे थे। वे भूल गये इस बात को कि वे इस मिनिस्ट्री के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की बात कह रहे हैं न कि सन् १९५० के मिनिस्टरों के खिलाफ। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वे नये-नये आये हैं इसलिये किस समय क्या कहना चाहिये उनको मालूम नहीं था इसलिये बोल गये।

Page No.73

श्री गिरधारीलाल : वसूली करने की जिम्मेदारी तो आपकी ही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने याद दिलाया तो अच्छा हुआ वरना हम भूल जाते। आप ही आये तो याद आई।

तो मैं यहां पर सदन की जानकारी के लिये आप से निवेदन करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुआ वह सब का सब का क्या हुआ है, क्या गड़बड़ हो रही है उसकी जानकारी के लिये कुछ तथ्य सदन में आपके सामने रखूं।

जो दो करोड़ ४० लाख का इन्वेस्टमेंट है उसमें से एक करोड़, ५८ लाख रुपया तो बराबर रिटर्न हो रहा है। उसके अलावा २८ लाख का इन्वेस्टमेंट है उसको कम्पनी प्रोफिट शो करती है। इसके बाद जो बच जाता है वह ११ लाख रुपये।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपका हिसाब गलत हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे जो हिसाब दिया गया वह पेश किया है। अगर गलत हो गया है तो आप पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में बैठे हैं देख लेंगे। तो मैं यह निवेदन करूं कि इस अर्से में जयपुर वीविंग मिल के बारे में यह कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया गया और जब चीफ सेक्रेट्री की तरफ से इन्क्वायरी के लिए कहा गया तो उसको भी सरकार ने रोक लिया। चूंकि यह बात सदन में आ गई है मैं कहना चाहूंगा कि हां, इसको रोका गया और रोकना ठीक था और वह इस वजह से कि हम किसी लमिटेड कन्सर्न की इन्क्वायरी कानूनन बाहर के व्यक्ति से नहीं करवा सकते। या तो शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी इन्क्वायरी कर सकती है, दूसरों को हिसाब नही बताया जाता। मगर इसके बाद हमने हमारे डाइरेक्टर को जो वहां रहता है इन्सट्रक्शन्स दिये कि वह डाइरेक्टर के तौर पर कुछ भी एकाउन्ट की जांच पड़ताल करनी आवश्यक हो उसको करे। तो मैं यह कहूंगा कि जांच पड़ताल करने का तरीका और लैंग्वेज का फर्क था। सरकार का इस सम्बन्ध में जानकारी करने का फर्ज था वह जानकारी की गई। इसीलिये यहां पर जांच करने और न करने का प्रश्न ही नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसने पहली बार डिविडेन्ट दिया। यह साफ जाहिर करता है कि हम इसमें कितने प्रयत्नशील हैं। हम खुद इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि इन्वैस्टमेंट ठीक तरह से हो और उसको देखने के लिये स्पेशल एकाउन्टेन्ट है। इसके अलावा यहां पर जयपुर उद्योग लि० जो कुछ नहीं दे रही थी सन् १९५५ में पहली बार प्रिफरेन्स शेयर्स के रुपये देने शुरू कर दिये हैं। इस मामले में सतर्कता की कमी का ख्याल नहीं होना चाहिये, बराबर प्रयत्न किये गये और रिटर्न होने लगी है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बिजली और पानी राजाओं को फ्री दिये जाते हैं इसका मतलब यह है कि वे कहीं नाराज़ न हो जावें, लेकिन यह एक अलग बात है।

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष, जिनको दिया गया है वह उन्हीं को दिया गया है जिनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के साथ एग्रीमेंट है। जिस समय एकीकरण हुआ उस समय कोवेनेन्ट के अन्दर एग्रीमेंट था कि उनको फ्री लाइट और वाटर दिया जायगा। यह शर्त थी। फैक्ट तो यह है कि जब कई वर्ष पहले राजस्थान बना उस समय से वे पानी और बिजली का उपयोग करते रहे और गवर्नमेंट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को पैसा नहीं मिला । वे अनाप-शनाप पानी और बिजली खर्च करते और हमने यह किया कि जो आयन्दा पानी और बिजली खर्च होता है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है और आपस में निगोशिवेशन से यह किया है । हम ऑर्डर से यह नहीं कर सकते थे । लेकिन हमने उनको किसी तरह से मनाया कि इतना खर्च करना ठीक नहीं है और इस प्रकार से फैसला किया जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें गवर्नमेंट के घाटे की बात नहीं है । मैं समझता हूं कि कुछ प्रिन्सेज़ ऐसे हैं जिनके साथ फ्री वाटर और बिजली की सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ....

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पहले इससे ज्यादा खर्च होता था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे बहुत ज्यादा । पहले उनका कन्ज़म्पशन बहुत ज्यादा था । इसका मुकाबला किया जाये तो आपको मालूम होगा कि हमने खर्च कम किया है या ज्यादा ।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि एक करोड़ और कितना लाख बताया कि जागीरदारों की बकाया है जो वसूली नहीं हो रही है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि बकाया कई प्रकार की हो सकती है । कुछ तो ऐसी है जिनको एक तरह से कहा जावे कि वह १०० वर्ष से चली आ रही हो । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक खंडेला ठिकाना था जिस पर २८ करोड़ या २० करोड़ की बकाया थी । माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि पहले राजाओं के समय में जब राजा नाराज हो जाते तो वे कहते कि इनकी इतनी बकाया निकाल दो, मगर वे उनको वसूल नहीं करते थे और एक प्रकार से उन जागीरदारों पर लटकाये रखते थे । लेकिन जब हम कानून बना रहे हैं तो हमको यह देखना होगा कि जो पुरानी बकाया है वह वाजिब है या नहीं और वह वसूल की जानी चाहिए या नहीं और इसी पोइन्ट ऑफ व्यू से हमने कमेटी बिठाई है । उसकी कुछ बातें विचाराधीन हैं । यह जानकारी मैंने इसलिये दी कि किसी को यह भ्रम न हो कि ऐसी बातें जो वाजिब थीं छोड़ी जा रही हैं और उन पर भी विचार नहीं किया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने मान इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन को बिजली बहुत सस्ती दे रखी है । मैं कहना चाहता हूं कि मान इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन का फैसला जयपुर गवर्नमेंट के समय हुआ था और गवर्नमेंट ने यह लिख कर भेजा था कि आपको १॥ आना प्रति युनिट बिजली दी जावे तो क्या खयाल है ? वह वेग लेंग्वेज थी । हमने अभी यह तय किया है कि जिन जिन को बिजली दी जा रही है उसकी स्थिति ठीक नहीं है । इसलिये यह निर्णय लिया कि २० हजार कि० वा० से ज्यादा खर्च करेंगे उनको १॥ आना युनिट और जो २० हजार कि० वा० से कम खर्च करेंगे उनको २ आना युनिट पर दी जाएगी और उस नियम के अनुसार उनको भी लागू कर दिया गया । उनको नोटिस दे दिया गया सन् ५६ में, क्योंकि आपका कन्ज़म्पशन २० हजार किलोवाट से कम है इसलिए आपको दो आना पर युनिट से ही पे करना पड़ेगा । आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि सुधार किया जा रहा है बहुत सी चीजों में, पहले से कई चीजों में वाद-विवाद चलता रहा, फैसला नहीं हो पाया उनका फैसला करने का प्रयत्न किया ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बात पर, जिस पर श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने समय लिया, वह है डिपार्टमेन्टल हैड्स के बारे में। उन्होंने कहा कि ट्रान्स्पोर्ट का हैड किसको बना दिया, डाइरेक्टर एग्रीकल्चर उनको बना दिया और डाइरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन उनको बना दिया। अलग अलग के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जितने हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। हिन्दुस्तान के प्रांतों में, मैं समझता हूं, आम तौर से सभी में, ट्रान्स्पोर्ट डिपार्टमेंट का हैड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। ट्रान्स्पोर्ट कोई ऐसा डिपार्टमेन्ट नहीं है कि जहां इन्जीनियर हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट बैठा करें या और किसी व्यक्ति को बिठायें। जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव केलिबर का होता है वह ही सम्हाल सकता है। डाइरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन की जगह पर मि० भार्गव को लगाने का कारण भी यही है कि वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफी अर्से तक काम कर चुके थे और वे रेवेन्यु के काम को जानते हैं। कन्सोलिडेशन का भी जो काम है वह बिल्कुल रेवेन्यु का वर्क है। इसीलिए उनको इस काम पर लगाया गया। शिक्षा विभाग के लिए कहा गया कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जगह पर कलेक्टर के स्टेट्स के आदमी को लगाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि पहले थे वे भी कलेक्टर के स्टेटस के ही थे। निरंतर हमने इस बात का प्रयास किया कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऐसा उपयुक्त व्यक्ति हो जो सारी शिक्षा की दृष्टि से उपयुक्त साबित हो और, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भी यह जानकारी में होगा कि सन् ५७ के शुरू में और उससे पहले भी इसके लिए प्रयत्न किए गए। पी० एस० सी० ने इस पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया और यह हिन्दुस्तान के लगभग सब ही पत्रों में छपा कि राजस्थान के लिए कोई डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन चाहिए, जो उपयुक्त हों वे एप्लीकेशन्स दें। लोगों ने दरख्वास्तें दीं, लेकिन उसके लिए पी. एस. सी. ने यह कहा कि कोई उपयुक्त आदमी नहीं लगता है जिसको सजेस्ट कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि हम दूसरे आदमी से कन्टेक्ट कर रहे हैं। यदि कोई दूसरा उपयुक्त आदमी मिले तो हमें कोई एतराज नहीं था फिर पी० एस० सी० ने कहा कि बिहार के रिटायर्ड डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को यहां लाने में शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है वे पूरी हों तब आगे बातचीत चले। तो यह बात थी। यह बात नहीं है कि कोई उदयपुर का हो इसलिए उसको डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बना देना चाहते हैं, यह तो फिजूल की बातें हैं। पांच-छः महीनों से कोशिश चल रही है और कोरस्पोन्डेन्स में भी तो समय लग जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस बात से विश्वास होना चाहिए कि उपयुक्त व्यक्ति होगा उन्हीं को लगाया जायगा। प्रिन्टिग प्रेस पर भी उपयुक्त व्यक्ति को ही लगाया है। प्रिन्टिग प्रेस की व्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी ओर से प्रयत्न हुए हैं। और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स के बारे में भी जिक्र हुआ है, एक एक के बारे में बताऊं कि किसमें क्या हुआ है और किसमें क्या बात है, उसमें न जाकर इस विषय में जो एक मौलिक बात है, कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. की केडर के जो व्यक्ति हैं उनको कई डिपार्टमेन्ट्स में लगाया जाता है और यह यहां ही नहीं किन्तु भारत भर में प्रथा है कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उनको उन्हीं डिपार्टमेन्ट्स में लगाया जा रहा है और उन पर वे काम करते हैं ।

शिक्षा विभाग पर बातचीत करते हुए यह कहा कि शिक्षा पर कोई पोलिसी ही नहीं है । उन्हें कोई पोलिसी ही नज़र नहीं आयी ! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा पर जो पोलिसी है और भी कोई पोलिसीज़ हों, वे ऑल इन्डिया पोलिसीज़ होती हैं । अलग अलग राज्यों की अलग अलग पोलिसीज़ नहीं होती हैं । लेकिन फिर भी जहां तक हमारे लोगों का प्रश्न है हमने ऑल इन्डिया पोलिसी जो निर्धारित की है उसी को स्वीकार किया है । सदन में भी यह बात आ चुकी है । हम प्राइमरी स्टेज पर बेसिक एजुकेशन को स्वीकार करते हैं, हमने कहा कि सेकन्डरी एजुकेशन की जगह हम हायर सेकन्डरी एजुकेशन की जो पोलिसी है उसको स्वीकार करते हैं । थ्री इयर्स डिग्री कोर्सेज़ के लिए जो पोलिसी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने स्वीकार की है उसको भी हमने स्वीकार किया है । तीन बड़ी पोलिसीज़ हैं जिनके बेसिस पर हिन्दुस्तान में शिक्षा को ढाला जा रहा है । उनके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । मल्टी पर्पज़ेज़ स्कूल्स उसी की मातहत खोले गये हैं । फिर यह कहा कि यह बेसिक एजुकेशन तो गांव वालों को शहर वालों से पीछे रखने के लिए हैं, बेसिक एजुकेशन दी जावेगी इसलिए गांव वाले तो पिछड़ जावेंगे, शहर वालों के लिए एजुकेशन अलग है और गांव वालों के लिए एजुकेशन अलग है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे भ्रम में हैं कि बेसिक एजुकेशन का मतलब केवल यही होता है कि खेती करवाई जाय या गांवों में शहर वालों से दूसरी पढ़ाई पढ़ाई जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, नेश्नेलाइज़ेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स किया है, किताबें जो बनी हैं वे सब जगह के लिए कोमन हैं, क्राफ्ट्स में अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग स्थानों में और उसमें कोई बुराई भी नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे स्कूल्स हैं वे यह चाहते हैं कि उनमें क्राफ्ट्स सिखाये जांय । उनमें सिखाया जाता है । वह क्या कारण है ? मूल में इसके यही कारण है कि लड़कों में, बच्चों में यह प्रवृत्ति बढ़े कि वह हाथ से काम करना सीखें । वही प्रणाली यहां भी रखी गई है और उसको लागू किया गया है । यह प्रणाली लागू की गई, उसके लिए यह कहा गया कि गांवों को पिछड़ाने के लिए यह केपिटलिस्टक पोलिसी है । मुझे नहीं मालूम कि यह किसने कहा, लेकिन किसी ने कहा कि केपिटलिस्ट द्वारा तैयार की हुई यह पोलिसी है । उनको यह याद होगा कि बेसिक एजुकेशन का आइडिया सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया, किसी केपिटलिस्ट ने नहीं ।

(राजपक्ष द्वारा करतल–ध्वनि)

उनके ख्याल में महात्मा गांधी यदि केपेटेलिस्ट निष्ठा को रखने वाले हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है । उनके विचार केपिटेलिस्ट हों इसीलिए गांधीजी की पोलिसी भी केपिटलिस्टक पोलिसी हो सकती है, इसमें उनको मतिभ्रम हो सकता है ।

अब यह कहा गया कि राजस्थान में कोई इन्डस्ट्रियल पोलिसी नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो देश में इन्डस्ट्रियल पोलिसी है उसी पोलिसी को १ अप्रेल, १९५६ में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया । आज जितने बड़े उद्योग धन्धे हैं, हम चाहें कि स्पिनिंग मिल्स की कोई अलग पोलिसी हो, और कोई बड़ी इन्डस्ट्री हो उसको अलग कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकते हैं, तो नहीं कर सकते। इन्डस्ट्रियल पोलिसी और टैक्सेशन पैपोलिसी गाइड होती है सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा और उसके द्वारा जो तय की हुई पोलिसी है उस पर हर स्टेट को चलना पड़ता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता पूर्वक उनसे जानना चाहूंगा कि और और स्टेट्स में क्या क्या पोलिसीज़ हो गई हैं और राजस्थान में नहीं होने से राजस्थान पिछड़ गया है ? इन्डस्ट्रियल पोलिसीज़, जैसा कि मैंने निवेदन किया, अलग अलग होने का सवाल ही नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स की पोलिसी के लिए वे बोले नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि लैंड रिफोर्म्स पोलिसी तो है।

(हंसी)

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में गरीबी और अमीरी की बात कही गई, गरीबी और अमीरी के बारे में आखिर टेस्ट क्या है, किन चीजों का टेस्ट सामने रख कर चलना चाहते हैं ? यह जो गरीबी और अमीरी का प्रश्न है वह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लिए कहा गया। पहले कहा कि इतना नहीं करना चाहिए, गवर्नमेन्ट क्यों स्वीकार कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है और नीचे के लेवल पर जो किया गया है उसको उचित समझा जाना चाहिए। और फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं आज जो सीलिंग्ज़ का सवाल है इससे अगर किसी को सब से ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है तो वह फायदा शिडूल्ड कास्ट के लोगों को होने वाला है। क्योंकि यह ही ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। एक तरफ तो आप शिडूल्ड कास्ट की जय बोलना चाहते हैं और दूसरी तरफ सीलिंग का विरोध करते हैं, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इसके मूल में क्या बात है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि गांवों के बारे में हमें कोई चिन्ता नहीं। गांवों को हम पीछे रखते जा रहे हैं और इसीलिये डिस्ट्रक्ट बोर्ड का भी चुनाव नहीं करना चाहते, कहीं ऐसा न हो जाय कि अर्बन ऐरिया की जो पॉवर है, वह रूरल एरिया में ट्रान्सफर हो जाय। मैं उन माननीय सदस्य से निवेदन कर देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव स्थगित करने का सवाल क्यों सामने आया, उसकी केवल एक ही वजह है और वह यह है, कि जो बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर हमें आगे काम करना है, जैसा कि उस रिपोर्ट के अन्दर है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये उसमें स्थान न होकर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल को स्थान दिया गया है। तो ऐसी हालत में अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव करवा देते हैं तो उसके बाद फिर उनको भंग करके उनकी जगह डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल्स कायम करने होंगे। सदन इस बात पर विचार कर लें और सरकार इस पर विचार करेगी कि अगर इस प्रकार की कौन्सिल्स के गठन का निर्णय करते हैं तो क्या उपयुक्त होगा ? लेकिन आप यह निश्चित मानकर चलिये कि इस रिपोर्ट में पंचायतों को पॉवर ज्यादा दिये हैं, जहां गांव के रहने वाले पंच या सरपंच हैं उनको ज्यादा अधिकार दिये हैं। यह हमारे विचाराधीन है, हम इस पर कि गांव वालों को किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलें इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं, क्या पंचायत लेवल में ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आधार पर ? गांव वालों को अधिकार न देने का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रश्न ही कहां है ? हम तो पहले से ही इस बात में प्रयत्नशील हैं कि गांव वालों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायं ताकि देश के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकें।

जनमत की बातें कही जाती हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा राजस्थान के अन्दर आप कहीं भी एन० ई० एस. और एस. डी. एस. ब्लॉक में चले आइये आपको वहां पता चलेगा कि वहां के लोग क्या काम करते हैं, उन लोगों में किस प्रकार से जागृति पैदा हुई है, उन लोगों में कितनी ताकत पैदा हुई है? अभी तीन दिन पहले मैं इसी प्रकार के एक ब्लॉक में जाकर आया हूँ जो शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का एरिया है, जहां आदिवासी भील रहते हैं, जिनके पास दूसरे वक्त का खाना नहीं होता था, शिक्षा के विषय में जो कुछ भी नहीं समझते थे, आज वे मकान बना रहे हैं, आज उनके बच्चे आगे पढ़ने के लिये जाने की स्थिति में हैं, आज वहां के लोगों में जो उत्साह देखा उससे यह साफ मालूम पड़ता था कि किस प्रकार सारे के सारे लोग उठकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं वे भी आगे आयें। मेरे ख्याल से किसानों के नाम पर बोलने वाले विरोधी पक्ष के नेताओं से मैं इतना ही चाहता हूं कि जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, जिनको हम ऊपर उठाना चाहते हैं उनको, आप कभी सीलिंग का नाम लेकर या दूसरी चीजों का नाम लेकर आप दबाने की कोशिश न कीजिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को लेकर उनमें मुगालता डालने की कोशिश न कीजिये।

हनुमानगढ़ से आने वाले सदस्य की तो एक प्रकार से हमारे पर नाराज़गी ही रहती है, उसका खास कारण है कि उनकी ट्रिब्यूनल ने पिटीशन खारिज कर दी उसके बाद में हाई-कोर्ट में अपील की है। हम उसमें क्या कर सकते हैं? वे अपने भाषण जोश में करते हैं, अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी कही गई कि हमने इन्डेटेडनेस बिल को रखने की बात कही थी वह अभी तक नहीं हो पायी। यह सही है कि एक ऐसा बिल था जिसको वापिस लिया गया, उसमें वास्तविक रूप से क्या क्या कठिनाइयां थीं, उसके लिये अन्य स्टेट्स में क्या हो रहा है, इस बारे में जानकारी की जा रही है। हम यह चाहते हैं कि रूरल इन्डेटेडनेस बिल को पास करने में देरी न हो। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई आर० ए० एस० के अन्दर यह रूल होते हुए भी कि ९ साल की जिसकी सर्विस होगी उसको ही लिया जायगा, ऐसे व्यक्तियों को ले लिया गया जिसकी केवल दो तीन साल की सर्विस थी। मैं उन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं जो नियम आपने पढ़ा वह रेगुलर प्रोमोशन के लिए जो रूल था वह पढ़ा है। दो तीन साल के जो प्रोमोट हुये हैं वह इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट में हुआ है। दोनों रूल्स का यदि अध्ययन कर लिया जाता तो इतना कहने की गुंजाइश नहीं रहती।

इसके बाद यह भी कहा गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक अध्यापकों का फिक्सेशन नहीं हुआ, इसमें काफी समय नष्ट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, हमारे राजस्थान में ३४ हजार के करीब अध्यापक हैं। उन ३४ हजार अध्यापकों में से वे, जिनका फिक्शेसन बाकी है, उनकी, करीब ८०० की संख्या है। मैं समझता हूं, इससे अन्दाज हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकता है, दर असल कितना काम इस संबंध में हुआ और कितना बाकी रहा है। फिर अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि उनका दल नेशनलाइज़ेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स का विरोधी है, वे और उनका दल विरोधी है यह तो हम भी जानते हैं। लेकिन जब हमने यह सिद्धान्त तय कर लिया है कि किताबों का नेशनेलाइज़ेशन होना चाहिये तो उसको किया जाना चाहिये, यह बात सही है कि किताबों की छपाई में काफी देरी हुई, इस विषय में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन महानुभावों को किताबों के देरी से मिलने की शिकायत है वहां उनको किताबों का जो स्टेंडर्ड है उसके बारे में शिकायत नहीं है। टेक्स्ट बुक्स के देरी से मिलने के कारणों को मैंने पहले भी बता दिया था। एक साल देरी हो गई तो दूसरे साल तो लड़के इससे फायदा उठायेंगे ही। पिछली बार भी कहा था कि किताबों की देरी से छपने का कारण है कागज का वक्त पर न मिलना और भी कई दिक्कतें थीं उस पर भी जितनी जल्दी किताबों को हम सप्लाई कर सकते थे करने का प्रयत्न किया।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि डाइरेक्टर ऑफ माइनिंग के विषय में इन्क्वायरी चल रही है फिर भी उनको हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के ऊपर किसी प्रकार की भी इन्क्वायरी पेन्डिग नहीं है यह ग़लत बात है जो सदन में बताई गई है। फिर यह भी कहा गया कि वे इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। इसके बारे में पहले एडवर्टाइज़मेंट निकाला गया था उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस प्रकार का आदमी मांगा बी० एस० सी० एण्ड डिप्लोमा ऑफ धानबाद स्कूल ऑफ माइन्स और तीस साल का एक्सपीरिएन्स।

दूसरी बार जब विज्ञापन निकाला गया तो उसमें एक्सपीरिएन्स के पीरियड को कम किया गया, जहां तकवर्तमान डाइरेक्टर ऑफ माइन्स की क्वालिफिकेशन का सवाल है वे बी० एस० सी० हैं मास्टर ऑफ इन्जीनियरिंग फोर्म दी कोलोनोडा स्कूल आफ यू०एस०ए०। मैं समझता हूं इस पर यह कहना कि ये क्वालिफाइड नहीं है और उनकी नियुक्ति कर दी गई यह सही नहीं है। जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिये चाहिये थी ये उसके योग्य थे और इसी कारण पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको कन्फर्म करने के लिये कहा और इसी आधार पर गवर्नमेंट ने उनको कन्फर्म किया है। फिर मैं सदन से यह निवेदन कर देना चाहता हूं, यहां पर और भी प्रश्न उठाये गये मैं उनके वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता। खिवाड़ा के मामले में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फिर प्रकाश डाला। इस बारे में जो बात मैं पिछली दफा कह चुका हूं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। जो भी इस बारे में आदेश थे और जो भी स्थिति थी उसको मैं सदन के सामने रख चुका हूं। मैं यह कह चुका हूं कि इस केस के अन्दर जैसा कि माना जाता है श्री खेतसिंह जी प्लीड कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वे चाहते थे उसके खिलाफ मेरे यहां से ऑर्डर्स हुए थे। रेवेन्यु बोर्ड के चेयरमेन के लिखने पर भी कि आप लीगली रुपया रोक नहीं सकते मेरे यहां से उसके खिलाफ ऑर्डर्स हुए। आशा तो मैं यह करता था कि यह प्रश्न फिर इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तरह से रखने का प्रयत्न नहीं किया जायगा लेकिन यह उनकी बुद्धि है उसी तरह से उन्होंने इसका ख्याल किया।

दांता–रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य तो बात बात पर चेलेन्ज देने के आदी हैं····

श्री मदनसिंह : आप स्वीकार तो करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने दो बार आपको स्वीकार नहीं किया तीसरी बार आपको प्रतिनिधि बना कर भेजा ।

श्री बृजमोहनलाल : एक बार इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिनको दो बार जनता ने स्वीकार नहीं किया, वे कहते हैं कि मैं गांधीजी की खड़ाऊ लिये लिये फिरता हूं, लेकिन उनको मैं याद दिलाऊं, जिस समय हम आज़ाद हुए थे उस समय आप कहते थे कि मैं पं० जवाहरलाल नेहरू को अलवर की घाटी से परे खदेड़ दूंगा और आज इस तरह की बातें करते हैं········

एक माननीय सदस्य : उस समय तो आप दाढ़ी रखाते थे।

३ म० प०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) यह हमें अच्छी तरह से याद है और फिर तीन रोज की हुकूमत चाहते हैं इसमें क्या होगा हमें अन्दाज है।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया गया है, इसके लिये मुझे यह कहना है कि अलवर की घाटी के पार वे जा सकते थे ? वे कैसे जा सकते थे, वे तो राजस्थान में रहते ही नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर मैं समझता हूं कि राजस्थान आपके व्यक्तित्व से, आपके पुरुषार्थ से, आपकी विचारधारा से पूरी तरह परिचित है और जो सेवाएं आपने प्रगतिशील राजस्थान की की हैं उनसे भी सब परिचित हैं। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। आप रामराज्य से तो जनसंघ में जा बैठे हैं। यह बात तो कहने की है। कल आप कांग्रेस में सिद्धान्त की बात कह रहे थे तो मुझे निवेदन करना था कि सिद्धान्त की बात कह कर आप अपनी बात मत कहिये। एक ही बात पर आप टिकने वाले हैं या क्या हैं यह आपने ही साबित कर दिया। वैसे वे मेरे परम मित्र हैं। वे विनोद में कह देते हैं, तो विनोद में ही मैं कह देता हूँ।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस में आ जाऊं।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्राइम के बारे में कहा गया। पर एक दिक्कत इसमें है कि क्राइम की सिचुएशन को जांचने के लिये सभी जगह क्राइम कितने होते हैं इसका तादाद से अन्दाज किया जाता है। अब यह नई बात कही गई जिसके बारे में नया रजिस्टर मेन्टेन करना होगा कि कितने-कितने रुपये की चोरी वगैरह हुई। वह भी जानकारी अगर इकट्ठी की जावेगी तो जवाब तो इसका भी वही होगा, अन्तर नहीं पड़ने वाला है।

इसी तरह एम्बेज़लमेन्ट की बात काफी कही गई, जोरों से कही गई पर आंकड़ों से बात विपरीत पड़ गई। इस तरह से स्वीकार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करना चाहिये कि इन बातों में सुधार हुआ है, सुधार की ओर हम बढ़ रहे हैं। पर इससे हम खुद इन्कार नहीं करते कि सब कुछ ठीक है । अब भी काफी कुछ करना बाकी है । हम जानते हैं बहुत सी चीजों की आवश्यकता है जिन्हें ठीक किया जाना चाहिये । इसके करने में हम अबतक निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं । पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर हमारे यहां पर चर्चाएं होती हैं वे ज्यादा अच्छा असर नहीं पैदा करती हैं। सदन में कोई भीतर खड़ा हो जावे तो यह भी भ्रष्टाचार, कोई यहां आ कूदे और पीड़ित हो तो यह भी भ्रष्टाचार और कोई कुछ और हो गया तो वह भी भ्रष्टाचार हो गया। तो इस पर मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार की चर्चा करने से जिस चीज़ को हम रोकना चाहते हैं वह ज्यादा फैलेगी और आदमी जो यहां असेम्बली में आते हैं यह समझेंगे कि यहां तो यह मालूम पड़ता है कि समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला है । तो इससे अधिक असर नहीं पड़ेगा । इसलिये मेरा अर्ज करना है कि जो वास्तविकता है, तथ्य है वह यहां आप अवश्य रक्खें, इससे इन्कार नहीं । अच्छा है । इसीलिये मैंने सोचा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वह हो जावे । अच्छा है एक चीज़ हो जावे । पर फिर भी मैं यह जानता हूं कि बात यहीं समाप्त नहीं होने वाली है । फिर भी जब कभी मौका आवेगा यही कहा जावेगा । कोई बात और कहने की उनके पास है नहीं, कोई पोलिसी की बात हो ऐसा है नहीं, उनके पास कुछ जो कही जा सकती हो कि हमारी यह प्रोग्रेसिव पोलिसी है जिसको यह सरकार पूरा नहीं कर सकती । ले दे कर देखा कि यह फाइव इयर प्लान अब फैलने लगी है, गांवों के लोग अब उठने लगे हैं, जागृति उनमें और तरह की आने लगी है तो उन्होंने सोचा अपना कार्यक्रम क्या हो । कहने लगे भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है । जनता इस तरफ आकर्षित होगी यह सोचकर बस उसी कार्यक्रम को अपना लिया । पर इस कार्यक्रम से आज न यह सदन और सरकार गुमराह होने वाली है और न जनता गुमराह होने वाली है ।

(करतल-ध्वनि)

हमने भी आज नई परिस्थितियां बदलने के बाद जन सेवा करना शुरू नहीं किया है पर उस मौके पर करना शुरू किया है जब हिन्दुस्तान पर जुल्म होते थे, जनता जुल्मों की चक्की में पिस रही थी, उस मौके पर हम अपनी जान हथेली पर रख कर आये हैं । आज दूसरों को कह देना आसान है । पर हमारे पीछे भी एक स्टेन्डर्ड है जिसको लेकर हम खड़े होते हैं । हमने कोई अपना सार्वजनिक जीवन इसलिये नहीं शुरू किया था कि हमें कोई पद सरकार में मिल जावेगा । कहा जाता है हम लोगों के महल बन गये, बंगले बन गये । मैं कहना चाहता हूं मैं उन लोगों में से हूं जो साइकिलों पर तीन साल तक गांव-गांव घूमा हूं । हम इसकी फिकर करने वालों में से नहीं हैं कि हमारे पास मोटरें हों, बंगले हों तभी हमारा काम चले, नहीं तो नहीं चले । अब जिनका न चलता हो उनका न चले पर मैं हिम्मत रखने वालों में से हूं । मैं इनके बिना भी चला हूं और काम किया है जो सबके सामने है, हज़ारों लाखों लोगों के सामने है । इसलिये केवल दूसरों को भला बुरा कहकर ऊंचा उठने की कोशिश मत करिये । इसके पीछे अपने आप को छिपाने का प्रयत्न मत करिये । जो वास्तविकता है उसे आप मानें और प्रयत्न करें आगे चलने का ।

आज हम भी शासन को लेकर बैठे हैं ।

Page No.82

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आज मैं कहता हूं पच्चीसों मौके ऐसे हो सकते हैं जिनमें बिना किसी नीयत के हमसे गलती हो सकती है, गलत ऑर्डर हो सकता है और भूलें हो सकती हैं। पर इनके पीछे कारण क्या है, भूमिका क्या है, यह देखना होगा। इसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसकी भावना और नीयत क्या है यह भी देखना होगा। केवल यह कह देना कि भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया इससे काम नहीं चलेगा। केवल इस नारे को उठाकर आप अपनी राजनीति चलाना चाहेंगे तो राजनीति नहीं चलेगी। वह कुछ टाइम तक चल सकती है। जो बहुत दूर तक चलना चाहते हैं वे आगे जाकर धोखा खाते हैं, असफल होते हैं, धोखा खाया है, असफल हुए हैं और आगे भी धोखा खावेंगे और असफल होंगे। यह मैं कहना चाहता हूं।

(करतल-ध्वनि)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर और चर्चाओं के साथ में यह भी कहा गया कि राजस्थान के अन्दर जो योजना के काम हो रहे हैं उनके अन्दर कोई खास प्रगति नहीं है, कोई तेजी नहीं है और और भी बहुत सी बातें कही गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यों पर निगाह डालें तो हमें मालूम होगा कि कुल मिलाकर राजस्थान के अन्दर क्या प्रगति हुई है और राजस्थान में हम आगे बढ़ने के लिये क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना में पहले वर्ष में सन् ५१–५२ में हमने २,२७ करोड़ रुपया खर्च किया। ५२-५३ में २,६५ करोड़ रुपया खर्च किया, ५३-५४ में ५,४१ करोड़ रुपया खर्च किया, ५४-५५ में ८,५८ करोड़ रुपया खर्च किया और ५५-५६ में १३८६ लाख रुपया खर्च किया। इसका मतलब यह होता है कि राजस्थान के अन्दर, जो अलग अलग राज्यों को मिलाकर बना था, उस वक्त उसमें टैक्नीकल पर्सोनल्स की कमी थी, व्यवस्था की कमी थी, इनीशियेटिव की कमी थी, इर्रिगेशन की कमी थी पर इन सारी कमियों को पार करके, जोड़–तोड़ कर आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि जिसके आधार पर हम यह अच्छी तरह से कह सकते हैं कि हमने अच्छी प्रगति की है, हम ही नहीं कह सकते दूसरे भी कह रहे हैं। हमारे यहां पर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो इस प्रगति के थर्मामीटर हो सकते हैं, उनसे पता लग सकता है कि किस प्रकार यहां के गांवों के लोगों का जीवन बदल रहा है, किस प्रकार उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, कितना तीव्र परिवर्तन हो रहा है, आप चाहें तो मेरे पास आएं। मैं आपको बतलाऊंगा कि जो जो बाहर के लोग आये उन्होंने अपनी क्या राय बनाई है। एक नहीं, दो नहीं, कई आये, अमेरिकन आये, डे साहब आये, दूसरे आये, सबने देखकर आश्चर्य व्यक्त किया है कि राजस्थान किस तेजी से बदलता जा रहा है और किस प्रकार लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है। हम इन चीजों को टालने का प्रयास न करें। आज गांवों में जागृति पैदा हुई है उसे आप देखें। आज जिस प्रकार का आप का खयाल शासन के बारे में है उसे आपने देखा होता तो यह खयाल नहीं बनता। वे भी यहां आकर देखें सुनें तो उनका खयाल नहीं बन सकता कि यहां प्रगति नहीं हुई है। विश्वास है उनको आज शासन में इसलिये कि इस शासन ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया इससे कौन इन्कार कर सकता है।

किसी ने कहा कि आप यहां पर नहीं रहेंगे अब। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर नहीं रहूंगा, मुझे इसकी चिन्ता नहीं। पर इतिहास में यह रहेगा कि मेरे वक्त में जो शासन था उसने जो जागीरदारी प्रथा थी उसे समाप्त किया है और गरीब किसानों को राहत दी है। यह इतिहास से मिटने वाला नहीं है। यह बात इतिहास में नहीं मिटेगी। इसमें सीलिंग लगाकर हमने जिस गरीब को जमीन नहीं मिल सकती थी, उसको जमीन दिलाने की व्यवस्था की, इसके लिये कानून लाकर रक्खा, इससे कौन इन्कार करेगा, इतिहास इसका साक्षी रहेगा। मैं यहां रहूं या नहीं इसकी चिन्ता एक मिनिट भी नहीं करता। हम जिस रास्ते पर चलते रहे हैं, जिस रास्ते पर चलना हमने सीखा है हमने उसी रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया है और हमें इस बात का सन्तोष है कि हमने उस रास्ते पर चल कर राजस्थान को आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि केवल इन कुछ बातों को कहकर उन चीजों को, उन कामों को, हमारी उन सेवाओं को जो हमने की हैं इधर उधर करने का प्रयत्न किया जावे तो उचित न होगा।

ये बातें इसलिए कही हैं मैंने कि मैं आपको यह निवेदन कर सकूं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उन पर बड़ा भार है और हमको एक शासन व्यवस्था चलानी होती है। इसमें हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप हमें कुछ व्यावहारिक सुझाव दें। पर इसके बारे में लगातार आप जिस भाषा को काम में लाते हैं, जो लोगों में निराशा और अविश्वास बढ़ाने की प्रवृत्ति पैदा करती है, कभी पुलिस का नाम लेकर, कभी फोर्थ क्लास सर्वेंट्स का नाम लेकर, कभी लो पेड स्टाफ का नाम लेकर और कभी यह कहकर कि कम से कम एक सरकारी नौकर को सौ रुपया मासिक तनखा होनी चाहिये, यह उलझनें ही अधिक पैदा करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं आप सोचें आज अगर इनको सौ रुपया मिले तो किसको खुशी नहीं होगी, क्या हम नहीं चाहते कि इनका सौ रुपया न हो। मुझे बहुत खुशी होगी हमारा कम से कम वेतन स्तर सौ रुपया हो जाय तो। पर इसके लिए कोई रास्ता तो हो। बजट जो हमारा है वह छिपी चीज नहीं है। बजट आपके सामने आता है। इस पर से आप यह तो बतावें कि यह व्यवस्था कैसे सम्भव हो सकती है। जोड़ तोड़ कर, दो–दो डेढ़–डेढ़ हजार जिनको मिलते हैं उनके कम करके भी सौ-सौ रुपया सब को दे दिये जावेंगे यह व्यवस्था तो आप बतावें। आज केरल में साम्यवादी सरकार को कायम हुए एक वर्ष हुआ पर वहां भी क्या सौ रुपया सब का हो गया? मैं यह पूछना चाहता हूं। क्या वहां तनख्वाओं में परिवर्तन हो गया? तो यह तो सारी बात आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी। लेकिन फिर भी हम खुद इस मामले में सतर्क हैं कि जिनको कम वेतन मिले उनके लिए कुछ किया जाय और इसी वजह से एक वर्ष पहले हमने पांच रुपये की वृद्धि की और वह केवल उनके लिए कि जिनको कि सौ रुपये से कम वेतन मिलता है जिससे कि उनको कुछ मदद मिल सके। मैंने यह कभी नहीं कहा कि जो कुछ मिलता है वह पर्याप्त है। वह कम है इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन कमी तो हम सब की मिलाकर है। आज एक व्यक्ति के ऊपर राजस्थान के अन्दर जो खर्च करते हैं और उसके अनुपात में दूसरे राज्य एक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्च करते हैं यह सब भी तो हमको देखना है। एक व्यक्ति के ऊपर राजस्थान की कितनी आमदनी है और उसके ऊपर कितना

Page No.84

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

खर्च होता है, इन सबकी गहराई में हमें जाना होगा और इसी के बाद यह निर्णय कर सकते हैं, क्या उपयुक्त हो सकता है और क्या उपयुक्त नहीं हो सकता और इस मामले में हम क्या कर सकते हैं ? इन सारे प्रश्नों के ऊपर हम पूरी तरह से विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। और भी अध्यक्ष महोदय, कई छोटी मोटी बातें यहां पर उठाई गईं। भरतपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे में सवाल आया कि भरतपुर म्युनिसिपैलिटी में करप्शन है और फिर उन भारती साहब का नाम लिया गया कि उनको फिर दस हज़ार का लोन दे दिया गया। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं तत्काल दस बारह घन्टों में उत्तर देने की परिस्थिति में नहीं हूं। लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां करप्शन साबित होगा वहां पर हम सख्त से सख्त कदम उठाने में भी नहीं झिझकेंगे और इस पर हमने कदम उठाये भी हैं और उठा भी रहे हैं और वह समय समय पर सदन की जानकारी में आयेंगे।

दूसरे उन्होंने यह कहा कि अभी सरपंचों का सम्मेलन हमने इसलिए किया कि जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों में लोगों को प्रभावित करने के लिए सरपंचों को यहां पर बुलाया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्य से आशा करता था कि चुनाव का मतलब यह होता है कि पंचों को खुद को चुना जाना है न कि चुनने वाली जनता यहां पर थी जिसको जवाहरलालजी यहां प्रभावित कर देते। यह मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वे प्रभावित हो जायेंगे क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं। यह अच्छा होता कि यह सम्मेलन चुनावों के बाद बुलाया जाता, ऐसा भी उन्होंने कहा। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर पंचायतों के कहीं तो चुनाव हो गये हैं और कहीं हो रहे हैं और कहीं अब होने वाले हैं। तो अलग-अलग जगह अलग-अलग स्थिति है और इतनी बड़ी चीज़ हमारे सामने थी कि मैं आपको बताऊं कि हमने उनके सामने क्या क्या मूल बातें डिस्कस कीं। हमने यह डिस्कस किया, कि हम किस प्रकार कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हमने यह डिस्कस किया कि जो बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट जो है इसके बारे में उनके क्या विचार हैं ? हमने यह डिस्कस किया कि किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में सम्पर्क स्थापित हो सकता है ? तो मैं नहीं समझ सकता कि जिन बातों के करने से जनता की भलाई होती है उनको यह बुरा कैसे कहते हैं ? यही मूल विचार थे जो कि हमने सरपंचों के सम्मेलन में डिस्कस किये।

अब एक और दलील यहां आई और वह दलील यह थी कि अगर कृषि का उत्पादन अधिक करेंगे तो वह ठीक नहीं है और अधिक उत्पादन हो जायेगा तो अन्न के भाव गिर जायेंगे। इतनी बड़ी आर्थिक नीति है कि जिसके बारे में पूरे देश की सभी पार्टियों में किसी में भी मतभेद नहीं है। वह सब यह कहकर चलते हैं कि देश के निर्माण की अगर आवश्यकता है तो अन्न के उत्पादन से ही हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिन डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट अच्छा कैसे हो सकता है, तो मैं ही आप को बताऊं कि राजस्थान का ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट है कि जिसने इस साल अपने टार्गेट को करीब करीब पूरा किया है।

(करतल-ध्वनि)

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिए जो राजस्थान का टार्गेट फिक्स किया गया है उसको भी हम एचीव करेंगे बल्कि उससे भी आगे हम निकल जायेंगे ।

(करतल-ध्वनि)

अशोक मेहता कमेटी आई, जब केवल राजस्थान था कि जिसने कहा कि जो प्लान का टार्गेट रखा गया है उसको हम पूरा करेंगे। आज इन बातों से नतीजा निकलता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में काम नहीं होता। खैर जो बातें कही जाती हैं वह मैंने कहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि हम और आप देख रहे हैं कि ट्रक के ट्रक और वैगन के वैगन अनाज के राजस्थान के बाहर जा रहे हैं।

(करतल-ध्वनि)

आज ४२ लाख जनता के अन्दर अकाल घोषित होते हुए भी राजस्थान के अन्दर अन्न की कमी नहीं है और बल्कि राजस्थान के कुछ इलाकों से अन्न बाहर जाता है।

(करतल-ध्वनि)

तो अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता और अगर कुछ हो सकता है तो वह यह हो सकता है कि जो आंकड़े हम इतने ज्यादा दे रहे हैं वे जनरल तरीके से बढ़ रहे हैं जिनका कि स्टेटिस्टिक्स एकत्रित करना मुनासिब नहीं है। हर बात को दूसरे पहलू में समझना ठीक नहीं होता। अगर ठीक तरह से देखा जाय और सोचा जाये तो सोचने में भी सहूलियत होती है।

फिर एक माननीय सदस्य ने कहा कि जलबोर्ड के अन्दर जबर्दस्त गड़बड़ियां हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जलबोर्ड ने जो काम किया उससे, करीब करीब मुझे ठीक तादाद याद नहीं है लेकिन सात-आठ या दस हज़ार जगह पीने के पानी के बारे में व्यवस्था की। उसमें से कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां काम पूरा नहीं हुआ और जलबोर्ड के काम में करीब करीब रुकने जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब जलबोर्ड के काम के अन्दर, कुछ लोगों ने जैसा अभी कहा कि रसीदें नहीं दीं या रुपयों की गड़बड़ हुई तो मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने पिछले जलबोर्ड की मीटिंग का जिक्र किया कि वहां पर चर्चा हुई, अच्छा होता अगर वे उस जलबोर्ड की मीटिंग में जो दूसरी बातें हुईं उनका भी जिक्र करते, वहां पर यह भी तय किया गया कि जो दोषी हैं उनका चालान किया जाय और उनको सजा दी जाय, तो मैं समझता हूं कि आज कोई कह सकता है कि किसी ने गलती की लेकिन जिसने गलती की उस करोड़ डेढ़ करोड़ रुपये के काम में इतनी जल्दी काम हुआ कि जहां लाखों रुपयों का लोगों ने सहयोग दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ गलतियां निकलें तो उनको सज़ा दिलवाई जाये। यह तो उचित है लेकिन इतने समय में दस हज़ार जगह की व्यवस्था हुई उससे कभी हम इनकार नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि अगर गलती होती और सज़ा नहीं दिलवाते तो हो सकता है कि यह सारी व्यवस्था रुक जाती।

शुरू शुरू में हमारे यहां भाषण शुरू करते ही श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो वित्त मन्त्रीजी मेरे पास बैठे हुए हैं उनको यहां बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पिछली बार सदन में बातचीत हो चुकी थी और बातचीत होने के बाद में क्या हो सकता है और क्या नहीं, उसके बारे में भी चर्चा हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चुकी थी। फिर उन प्रश्नों को एक व्यक्तिगत तरीके से जोड़कर आगे बढ़ाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। मैं इससे ज्यादा इस वाद–विवाद में पड़ना आवश्यक नहीं मानता।

फिर यहां साहित्य एकेडेमी के बारे में जिक्र हुआ और इसको साहित्य एकेडेमीज़ कहना चाहिए था उसके संबंध में चर्चा हुई और चर्चा करते समय यह कहा गया कि यह जो साहित्य एकेडेमीज़ हैं तो अच्छी हैं लेकिन एकेडेमीज़ का विरोध इसलिए है कि ग़लत आदमी इसमें रखे गये हैं और विद्वान लोग इसमें नहीं रखे गये। दूसरी जगह पर कहा गया कि संगीत एकेडेमी में ऐसा हुआ, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमने यह पहले पहल शुरूआत की है। मैं समझता हूं कि शुरूआत के अन्दर एक विरोधाभास के साथ, एक दूसरों के झगड़े के साथ इन सब कार्यों के साथ जो यहां विशेष प्रकार की उलझन में हमें डाल दिया तो उसका परिणाम यह होगा कि जो हमें राजस्थान को इन एकेडेमीज़ के द्वारा आगे बढ़ाना है उसको धक्का लगेगा। इसलिए अभी देखना चाहिए अभी तो उसकी कोई शुरूआत नहीं हुई है केवल उसका उद्घाटन हुआ है। आगे काम होना बाकी है, उसके पहले ही एक वाद-विवाद और विरोध की दूसरी चीजें सामने आती हैं, तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं मालूम होता है।

लोक-कला मंडल के बारे में यह चीज आई कि लोक-कला मंडल वालों ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से ग्रान्ट ले ली, राजस्थान गवर्नमेंट से लोन ले लिया, और दूसरों से भी ले लिया। तो मैं जानकारी के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनको ६५००) रु० का ग्रान्ट मिला है, लेकिन वह मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स की तरफ से मिला और इस बात के लिए मिला कि वह मध्य प्रदेश के भीलों का क्लचरल सर्वे करें। आदिवासियों के इस काम के लिए वहां (केन्द्र से) मिला, उसके बाद उन लोगों ने काम किया और काम करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि यहां के भील और आदिवासियों के बीच में उनका क्लचरल सर्वे करें। उसके लिए ५०००) रु० दिये गये। कुछ पुस्तकें छपी हैं, जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पुस्तकें इस प्रकार हैं:

१. राजस्थान के लोक नृत्य, २. राजस्थान के लोकनाट्य, ३. भारतीय लोकनृत्य, ४. लोक कला नियमावली (भाग ३)।

इस प्रकार से कुछ पुस्तकों का निर्माण किया गया है। यह भी कहा गया है कि उनको दो जगहों से एड मिली है, राजस्थान के सोश्यल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और दूसरा शायद उन्होंने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट से; तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दो जगहों से नहीं मिली है। तीसरी बात यह है कि एक चेप्टर को दो जगह लिख कर मदद लेली। एक ही चीज़ लिखी हो, ऐसा नहीं किया गया है। उसमें फर्क है। यह मेरी जानकारी के लिए बतलाया गया है।

जब हमारे इस तरफ के नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो यह कहा गया था कि आपको तो नहीं बोलना चाहिए नहीं तो अजमेर की सर्विसेज़ का क्या होगा। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी दे देना उचित सम-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मझता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर किसी प्रकार भ्रम या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार उठा करता है। तो मुझे यह निवेदन करना है कि अजमेर की सर्विसेज़ और राजस्थान की सर्विसेज़ के इन्टिग्रेशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से जहां तक पे प्रोटेक्शन के मामले के नियम हैं, जो रूल्स उन्होंने आम तौर से स्टेट्स के लिए लागू किये हैं उनके बारे में यह है कि जो तीन साल से ऑफिशियेटिंग करता रहा है, उसको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, जब कि राजस्थान के अन्दर हमने यह किया है कि जो व्यक्ति एक वर्ष तक ऐसी किसी पोस्ट के ऊपर वर्क करता रहा हो तो उसकी पे को प्रोटेक्ट किया है सब्जेक्ट टू दिस कि वह इक्विवेलेन्ट पोस्ट के ऊपर एपाइन्ट किया गया हो। उससे एक कठिनाई होती है कि जिसके कारण पे फाइनल नहीं होती है।

दूसरी बात जो कही गई तो आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन कर दूं कि जो कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार अजमेर की सर्विसेज़ में से टेम्परेरी और परमेनेन्ट सब को मिला कर, कुछ व्यक्तियों को जो कि पंचायतों के इलेक्शन कराने के लिए रखे गए थे उनमें से भी बहुतसों को एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में नौकर रखा गया है, कुछ व्यक्तियों को नहीं रखा गया है।

तीसरी बात मुझे निवेदन करना है कि जो इसके मामले में कमेटी का सवाल आता है कि किसी को सीनियोरिटी के बारे में एतराज हो तो कहां कर सकता है, तो राजस्थान के अन्दर एक कमेटी राजस्थान लेवल पर नॉन गजटेड स्टाफ के लिए कायम कर दी गई है जिसके एक मेम्बर हैं, श्री वर्मा, जो चेयरमेन हैं पी. एस. सी. के, दूसरे मेम्बर हैं हमारे एपाइन्टमेंट्स के सेक्रेटरी, और तीसरा एप्वाइन्ट किया जायगा गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की ओर से जिसके लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है कि अपील कमेटी के लिए नाम भेज दो। और गज़ेटेड स्टाफ के लिए रूल्स यह है कि गजेटेड स्टाफ के बारे में एप्लाई करेगी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया कमेटी सेट अप करेगी उसके पास में। अभी वह कमेटी गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया में सेट अप नहीं की है। उस कमेटी के सेट अप हो जाने के बाद वहां जाकर बातचीत करने की गुंजायश होगी।

फिर अक्सर यह प्रश्न आया करता है कन्फरमेशन के बारे में तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कन्फर्मेशन के बारे में कोई बात नहीं थी। उसके बाद हमारी इन्टर स्टेट की मीटिंग्स हुई उन मीटिंग्स में तय किया गया था कि राजस्थान में जो इन्टिग्रेटेड सेट अप है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के कन्फरमेशन के रूल्स यह हैं कि अजमेर के अन्दर सन् १९५३ तक, जहां तक मुझे याद आता है, वहां तक कि जो सर्विस वाले हैं उन्हें कन्फर्म किया जा सकता है। उसके अलावा कन्फर्मेशन का सवाल नहीं है। फिर जो इस वक्त के बाद राजस्थान बन गया है, राजस्थान बनने के बाद कई कन्फर्मेशन होने शुरू हुए हैं और आज जो कन्फर्मेशन किये गये हैं उनके अन्दर यह ध्यान रखा जाता है कि कोई सीनियर आदमी नहीं रह जाता है जिसके ऊपर असर पड़ता है। सीनियोरिटी लिस्ट के बारे में प्रश्न आया करते हैं तो सीनियोरिटी लिस्ट कुछ डिपार्टमेंट्स की तैयारी हो गई है। आर. पी. एस., आर. ए. एस. और सेक्रेटे-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रियेट की तैयारी हो गई है। कुछ डिपार्टमेंट्स की सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल नहीं कर पाये हैं इसकी वजह से अजमेर और उनके बीच में सीनियोरिटी फाइनेलाइज़ करने में समय लगता है। मैं समझता हूं कि एकीकरण के बाद प्रश्न नहीं आता है कि अजमेर की सर्विस वाले अलग हैं और राजस्थान की सर्विस वाले अलग हैं। हम यह भावना लेकर नहीं चलते हैं। हम समझते हैं कि राजस्थान की सर्विस वाले हैं। उनको नुकसान पहुंचाने की तरफ सोचने का प्रश्न नहीं है और न यहां वालों को नुकसान पहुंचाने की बात आती है।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और अन्त में एक बात कह देना चाहता हूं कि हमने पिछले अरसे में जो कुछ भी हम से बन पाया राजस्थान की सेवा करने का प्रयत्न किया और मैं समझता हूं कि सरकार के अन्दर राजस्थान में जो कुछ असर है वह आसानी से जाना जा सकता है, उसके बारे में मुझे अपनी तरफ से कहने की आवश्यकता हो वह मैं जरूरी नहीं समझता। यहां पर वाद विवाद भी उठें और वाद-विवाद उठाये जायं। दरअसल में कहने को कई बार यहां प्रश्न रखा जाता है मूंदड़ा केस का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस केस के बारे में पूरी तरह से पहले तथ्यों के साथ में जानकारी दी गई थी। सारी बातें सामने थीं, गवर्नमेंट को लाखों रुपयों का लाभ हुआ था वह एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था। उसके बाद में उन चीजों में आगे प्रोसीड हुये हैं। मैं समझता हूं कि जो बातें हम कहते हैं क्या उस आधार पर उतना उतरते हैं या नहीं? यह माननीय सदस्य के सोचने की बात है। मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस एक केस की जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की उसमें उन्होंने मुझ पर आक्षेप किया है। इसलिए मैंने कहा था। लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार के शोर और इस प्रकार की आवाज़ से एन्क्वायरी कायम नहीं करती है। जहां तक तथ्य नहीं हों, पूरी बात नहीं है, जहां तक एस्पर्शन्स पूरे न हों वहां पर जुडीशियल इन्क्वायरी कायम नहीं हो सकती है। मैंने एक स्टेप लेने की बात सदन में कही है। मेहरबानी करके इस प्रकार की बातों को मिसाल नहीं बना दें जिससे क्या सच है और क्या झूठ है, उसका अन्दाजा नहीं हो पायेगा और हम असल पर नहीं पहुंच पायेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है और बड़े जोर शोर से भ्रष्टाचार की बात कही थी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर यह हो जाता है तो अविश्वास के प्रस्ताव को वापिस ले सकते हैं। मुझे यह देखना है कि उसका परिणाम क्या होता है।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : यह बहस ४.४५ बजे तक चलेगी, उसके बाद मतदान होगा।

(विराम)

राजा मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह : Mr. Speaker, Sir, yesterday I had moved a motion of No-confidence against the Government.

३.२५ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

I was disappointed in seeing

(राजा श्री मानसिंह)

that the only person who could support the Government......

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने, सदन से बाहर जाने से शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! Those who want to withdraw should do so stealithily and silently.

राजा श्री मानसिंह : (जारी) I was disappointed to see that the only persons who could sincerely support the Government were the same gentlemen who supported the Government in the Motion of Thanks to H. E. the Governor. The Hon. gentleman from Nasirabad apparently felt it his duty, in the absence of other supporters, to do so. Previously he has represented the State of Ajmer in the Lok Sabha, and he has only joined this body during the last year. I admit, Sir, that when I went through the audit reports of Ajmer State, I was amazed what a good impression these reports left on me. How rampant corruption was in the former Ajmer State ! But the Hon. gentleman from Nasirabad is not conversant with the problems and facts of Rajasthan. The other supporter of the Government, Sir, was the gentleman from Osian. He criticised the speeches of the members of the opposition from para to para and so on. I would have expected this criticism from the Treasury Benches but unfortunately, the gentle man who has no knowledge of the facts and figures fully had to be given the duty. The third person who supported the government was the gentleman from Banswara. He made a long report, election speech. I would advise him that he should keep a copy of the speech for the 1962 elections. He criticised the Maharajas. What wrongs they have done to Congress ? But I see, of course, that they had been helped by one of our Maharajas who sits across the floor. They have to secure the support of many Maharajas in Rajasthan; otherwise many members across the floor would not have been here and on the All India basis the party gave many tickets to Rajas and Maharajas whom they now criticise.

We are told that for the abolition of Jagirs, the credit goes to the Congress. No one else thought about it. In Bharatpur we had abolished Jagirs eighty years ago when the Congress was not even heard by us. It was done then. He mentioned embezzlement cases and he says that these facts were discovered by the Government and, therefore, the credit goes to the Government. He forgets that these discrepancies were discovered by the Auditor General and the Accountant General or by the Public Accounts Committee

(राजा श्री मानसिंह)

which is elected by this House. I took the trouble, Sir, in moving this motion of No-confidence to give as many facts and figures as possible from the audit reports and the Public Accounts Committee reports so that the Government cannot evade this. We are told that these matters were refered to many years back. There is no doubt, the Chief Ministers and the Treasury Benches changed from time to time but the Government remains as such and the responsibility of inefficiency of the Government in the past lies with the present Treasury Benches. Every report is a glaring history of the inefficiency of the Government. And because inefficiency is pointed out in the report of the Public Accounts Committee and the audit reports, I feel from the Chief Minister's remarks that he seems to be proud of it. Because the matter comes in the knowledge of the Public Accounts Committee or the Audit, the Government cannot lessen its responsibility.

It was clear to me, Sir, in this debate that my Hon. friends across the floor did not realise the seriousness of the charges that I had levied. 379 cases of embezzlement were pending before the Government in 1956. Apparently they feel that no one can do embezzlement with public funds. It does not matter even if the Government comes to know of it; even what action they have taken, what punishment they have given ? No one is worried about it. The Hon. member from Osian qualifies that favouritism can either mean special advantages given to relations of Ministers or Congress. well, Sir, I am glad that we have a very small Cabinet in Rajashan; the relations of our friends in the Treasury Benches have run out but on the other hand there is undue influence given in many spheres to Congressmen. Apart from this, undue advantage can also be given to friends who may not be Congressmen or who may not be related to the Treasury Benches. However, my interpretation of favouritism is that any one who is deprived of his right has been deprived of it due to injustice and favouritism. Hon. Chief Minister was pleased to speak that 40 R. A. S. officers were recruited in the Emergency Recruitment. We do not know what their qualifications were and why they were recruited and if they were required for emergency purposes, they can now be disbanded. I should like to know that out of 168 Tehsildars of Rajasthan. not many have been promoted to R. A. S.; have all of them been found unsuitable ? We are told by the Leader of the House that there is no favouritism in the Appointments. I give you a clear example that even outside this House in Jalebi Chowk a Naib

Page No.91

(राजा श्री मानसिंह)

Tehsildar sits there, by the name of Shri Gang Lal, who worked as a Clerk till 1953 and he was confirmed as Naid Tehsildar in 1957 and was selected as Tehsildar over the heads of others. There is no fauouritism in it ! I will give you another examplo to emphasize my point. One of the substantive Naib Tehsildars, Shri Jagat Narain has been officating at Ajmer as Assistant Collectar and Magistrate. Why are these appointments made over the heads of others ? Are there no substantive Tehsildars in Rajasthan. We have been informed, Sir, on two or three occasions that the Balwant Rai Mehta Committee came and in that Committee, when this House during the discussion on the report of this Committee, this House is to decide whether we want District Boards or District Councils in our State. The issue is this, Sir, that we passed the District Boards Act three years ago. Why were District Board elections not held two or three years, two or three years ago. There was no Balwant Rai Mehta Committee report before the House, it did not come before the house, The whole issue is being hidden and covered up to defend the Government.

About Panchayat Sammelan that was held some time back I would say a few points. Again my friend from Osian stated that this matter was not a political affair. In the programme that was circulated amongst the members of this House, two individuals were mentioned, Shri Debhar Bhai and Shri Shriman Narain, that they would be addressing the Sammelan. I do not know whether such persons exist in the Government of Rajasthan or in the Central Government. Who are they ? But such individuals are requested to address a Government function !

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य बृजभाषा में बोलें तो अच्छा हो। इससे जो लोग इनके भाषण को समझना चाहते हैं वे समझ सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please ! इनकी भी यही मजबूरी है, आप भी हिन्दी भाषा नहीं समझते। He will continue in English.

राजा श्री मानसिंह : (जारी) At the time, Sir, when the Prime Minister came to Rajasthan and he visited a school, a privatly owned school some distance from Jaipur, the leader of this House very graciously donated one lakh rupees to the institution. I would like to know, Sir, who gave him the authority to donate this amount, and that too to an institution run by a Congressman, and then he has the face to tell us that there is no favouritism ! I had requested for the figures that the Rajasthan Government had spent on the Prime Minister's visit to Jaipur. I have reason to believe, Sir, that the figure goes

(राजा श्री मानसिंह)

above Rs. 1½ lakhs. On the other hand, I shold like to remind the Treasury Benches that in 1956 they allotted only Rs. 1,33,000/- for flood relief in several districts of Rajasthan, of which Bharatpur, where there were the worst floods only got a part. That was the public service that they could render, but because the Prime Minister is such a notable figure in the world today, according to my friends, we had to spend Rs. 1½ lakhs of above to entertain him in Jaipur. Rajasthan is a deficit State, Sir. The Hon. Finance Minister will be placing the Budget before this House in another few days and we shall all see this year whether we are running in deficit or not. Should such expenses be undertaken when we cannot afford to ? If Rajastan cannot afford the visits of notable visitors from the Centre, I think we should postpone these until we can afford them. Many serious lapses have been made, Sir, since the Congress Government took over the reins of Government in 1952. In the second general elections, the same party has again taken over the reins of the Government. I should have expected today that some sort of assurance should have been made from the Treasury Benches to see that no further lapses take place in future. But, no; only lame excuses are made. We were told by the Hon. Chief Minister during his reply on the Governor's address, Sir, that the agricultural improvement that was shown in the address was only a potential. We don't see the potentiality in our empty godowns. He has mixed up his words, Sir. We want to see the potentiality, all our lands should have been irrigted by onw. That is the potentiay we want to see. Much has been said, Sir, and I do not want to waste the time of this House on corruption, but again the people of Rajasthan are crying out. Only today I have received another telegram from Sadul which reads: "Forced statements being recorded. Witnesses being pressed to change evidence. No enquiry against Sheodansingh, suspended Thanedar, Rajgarh, District Churu. Accepts thousands in bribes here but to save him efforts being made. Enquiry by another impartial officer requested". Ramlal Babar.

There is not a single day, Sir, when from some corner of Rajasthan the grievances of people are not being brought forward. I have given the fullest opportunity to my friends across the floor to express their sincere opinions, but I know, Sir, that a whip has been issued from that side, the lash of which has crossed the floor. I should like to have heard the opinions about the Government from the members of Mahuwa constituency, Bayana General

Page No.93

(राजा श्री मानसिंह)

constituency, Lachmangarh constituency, Dag reserved constituency, Pali constituency and the Member from Bilara constituency. Why are their lips closed today ? I know, Sir, that in the heart of their hearts they are with me. But a whip has been issued and they are frightened that in 1962 they may not be given the Congress ticket. We have been told, Sir, that the Congress has given Independence to the people of India, they have become the contractors of giving Independence to the people of India. The Congress has given them N. E. S. blocks in the districts, electric lights in cities, irrigation projects-both minor and major and they say they have achieved the abolition of jagirs; what more do the people want ? This is want they say. They do not realise that the people want employment and food; they do not realise that people want efficiency in the Government security and justice, which is not available to them.

With these words, Sir, I express the hope that the major sections of this House will support my motion.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन में दो दिन से चर्चा सुनने को मिल रही है । उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मुख्य मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद, शायद जिस ढंग से उन्होंने आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत किये हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने की चेष्टा की है, वह उस चेष्टा में सफल होकर इस अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन में राय बनाने का प्रयत्न करें । उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कुछ बातें इस सदन में प्रस्तुत कीं, कुछ आंकड़े भी इस सदन में रखे और कुछ उपदेश भी इस तरह के दिये कि पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी में भाग लेने वाले व्यक्ति को उन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उपदेश देने का प्रश्न है, वे उपदेश दे सकते हैं, उनके उपदेश इस सदन में सुने जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमारे साथ बहुमत है, अविश्वास का प्रस्ताव लाने वालों के साथ अल्पमत है, सही है; लेकिन उपदेश मानने का काम भी यदि इस अनुपात से मानें तो उपदेश मानने का काम बहुमत का है और चाहे अल्पमत में ही हों, उनके सही उपदेश हों तो उपदेश मानने की तैयारी में होंगे । लेकिन कोई उपदेश दें उससे पहले अपने दल में जितने व्यक्ति बैठे हैं, जितने उनके दल के साथी हैं, उन्हें इस सदन में उपदेश न देकर सदन के बाहर उपदेश दें, इससे काम नहीं हो तो प्रेशर टेक्टिक्स से उपदेश दें, इससे भी नहीं हो तो इस सदन के जरिये उपदेश देने की बात करें, लेकिन उपदेश मानने का काम बहुमत का ही है और मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि यदि उनके उपदेश सही हों और उन्हें बहुमत मानेगा तो राजस्थान का सुधार होगा । लेकिन उपदेश देते हैं दलबन्दी का ! उनको उपदेश नहीं देते, शायद इसलिये नहीं देते कि उनकी तामील नहीं होगी । पर उपदेश बहुमत को देते तो अच्छा होता ।

(श्री भैरोंसिंह)

बड़े साहस से कहा, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में बातें रखी थीं, श्रीमान् राज्यपाल महोदय के भाषण के समय भी उन्होंने जिक्र किया था और उस समय मुख्य मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया उससे उनको सन्तोष नहीं हुआ उन्होंने खुलासा चाहने के लिये सदन में कुछ बातें प्रस्तुत कीं, पर न मालूम क्यों, मुख्य मन्त्रीजी जो यह कहते भी हैं और देखा भी है कि आवेश में नहीं आते, आज आवेश में आकर उन्होंने कहा, जो बातें कहीं, वे मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आवेश में हो कर कहा कि मैं इसमें इन्वोल्व्ड हूं, मुझे इन्वोल्व किया जाता है, इसलिये मैं चाहूंगा कि नाथद्वारा काण्ड की जुडिशियल इन्क्वायरी हो। माननीय उपाध्यक्ष, उनका इस तरह का कदम सराहनीय है, मैं सराहना करूंगा, इस प्रकार के सुझाव की प्रशंसा करूंगा, पर साथ ही कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा कि उन्होंने जो यह बात सदन में कही, वह जांच कब तक शुरू हो जायगी और उस जांच के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, जांच का काम शुरू होने तक मुद्दे की जो बातें हैं उनके लिए क्या करना चाहते हैं?

एक प्रेस स्टेटमेन्ट निकला है, उसका रेफरेंस दिया है, उसको सदन में रेफर किया है, वह एक अनऑफिशियल नोट था जो डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की ओर से जारी किया गया, उसके पेज २ पर तीन-चार लाइन्स हैं, जिनके बारे में मुझे सन्देह होता है, सन्देह ही नहीं होता, आवश्यकता भी महसूस करता हूं कि कोई जुडिशियल इन्क्वायरी अपोइन्टेड हों, हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जिससे कि इन्क्वायरी का काम सहूलियत से हो जाय। इसमें लिखा है:

"Maharaj Shri did not make an inventory on the very day as he was assured that the ornaments belong to him and there was no necessity for him to make such an inventory."

उपाध्यक्ष महोदय, बात आसान सी है, इस सदन में वक्तव्य देना आसान है, एक व्यक्ति के स्टेटमेन्ट को लेकर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा वितरित करवा देना आसान है पर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसका असर क्या होगा, यह समझना बड़ा मुश्किल है।

इस सेंटेन्स का तात्पर्य यह है कि जिस समय वह खोला गया, सील तोड़ी गई ओर्नामैण्ट के बॉक्स की, तो उन महाराज श्री को विश्वास दिलाया गया कि इन पर आपका अधिकार है। आप कहते हैं बहुत सारे आदमी थे जिस समय खोला गया, उस जगह के अधिकारी थे, तो यह माना जाय कि अधिकारियों की तरफ से महाराज श्री को कहा गया कि इन पर आपका अधिकार है, या महाराज श्री ने मान लिया कि उस सम्पत्ति पर उनका अधिकार है क्योंकि उस कमरे पर उनकी माताजी की मोहर लगी हुई है, अतः उनका अधिकार है; एक सन्देह पैदा होता है कि वहां कौन अधिकारी था जिसने महाराज श्री को विश्वास दिलाया कि उस पर उनका अधिकार है जिसके कारण महाराज श्री उसे १५ दिन तक अपने महलों में रखते हैं और उसकी कोई एन्ट्री नहीं होती। महाराज श्री पर सन्देह नहीं करता, करता हूँ तो दोष भी करता हूं, जिससे उनकी मान हानि हो पर मनुष्य स्वभाव है, एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपयों के जेवरात १५ दिन तक पड़े रहें,

(श्री भैरोंसिंह)

बोक्सेज़ बदल दिये जायं, १५ दिन बाद इन्वेन्टरी बनायें और कहें कि घोटाला नहीं हुआ, यह मानने को कोई तैयार नहीं होगा। तो मैं यह चाहूंगा कि जुडिशियल इन्क्वायरी करने के लिये टर्म्स ऑफ रेफेरेंस दें और जिन अधिकारी की देख रेख थी, जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसने इन्वेन्टरी बनाई, जिसने कहा कि इन पर आपका अधिकार है, उस अधिकारी को अलग करने की व्यवस्था करें और मोअत्तिल करने का अधिकार हो तो वह व्यवथा करें। मैं मानता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव का अन्तिम रूप होने से पहले वे जरूर इसका जिक्र करेंगे।

मैं ऐसा नहीं समझ पाया कि नाथद्वारा के प्रश्न को लेकर जिस किस्म की बात कही उसी किस्म की बात खींवाड़ा के प्रश्न को ले कर कहते तो क्या आपत्ति थी, नाथद्वारा के मामले में किसी किस्म की डोक्युमेंटरी एवीडेन्स मिली हो जिसके बेसिस पर उनके बारे में कहा जा सकता हो, ऐसी बात तो नहीं, कुछ तथ्य ऐसे बने जिनके कारण इनके बारे में ये कहा जा सकता है, पर खींवाड़ा के मामले में तो पत्र है, पत्र में स्पष्ट है, बाबूजी का नाम है, खेतसिंहजी जो उनके दल के सदस्य हैं उन्होंने लिखा है, जिनको पत्र लिखा गया है वे इनके मित्र हैं, जो उस पत्र का सब्स्टेन्स है उससे पूरी तरह साबित है, तो मैं उम्मीद करता था कि जिस तरह नाथद्वारा काण्ड के बारे में उन्होंने घोषणा की कि जांच कराई जायगी, उसी तरह इसकी जांच के सम्बन्ध में भी सदन में घोषणा करेंगे

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अभी आपके साथी कह रहे थे कि एक ही बात को रखेंगे.....

श्री ज्वालाप्रसाद : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल इतना आता है कि इस सम्बन्ध में एन्क्वायरी होनी चाहिये कि नहीं ? मैं तो अब भी निवेदन करूंगा कि उनके सम्बन्ध में सन्देह का वातावरण बनता है तो दूर करने की कोशिश करनी चाहिये और यह हो सकता है कि नाथद्वारा के मामले में करोड़ों रूपयों के जवाहरात का बड़ा मामला है इसलिये चीफ जस्टिस के द्वारा एन्क्वायरी होगी उस तरह खींवाडा के बारे में भी घोषणा करें। पहले उन्होंने कहा है, मैं इससे दूर हूं, हो सकता है; पर जिन्होंने पत्र लिखा है, जिनको पत्र लिखा है, जिनको दबाने की चेष्टा की गई है, जो उस पत्र का असर हुआ है—इन सब चीजों का संयोग इस तरह बैठता है कि सन्देह होता है और मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा में करोड़ों का मामला था इसलिये चीफ जस्टिस द्वारा एन्क्वायरी कराने की घोषणा की तो खींवाडा में हजारों का मामला है तो इसकी जांच के लिये किसी जुडिशियल ऑफीसर को मुकर्रर करें ताकि जनता के सामने असलियत रख सकेंगे। पर मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने उत्तर में इस सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं कही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बातें यातायात मंत्री ने बताई थीं, उनके बारे में भी कहना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा कि दो दिन से इस सदन में तमाशा चल रहा है। मुझे खुशी है कि दो दिन से

(श्री भैरोंसिंह)

जो तमाशा चल रहा है, उसमें माननीय यातायात मन्त्रीजी ने जो दिखाया है, उनका अच्छा तमाशा हुआ। हमने देखा। उन्होंने यह भी कहा कि हम कौवे हैं और वे ढोर हैं और कौओं की आशीश से ढोर नहीं मरते लेकिन उनको शायद यह पता नहीं कि यदि कोई वृद्ध ढोर पर या मरने वाले ढोर पर कौआ बैठ कर उस पर सेवा करे और उस पर उसकी सेवा के कारण से वह ढोर उस समय नहीं मरे लेकिन कुछ दिन के बाद में मरता है, वही की वही हालत मैं समझता हूं कि आज की हमारी सरकार की है। उस बूढ़े ढोर वाले प्रकार की हालत है और इस प्रकार की सरकार को खत्म करने में हम चाहें कौए हैं, या किसी भी प्रकार के हैं, चाहे हम एक नहीं हैं चाहे हमारा संगठन नहीं है लेकिन एक आवाज है कि इस बूढ़ी ढोर वाली सरकार को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है और कोशिश की जा रही है।

४.१ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, बार बार चुनावों की बातें कही जाती हैं कि पब्लिक ने हमको बहुमत में चुन कर भेजा है, हमारा बहुमत है। मैं यह कहूंगा कि आप बहुमत में इसलिए है आपके पास सत्ता और साधन हैं और इसी के बल पर आप बहुमत में हैं। जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है वह जल्दी अपने राज्य को जाने नहीं देता। केरल में पहले कांग्रेस का राज्य था। उसके बाद केरल में साम्यवादी दल की सरकार बनी। इस साम्यवादी दल की सरकार को बदलने का कांग्रेस ने काफी प्रयास और प्रयत्न किये लेकिन वह साम्यवादी सरकार को बदल न सके। यह कोई लियाकत की बात नहीं है। सत्ता और साधन के कारण आप बहुमत में आते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि एक दिन वह भी आवेगा कि जिस बहुमत की आप डींग हांकते हैं, और कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, वह आपका साथ छोड़ देगी और वह समय आज नहीं तो ५ साल बाद आएगा और उस समय पता चलेगा, आपके साधन और सत्ताधारी सभी रह जायेंगे। इसके अलावा बार बार यह कहना कि हमने देश को आज़ाद कराया और दूसरे सारे के सारे जागीरदारों के हिमायती हैं जो विरोधी दल में हैं। मगर इस तरह की बातें सदन में कहने से पहले जरूरत इस बात की थी कि वे इस सदन को उस समय की प्रोसीडिंग को देखते। मैं यह कहूंगा कि जिस समय १९५२ में जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास होने वाला था जिस समय राजप्रमुख का भाषण हुआ, उस पर बहस हुई उस समय मेरे दल के लोगों ने मांग की थी कि जल्दी से जल्दी जागीरदारी समाप्त की जावे। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे दल के सदस्यों ने यहां तक मांग की थी कि इसको बिना मुआवजे के समाप्त किया जावे, यह भी मांग की थी कि सीलिंग नहीं हो और छोटे जागीरदारों के पुनर्वास के लिये व्यवस्था की जाए लेकिन आज यह कहा जाता है कि ये जागीरदारों के हिमायती हैं। यदि कोई जागीरदार बन कर विरोधी दल में बैठता है तो वह जागीरदारों का हिमायती हो जाता है। कांग्रेस के दल में राजा-महाराजा और दुनिया भर के सारे सेठ साहूकार आकर बैठते हैं और अपने को प्रगतिशील कहते हैं! समझ में नहीं आता यह कौन सा समाजवाद है जिस में राजा-महाराजा और केपिटलिस्ट्स भरे पड़े हों। यही नहीं केपिटलिस्टों से पैसा लेकर कांग्रेस चुनाव लड़े जावें और फिर कहते हैं कि हम समाजवादी हैं और दूसरी ओर बैठने वालों के लिये यह कहा जाता है कि ये जागीरदारों के हिमायती हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

अविश्वास का प्रस्ताव लाने का मतलब सीलिंग में रुकावट पैदा करना नहीं है। मैं माननीय चीफ़ मिनिस्टर और रेवेन्यु मिनिस्टर को इस समय बताना चाहूंगा कि हमने बराबर यह मांग की है कि सीलिंग जल्दी से जल्दी हो। यह देरी होती है तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से हो रही है और वह देरी इसलिये नहीं कि इससे जागीरदार बच जावेंगे, लेकिन यह देरी इसलिये होती है कि कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग ऐसे बैठे हैं जो यह कहते हैं कि यदि सीलिंग आप करेंगे तो हम विरोध करेंगे। मैं यह कहूंगा कि एक साल पहले सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई मगर देरी की जा रही है और वह इसलिये नहीं कि इससे जागीरदारों को फायदा होगा या वे बच जावेंगे, बल्कि यह देरी इसलिये हो रही है कि जो लोग नये जागीरदार बने हैं और उनके पास इतनी ज़मीन है, जिसको उसूलन वे ले नहीं सकते, बहुमत नहीं कहता कि सीलिंग लागू नहीं हो, विरोधी दल नहीं कहता कि सीलिंग लागू नहीं हो। जिस समय यह बात सदन में आवेगी आप देखेंगे। इसको लाने में आपने देरी की है। हमने मांग की, ज़मीदारी को खत्म करो और राजस्थान की सरकार १९५२ में जागीरदारी को समाप्त कर रही थी मगर अभी १९५२ से ५८ तक जागीरदारी एबोलिशन के लिये कोई रिपोर्ट नहीं। जब रिपोर्ट आएगी तो सदन को अपने आप मालूम हो जाएगा कि किसका इन्टेन्शन मेलाफाइडी है। लेकिन लेन्ड रिफोर्म्स की जिम्मेदारी उस आदमी की होती है जो शासन करता है। आप इस घमंड में न रहें कि हमने जागीरदारी समाप्त करदी है और इस घमंड में शासन भी करते जावेंगे और कोई काम नहीं करेंगे लेकिन मैं यह कहूंगा कि पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप जानते हैं कि जागीरदारों और राजाओं के वर्षों के राज्य थे। उनका राज्य पिछले ३० वर्षों से लोगों की आंखों में गड़ने लगा और उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे लोगों ने उस जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की योजनाएं बनाईं और आखिर उसको खत्म किया। आपको ४६–४७ में राज्य मिला। आपने क्या किया? आपके राज्य को आज बच्चा बच्चा खत्म करने को तैयार हो गया है। अगर यह खत्म नहीं होता है तो यह दूसरी बात है। आज का बच्चा-बच्चा और नागरिक आप पर वही आरोप भ्रष्टाचार, पैसे का दुरुपयोग और पक्षपात को दूर करने के लिये चिल्लाता है और जिस प्रकार के आरोप राजाओं पर लगाये जाते थे आज कांग्रेस की सरकार पर लगाते हैं।

आप लोग कहते हैं कि पहले से अच्छा इन्तज़ाम है मगर मैं यह कहूंगा कि अगर पिछले जमाने को आज के जमाने से मुकाबला करके देखें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप नहीं हम अच्छे हैं। इसलिये नहीं कि कहीं पहले २० चोरियें होती थी और अब १५ चोरियें आपके जमाने में हो रही है और आप इस बात पर अभिमान से कहें कि हमारे समय में चोरियें कम हुई हैं तो यह कोई अभिमान की चीज़ नहीं है। यहां तो उन १५ चोरियों को रोकने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एम्बेजलमेंट को लेकर कुछ आंकड़े पेश किये। मैं जानता हूं कि एम्बेज़लमेन्ट के ५०–५१ से लेकर ५८ तक के आंकड़े बताये, मगर यह नहीं बताया कि कुल कितने केसेज़ हुए? यह उनकी जानकारी में नहीं। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि सन् १९५१ से पहले जब राजाओं

(श्री भैरोंसिंह) [illegible]

की [illegible] नहीं था, इसके दो वर्ष पहले राजाओं का राज्य तो था मगर कांग्रेस की ओर से पोपुलर गवर्नमेंट थी। यदि पहले किसी राजा के राज्य में एक्जेक्शन का केस हो जाता था तो वह ही नियम ऑफेन्स माना जाता था और लोगों को गिरफ्तार किया जाता था और उनके चालान हुआ करते थे, लेकिन १९४९ से लेकर आज तक जो ये केसेज हुये हैं वे किसके राज्य में हुए हैं? राजाओं के राज्य में हुये हैं या कांग्रेस राज्य में? अगर कांग्रेस के राज्य में हुये तो उसके लिये कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है व आपका सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार है। मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष, न्याय तो यह कहता है कि राजाओं के जमाने में नहीं हुये; कांग्रेस सरकार के जमाने में हुये और अभी कांग्रेस की सरकार है वह उसको मूलतया नष्ट नहीं कर सकी और इसके लिये जिम्मेदार आज की सरकार है।

अब एक प्रश्न आता है। माननीय मन्त्रीजी ने आंकड़े बताये ५२, ४५, ५१, ८०, ६५, ३७, ३६; यह एक इस तरह की साइकिल सी बनी हुई है, कभी ज्यादा और कभी कम।

एक माननीय सदस्य जो ... से आये हैं, नहीं बांसवाड़ा से आये हुये हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि आखिर चोरी होती है, डाके होते हैं, एम्बेजलमेंट केसेज होते हैं मगर उन सबको डिफेण्ड कौन करता है? पुलिस अधिकारी ही करते हैं या मजिस्ट्रेट उनकी ट्रायल करते हैं और उनको सजा देते हैं। मगर मैं यह कहूंगा पुलिस और मजिस्ट्रेट आपके अधिकारी नहीं हैं?

जिस प्रकार आपके हैं उसी प्रकार हमारे हैं। यदि आप इस पॉवर को यह कह कर कि हमारे अधिकारियों ने ऐसा किया तो मैं यह कहूंगा कि यह आपकी धारणा गलत है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर को चुनौती देता हूं कि आपके किसी कांग्रेस अधिकारी ने पुलिस के व्यक्तियों के सिवाय कौनसा केस डिटेक्ट किया। हमी ने बताया कि बंसीलाल लुहाड़िया के खिलाफ चालान किया जावे। जब हम बराबर तीन साल मांग करते रहे तो तीन साल के बाद उसका चालान हुआ। राजस्थान में कई कांग्रेस के नेता हैं यदि उनके नाम बताऊंगा तो वह व्यक्तिगत चीज होगी, अधिकारियों को पता है, उनकी लिस्ट बनी हुई है मगर उनका चालान नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसीलिये नहीं कि वे कहते हैं कि जनता का उनमें विश्वास है और वे जनता के नेता हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप यह कर कि जनता का उनमें विश्वास है सदन को गुमराह नहीं करते हैं क्या? मैं यह कहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपने इस अभिमान में हैं कि जनता का उनमें विश्वास है, ऐसा कह कर वे सदन को गुमराह करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज चाहे रामराज्य की बात नहीं कही जाय, प्रजातन्त्र राज्य की बात कही जाय, माननीय मुख्य मंत्री स्वयं रामराज्य कहते हैं इस प्रकार का राज्य है इस बात को तो स्वीकार करें। कानून है, यदि कोई शिकायत करता है तो उसकी इन्क्वायरी कराई जाय; कानून है, इसलिए इन्क्वायरी कराई जाय, यदि इन्क्वायरी से झूठ साबित हो तो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही की जाय। जिसके खिलाफ शिकायत है उसके विरुद्ध इन्क्वायरी कराई जाय। आज स्थिति यह है कि न तो शिकायत जिसके विरुद्ध की जाती है उसके विरुद्ध इन्क्वायरी की जाती है

(श्री भैरोंसिंह)

और यदि इन्क्वायरी से झूठ साबित हो तो जो शिकायत करता है उसके खिलाफ इन्क्वायरी होती है। केसेज़ आते हैं, एम्बेजलमेन्ट के केसेज़ माननीय अध्यक्ष, मैं तो क्या कहूं, स्वयम् मुख्य मंत्री जी ने बताया कि १७६ केसेज़ हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को बतायें कि नये कितने केसेज़ हैं? सब एक साल के पुराने केसेज़ हैं। जिस राज्य में खयानत के मुकद्दमें की एक साल में तफतीश न हो तो क्या वे ईमानदारी से सही तौर पर शासन को अच्छी तरह से चलाते हैं? मैं सही तौर पर कहता हूं कि वास्तविकता से अगर इस चीज़ को नापते हैं तो जो सही तथ्य होते हैं उनको यहां पर तोड़-मरोड़ कर बताने की चेष्टा की जाती है। तीन तीन साल पुराने केसेज़, खयानत के केसेज़ चल रहे हैं। कभी कहते हैं कि पुलिस की इन्क्वायरी में है, कभी कहते हैं कि किसी अलग अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया है, कभी कहते हैं कि डिपार्टमेन्ट्स में अलग-अलग कागज़ पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है; तो कोई निश्चित बात नहीं बताई जाती। यदि कोई सभ्य सरकार है और उसके खज़ाने में यदि एक पैसे की भी कमी मालूम हो तो उसका पीछा करती है उसी तरह से हमारी सरकार को करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने तो उल्टा प्रोटेक्शन दिया है। एक सर्कुलर निकालते हैं और उसके ज़रिये यह आज्ञा प्रसारित करते हैं। कॉन्फिडेन्शियल सर्कुलर है उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई सरकारी मुलाजिम हो तो उसको हथकड़ी डाल कर गिरफ्तार न किया जाय और न ही उसकी ज़मानत ली जाय। सरकार कहती है कि मुख्य मंत्री कहते हैं कि डिमोरेलाइज़ नहीं करना चाहिए। यह डिफरेन्सियेशन क्यों? सरकार कहती है कि डिफरेंसियेशन नहीं करती। मैं कहता हूं कि एक मुलाजिम है, खयानत का मुल्जिम है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, चाहे ट्रेज़री बैन्चेज पर हो, उसमें एक साधारण नागरिक जो है, जो मुल्जिम है, उसमें यह भेद क्यों? सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए कॉन्फिडेन्शियल सर्कुलर निकालती है कि सरकारी कर्मचारी के हथकड़ी न डाली जाये और न ही उसकी ज़मानत ली जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि वे कोई खुदा के बच्चे नहीं हैं, वे कोई ईश्वर के दूत नहीं हैं। कानून के सामने तो दोनों ही अपराधी हैं और दोनों के लिए एक ही न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसको सरकार की तरफ से रियायत है। एम्बेज़लमेन्ट को चोरी मानते हैं, फिर एम्बेज़लमेन्ट करने वाले को सरकारी रियायत है, ऐसे अपराधियों को रियायत है जो सरकारी खज़ाने पर डाका डालते हैं। मुझे, अध्यक्ष महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार की प्रेक्टिस इन एम्बेज़लमेन्ट केसेज़ को लेकर चल रही है, इसी प्रकार की प्रवृत्ति चलती रही तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सरकार का खज़ाना सुरक्षित नहीं है। मैं यह बिलकुल निश्चित रूप से कहता हूं कि यह प्रवृत्ति चलती रही तो सरकारी खज़ाना सुरक्षित नहीं रहेगा।

अब प्रश्न यह आता है कि मुख्य मंत्री जी ने, मैंने कुछ हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स के लिए जो बातें कहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने कुछ रूप में उसको स्वीकार किया है। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के प्रश्न को लेकर उन्होंने यह महसूस किया और कहा कि कोशिश की जा रही है। क्या कोशिश की गई, वह भी उन्होंने बताया। मेरी जानकारी के अनुसार वे एक बात ऐसी कह गये कि जिस पर सहसा मुझे विश्वास

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं होता। वह यह बात थी कि पिछले छः महीने से कोशिश चल रही है कि बिहार के रिटायर्ड डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को यहां बुलाया जाय। मुझे भी इसकी जानकारी थी, आज सदन में यह बात कही जा सकती है, लेकिन अन्तिम रुप में तो कोई निर्णय किया जा चुका है। राज्य सरकार जिस रूप में वे तनख्वाह मांग रहे हैं, वह नहीं दे सकती। यदि राज्य सरकार जिस प्रकार से तनख्वाह मांग रहे हैं नहीं दे सकती है, कि निश्चित रूप से जिस प्रकार कालनेंड व्यक्ति डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वह राजस्थान में नहीं आवेगा। जो सदन में कहा गया में स्वयम् कहता हूं कि निश्चित रूप से बात चली थी। यह भी सही है कि पी. एस. सी. ने एडवर्टाइज़मेन्ट भी किया था। क्वाली-फिकेशन्स प्रेस्क्राइब की थीं, कई लोगों की एप्लीकेशन्स आयी हों, लेकिन उसमें ऐसी बातें रख दी थीं कि जिसके कारण से किसी को इस पद के लिए योग्य आदमी नहीं समझा गया। यह भी सही है कि बिहार के रिटायर्ड डाइरेक्टर एजुकेशन से बातचीत हुई।

डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के बारे में बातें कही गई। डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के लिए में कोई शिकायत करूं, यह कोई सही बात नहीं होगी, लेकिन पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का ही आपको हवाला दूं, उस रिपोर्ट के अनुसार न तो पी. एस. सी. को संतोष है और न ही माइन्स विभाग में काम करने वालों को संतोष है। यह कहा गया कि इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड, क्वालिफिकेशन्स हैं। मैं मानता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स हैं, लेकिन वे क्वालिफिकेशन्स कौन सी थीं और इनकी क्वालिफिकेशन्स कौनसी थीं, इनकी क्वालिफिकेशन्स के अनुसार ही गजट में एडवर्टाइज़मेन्ट पी. एस. सी. से कराया जाकर इनको उसके लिए फिट बनाया गया और उनका डाइरेक्टर ऑफ माइन्स की जगह पर अपोइन्टमेंट हुआ। लेकिन क्वालिफिकेशन्स की ही बात थी तो वहां पर भी डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के लिए, आज दूसरे प्रान्तो में डाइरेक्टर ऑफ माइन्स की जो क्वालिफिकेशन्स हैं वे ही, उसी प्रकार की क्वालिफिकेशन्स यहां भी इनके लिए भी रखते लेकिन, एडवर्टाइज़मेंट निकल गया और फिर पता लगा कि वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ माइन्स है वे इस प्रकार की क्वालि-फिकेशन्स नहीं रखते हैं, उनकी वे क्वालिफि-केशन्स नहीं हैं। कुछ एप्लीकेशन्स आ गईं, पी. एस सी से निर्णय नहीं हुआ। वे केन्सल की गई और धीरे धीरे मौजूदा जो व्यक्ति हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन्स हैं वे ही रखी जाकर और पी. एस. सी. को कुछ समय देकर यह लिखा गया कि इस प्रकार की क्वालिफिकेशन्स का आदमी चाहिए। पी. एस. सी. ने उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया।

डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का प्रश्न आया। मैं अपनी ओर से नहीं कहता। मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते होंगे कि भारत सरकार की ओर से एक एग्रीकल्चरल कान्फ्रे-न्स का आयोजन हुआ था। उसके मिनिट्स मैंने भी देखे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने और यदि उन्होंने नहीं तो कृषि मंत्री जी ने तो जरूर देखे होंगे। उस कान्फ्रेन्स के मिनिट्स की मेरे पास कापी है, मैं उसको ओथेन्टीकेटेड तो नहीं कहता, टाइप्ड है और मैं वह बता सकता हूं। वह यह संकेत करती है कि हर स्टेट को क्वालिफाइड डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रखना चाहिए और जो कृषकों के विषय में पूरी जानकारी रखता हो उसको रखना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिए । मैं मानता हूं कि वे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर हो सकते है । मुख्य मंत्रीजी ने उनकी तारीफ की है, मेरी बुराई से उनका भला ही होगा । लेकिन एक प्रश्न आता है । साथ ही साथ जो उनका गुणगान किया गया, मुझे उसे राजस्थान की आज कृषि व्यवस्था की हालत को देख कर असंतोष और अफसोस होता है । एग्रीकल्चर की दृष्टि से राजस्थान में आज आपके पास सरप्लस अनाज होगा, चाहे कई जगह पर अकाल पड़ गया हो, बहुत बड़े क्षेत्र में अकाल पड़ गया हो, फिर भी राजस्थान अनाज के माने में सरप्लस हो सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि डाइरेक्टर एग्रीकल्चर उनके कार्य को समझते हैं । यह देखा गया है कि जगह जगह जाकर उन्होंने कृत्रिम खाद बांटा, उससे काश्तकारों और उनकी फसल को कितना भारी नुकसान हुआ । यह नहीं देखा होगा । समय पर बीज जाना चाहिए लेकिन बीज पहुंचेगा बरसात के बाद । बीज का जो सिलेक्शन होता है वह अच्छा न होकर मंडियों में बड़े बड़े सेठियों से अनाज खरीद लिया जाता है वह बीज के लिए हो जाता है । क्या यह डाइरेक्टर ओफ एग्रीकल्चर का देखने का काम नहीं है । लेकिन उनका काम तो है कि एक को जोधपुर से हटा कर बीकानेर लगा दिया जाय और बीकानेर से हटा कर दूसरे अफसर का अलवर ट्रान्सफर कर दिया जाय । क्या केवल इस प्रकार जोधपुर से बीकानेर और बीकानेर से जोधपुर, अलवर ट्रान्सफर कर दिया जाय, यह कोई क्वालिफिकेशन हो तो इस पर गंभीरता पूर्वक सोच–विचार करना पड़ेगा । कृषि के लिए यह भी कहा गया कि मैंने यह बात कही थी कि खेती की पैदावार नहीं बढ़नी चाहिए । मैं आपको विश्वास दिला कर कहना चाहता हूं कि न तो मैंने ऐसी बात कही और न मैं इसके पक्ष में हूं, आप प्रोसिडिंग्ज़ उठा कर देख लीजिये ।

मुख्यमन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मेरा जहां तक खयाल है आपने ही कहा था कि खेती की पैदावार बढ़ाने से क्या लाभ, प्राइसेज़ गिर जावेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है । उत्तर उसका नहीं आया । मैंने यह कहा था कि पैदावार जरूर बढ़े लेकिन उसके लिए मार्केट की आवश्यकता है । प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन उस प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ यदि मार्केट नहीं मिलता है, उसकी खपत के लिये

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मार्केट नहीं मिलता है तो फिर नतीजा यह होगा कि एक तरफ तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, खाने वाले ज्यादा होंगे और उसका इफेक्ट काश्तकारों पर होगा और इसका नतीजा यह होगा कि लोग फिर केश क्रोप्स बोने लग जायेंगे और उससे अनाज के प्रोडक्शन पर अवश्य असर पडेगा । छोटे मोटे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट करके पैदावार बढ़े लेकिन उसको कन्ज़्यूम करने की भी तो शक्ति हम में होनी चाहिये । इसके लिये राज्य सरकार के पास ऐसी कोई स्पष्ट योजना नहीं दिखाई देती ।

एक प्रश्न यह आया कि चूंकि मैं पी. एस. सी. का मेम्बर हूं और मेम्बर होने के नाते कई बातें सदन में उसकी कही जाती हैं । एक बात और अवश्य कही कई कि चूंकि पी. ए. सी. का मेम्बर हूं इसलिए उसकी बातें मैं सदन में पेश करता हूं । पी. ए. सी., मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे लिए एक दुविधाजनक हो गई है । लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मैंने पी. ए. सी. की जानकारी न तो सदन में प्रस्तुत की है और न ही फायदा उठाया है और मेरी जानकारी का फायदा मुख्य मन्त्रीजी ने उठाया ।

(श्री भैरोंसिंह)

मेरी ओर से जो कोई भी बात यहां आये जिसके जवाब को साइड ट्रैक करना चाहें, जिसका स्पष्टीकरण वे करना नहीं चाहते उसके लिये यह कह कर वे सन्तोष कर लेते हैं, कि सब मामले पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने हैं, इसलिए वहां स्पष्टीकरण करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मान लूं कि कोई भी मामला पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने होने से यहां [illegible] जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है इसलिये हम किसी तरह से इस पर बहस नहीं कर सकते, यह हो नहीं सकता। चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट का मामला चाहे खाद्यान्न संबंधी मामला हो या पानरवा कांड का मामला हो वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने होते हुए भी आप अलग से उसकी इन्क्वायरी करवा सकते हैं। आप इस तरह का बहाना लेकर बचने की कोशिश करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय! माननीय मुख्य मंत्री ने इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि जयपुर स्पीनिंग मिल की इन्क्वायरी के लिये कमेटी बिठायी थी, उस पर चीफ सेक्रेटरी के आर्डर्स थे। चूंकि भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की कमेटी नियुक्त करने का आदेश नहीं था, इन्होंने यह कहा कि भारत सरकार की राय में लिया था कि इस प्रकार की कमेटी अपोइन्ट की जाय, इस प्रकार मुख्य मंत्री [illegible] थीं। उन्होंने महसूस किया, किन्तु मुख्य सचिव ने महसूस किया कि इस विषय में कुछ करना चाहिये ताकि यह मालूम हो सके कि इस कन्सर्न ने डिवडेन्ड क्यों नहीं दिया, इसकी जांच होनी चाहिये। भारत सरकार को भी आप कह सकते थे कि इस प्रकार की कमेटी बिठायी जाय तो भी जानकारी मिलती चूंकि आर्डर्स दिये थे मुख्य सचिव ने और यह भी सही है कि मुख्य मंत्री की बिना सलाह से ये आदेश दिये थे। यह स्वाभाविक है कि मुख्य मंत्री को इसके लिये गुस्सा आना चाहिये। इसलिये जो आर्डर्स मुख्य सचिव ने दिये थे उसको खत्म किया गया, जो बेचारे शेयर होल्डर्स थे वे सब रो करके बैठ गये। उपाध्यक्ष महोदय, [illegible] आप कह रहे हैं गवर्नमेन्ट द्वारा कमेटी अपोइन्ट करने की बात कह सकते हैं किन्तु उसको अमली में लाना बड़ा कठिन है। इसमें गवर्नमेन्ट के सब से ज्यादा शेयर्स हैं जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वे आज यह कहते हैं गवर्नमेन्ट का इन्वेस्टमेन्ट होने से हमने भी अपना रुपया इसमें इन्वेस्ट किया। आज इस कन्सर्न में हमारा धन सुरक्षित नहीं, जिसके शेयर्स के भाव कभी [illegible] रुपये थे आज उसका भाव [illegible] रुपया हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कल ही मुझे इस कन्सर्न के बारे में जिनके शेयर्स हैं वे एक बड़ा पोथा देकर गये हैं। यदि मैं उसे सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूं तो एक घंटा तो इसी में लग जायगा। मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि जितने भी इस प्रकार के कन्सर्न्स हैं जिनमें हमारी राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है इस सम्बन्ध में हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और रहना भी चाहिये।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के बारे में जैसा मैंने कहा, इसको भारत सरकार की बिना इजाजत के ही साठ लाख रुपया दे दिया गया। इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ भी नहीं कहा। मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के बारे में घाटा है इस बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि इस संबन्ध में जांच कर रहे हैं। जांच क्या

(श्री भैरोसिंह) हो रही है जिस तरीके से हो रही है, यह भी नहीं बताया गया। वास्तव में इसमें भी किसी प्रकार का डिवीडेन्ड नहीं, इसमें भी हमारा रुपया सुरक्षित नहीं है। इस बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि जब से हमने राज्य का कार्यभार संभाला है, तब से मैं और मेरी सरकार इसमें काफी सतर्क हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सतर्कता बरतने के लिए हमें कुछ व्यवस्थायें भी करनी पड़ेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय कल हम सदन से बाहर जा रहे थे, एक व्यक्ति मुझसे मिला और कहा कि मैं एक दवा का एजेन्ट हूं। उन्होंने चलते चलते बतलाया कि वे कुछ दिनों पहले एक एडवर्टाइज़मेन्ट कराने वाले थे। उस एडवर्टाइज़मेंट के जरिये मुझे एक दवा फरोश की जरूरत थी, वे गैलरी में आकर बैठ गये। जब वे गैलरी से वापिस गये तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे एक काम की आप शिफारिश कर दें, मैंने कहा किनकी, उसने जवाब दिया नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को। मैंने पूछा किस बात की सिफारिश करूं, उन्होंने कहा कि मुझे दवा फरोश की जरूरत है, वे इस काम को अच्छी तरह से कर पायेंगे। मैंने कहा वे दवा फरोश नहीं हैं, यह मैंने इसलिये कहा कि मैं उनको जानता था छात्र जीवन से, छात्र इनको किस तरह से उपयोग करते थे ××××

श्री ज्वालाप्रसाद : I protest, Sir, this is objectionable. I never drink. He is stating wrong facts. He is speaking against the grace of the House and I ask him to withdraw these words, otherwise these must be expunged. × × ×

श्री भैरोसिंह : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, कल जिस समय माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे उस समय आपको ज्ञात नहीं था कि आप क्या बोल रहे हैं, उनको यह भी पता नहीं था कि उनकी बातों का जवाब देने वाले भी हाउस में हैं। वे कांग्रेस के बहुमत के बल पर इस सदन में झूठी बातें कह सकते हैं तो मैं जब सच्ची बात कह रहा हूं कि ××××

श्री ज्वालाप्रसाद : जांच से मैं डरता नहीं, जांच करवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री भैरोसिंह से) : मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। आप संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखें। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह हमारी संसद की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जो असंसदीय हो।

श्री भैरोसिंह (जारी रखते हुए) : मुझे खेद है कि सही बात को रखने पर भी मुझे गलत समझा गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I would request that these words should be expunged.

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय सदस्य आगे कुछ बोलें मेरे विषय में जो बातें कही गई हैं, उनको सदन की कार्यवाही से पृथक करने का आदेश दिया जाय।

××श्री उपाध्यक्ष के आदेश से यह अंश कार्यविवरण से पृथक की गई।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ और अर्ज करना चाहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद : मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर मैं सफाई दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : सफाई की कोई जरूरत नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद : ×××× [मैने गोली चलाई थी अपनी आत्म रक्षा के लिए चलायी थी; शराब पीकर नहीं]

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! The Chair is on its ligs.

श्री उपाध्यक्ष : आरोप और प्रत्यारोप लगाने का यह प्रसंग नहीं हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया, हमें असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो प्रश्न हमारे सामने हैं इसके लिए मेरी यह व्यवस्था है कि जिस भाषा का अभी उपयोग किया गया है उसको मैं असंसदीय मानता हूं और उसको सदन की कार्यवाही में से expunge किया जाए।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि केवल भाषा को असंसदीय माना गया है लेकिन जो तथ्य हैं वे सही हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is most objectionable, Sir

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का ध्यान मैं पुनः इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे सदन की परम्पराओं का ध्यान रक्खें। जब मैंने उस तथ्य पर व्यवस्था दे दी है कि वह असंसदीय भाषा है उस ओर वापिस जाना आप के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए दुबारा आपने जो भी भाव व्यक्त किये उसको भी सदन की कार्यवाही से पृथक (एक्सपन्ज) करने की व्यवस्था देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह चाहूंगा कि मैंने जो भाषा पहले व्यक्त की उसको आप असंसदीय मानते हैं तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि मैं जिन तथ्यों को सदन के सामने रखना चाहता हूं वह किस प्रकार की भाषा में रखूं।

श्री उपाध्यक्ष : This is for you to see how parliamentary language can be used.

श्री भैरोंसिंह : (जारी रखते हुए) फिर मुझे कहना पड़ेगा उस दवा फरोश से बातचीत करने के बाद मैंने उनको इस प्रकार की सिफारिश करने से इन्कार कर दिया। मुझसे वे नाराज हुए और उनका नाराज होना स्वाभाविक भी था। उनको दुख हुआ कि इस प्रकार एक सस्ता व्यक्ति जो मिलने वाला था वह उनको नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, इस किस्से को बयान करते हुए कुछ बातें ऐसी बतायीं जिससे माननीय सदस्य को आघात हुआ होगा और आघात होना स्वाभाविक भी है लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसके जिम्मेदार खुद वे स्वयं ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर उत्तर देते हुए सभी सदस्यों से यह कहा था हम यहां बैठकर और सभी सदस्य मिलकर इस बात का प्रयत्न करें कि व्यक्तिगत आक्षेप से हमें बचना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमने

×××× श्री अध्यक्ष के आदेश से उक्त अभिव्यक्ति कार्य विवरण के से पृथक की गई।

(श्री भैरोंसिंह)

हमारे दल ने और इस ओर बैठने वाले सभी सदस्यों ने इस बात की कोशिश की कि व्यक्तिगत आक्षेप सदन में न लगाये जाय जिसका सुबूत यह था कि हमने और इस ओर बैठने वाले सदस्यों ने अविश्वास के प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान में इस बात को स्वीकार करने की पूरी चेष्टा की और उसको कार्यरूप में परिणत भी किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 'चोर और लुटेरे' कहकर....

श्री भैरोंसिंह (जारी रखते हुए) : उपाध्यक्ष महोदय, 'चोर और डाकू' शब्द का प्रयोग किया, गया लेकिन इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मिसअन्डर्स्टेंडिंग हुई है। 'चोर और डाकू' उन्होंने किसी मंत्री को नहीं कहा और न चोर और डाकू किसी सदस्य को भी कहा। माननीय मुख्य मंत्री से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार की गलत धारणा उन्होंने बनायी है उसको निकाल दें फिर भी अगर किसी प्रकार की गलत धारणा हमारे इस ओर बैठने वाले सदस्य के कहने से हुई है, हालांकि वे सदस्य यहां नहीं हैं, मुझे इस बात के लिए शर्म नहीं आती कि मैं उनकी तरफ से क्षमा याचना करूं। लेकिन आप जहां दूसरों को शिक्षा देते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं वहां मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और वह व्यक्ति, व्यक्तिगत आरोप लगाता है उस पर हमारे मुख्य मंत्री हंसते हैं और उनकी पार्टी उनको और इसी प्रकार के आक्षेप करने के लिए उकसाती है और उनके इशारे पर काम होते हैं और जब इस ओर बैठने वाले व्यक्ति इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो उनको दबाने की चेष्टा की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे थानेदार के जीवन को लेकर कुछ आक्षेप किये गये, मैं उन माननीय सदस्य से निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे थानेदारी-जीवन का एक एक दिन और एक एक पल ऐसा नैतिकता पूर्ण रहा है जिस पर मुझे गर्व है। आप इस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर भैरोंसिंह को दबा नहीं सकते, उसकी पार्टी जनसंघ को दबा नहीं सकते, आपके इन झूठे आरोपों से दबने वाला व्यक्ति यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री थके हुए हैं इसलिये उनको गुस्सा आता है, यह स्वाभाविक है। वे गुस्सा न करें, धैर्य रक्खें और सुनें, जो चीजें वे कहते हैं उसके अनुसार उनका आचरण नहीं होता। वे अपनी भी जिम्मेदारी समझें, उनके दल का एक सदस्य और वह भी एक मंत्री है उस दल का जो चौपड़ पर दवा बेचने वाला व्यक्ति जिस प्रकार बातें कहता है उस प्रकार की बातें यहां करते हैं और उसको सुनते रहें और उस पर हंसे, यह कोई शोभाजनक बात नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद : वे अगर इन्कार करें कि ये फैक्ट्स नहीं हैं तो मैं सदन के सामने माफी मांगने को तैयार हूँ कि 'चोर और डाकू' नहीं कहा।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन तो यह है कि हमको इस बात का अनुभव हो रहा है, बल्कि यह स्पष्ट बात है कि कल जिस समय माननीय सदस्य इस ओर किसी सदस्य के प्रति व्यक्तिगत तौर से आरोप लगा रहे थे तो माननीय मुख्य मन्त्री को चाहिये था कि वे स्वयं खड़े होकर उनको रोकते........

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मेरा

(श्री उपाध्यक्ष)

नम्र निवेदन है कि आप किस प्रश्न पर कहना चाह रहे हैं, वह प्रश्न क्यों उपस्थित हो रहा है ! I will not allow any discussion in the issue. The Hon. member will resume his debate.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने दो बातें मुझसे पूछी हैं। मैं उन दोनों बातों की जानकारी देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं उन्हें उस हद तक स्वीकार करता हूं कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं, असेम्बली काल के नहीं, १५ वर्ष पहले के, जिससे वे उनको सही साबित कर सकें तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र तक देने को तैयार हूं। आप इन्क्वायरी करें। मेरी जानकारी जहां तक है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस प्रकार के आरोप गलत हैं। इन्हें माननीय सदस्य को, अगर वे प्रूव नहीं कर सकते तो, वापिस लेना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं........

श्री उपाध्यक्ष : Till they seek the permission, till the member does leave the floor, he must seek the permission of the chair and continue.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का सन्तोष है कि उनको अच्छा सबक मिला है और आइन्दा इस प्रकार की बातें नहीं कहेंगे।

(हंसी)

मैं अब अपने असली भाषण पर आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पेड एम्प्लोयीज़ की बात को लेकर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कुछ बातें कहीं। मैं समझता हूं कि उनके सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। राजस्थान के आर्थिक साधन सीमित हैं और सीमित साधनों के अन्दर हमें इस प्रकार की बात देखनी पड़ती है कि राजस्थान के अल्प वैतनिक कर्मचारियों की तनख्वाह किस हद तक बढ़ सकती है। लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि हमने पिछले वर्ष उनके ५) रु० बढ़ाये। मैं इन्कार नहीं करता कि पांच रुपये बढ़ाये। पर क्या वे ऐसा समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि दूसरे प्रान्तों में पर कैपिटा जो इन्कम है उससे राजस्थान के किसी व्यक्ति की कम नहीं है। लेकिन वे इसके साथ एक दूसरे रिलेवेन्ट तथ्य को भी देखें कि एक आदमी पर कैपिटा इन्कम, राजस्थान में उनके कहने के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार नहीं, यदि पर कैपिटा ज्यादा हो सकती है तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस व्यक्ति के ऊपर और प्रान्तों के मुकाबले पर कैपिटा एक्सपेन्डीचर भी ज्यादा हो सकता है; हो ही नहीं सकता, पर है। ऐसी परिस्थिति में उस ५) के लिये यह कहना कि फोर्थ क्लास वालों की या अल्प वेतनिक कर्मचारियों की मांग पूरी हो गई है सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा की बजट को देखें और उनके सामने सुझाव पेश किये जावें जिससे वे व्यवस्था करें। वे कहते हैं, मुझे इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा कुछ सुझाव दें ताकि लोगों की तनख्वाह बढ़ जावे। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस प्रकार की बात सदन में कही है और कही इसलिये है कि यदि वास्तव में सहयोग चाहते हैं तो हम अल्प वैतनिक कर्मचारियों से मिलेंगे, उनकी जितनी यूनियनें हैं उनसे मिलेंगे, उनकी वाजिब मांगे वे किस हद तक पूरी कर सकते हैं इस पर सोचेंगे और फिर करने की भी बात कहेंगे और इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, हम यदि राज्य सरकार के सामने सुझाव प्रस्तुत करें और सरकार उन्हें स्वीकार करे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम आगे

(श्री भैरोंसिंह)

बढ़ेंगे और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें हर प्रकार का सुधार होगा।

जलबोर्ड के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बातें बताईं, यह भी कहा कि सात–आठ हजार जगहों पर हमने कुए खुदवाये। मैं समझता हूं कि मैं उन चीजों को नहीं दोहराना चाहता, जो जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ दिन पहले कही थीं। किसी का भी राज्य हो, कुए भी खुदेंगे, सड़कें भी बनेंगी, धर्मशालाएं भी बनेंगी, कुओं के चारों ओर पेड़ भी लगाये जावेंगे, जंगल भी लगाये जावेंगे; ये सब सुधार के काम होंगे। पर हमारा प्रश्न यह नहीं है। काम नहीं हो, यह हमारा मन्तव्य नहीं है। पर काम में ईमानदारी और सच्चाई हो यह मंतव्य है। पर हमारे उस ईमानदारी और सच्चाई के प्रश्न को उड़ाया गया। बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि ईमानदारी की कमी आम समाज का रोग है और यह कह कर इस प्रश्न को समाप्त करने की चेष्टा की। मैं मानता हूँ आज भ्रष्टाचार समाज में इस ढंग से व्याप्त है कि जिसे सारा समाज ही मिलकर दूर कर सकता है। पर एक प्रश्न है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर जो हमारा मार्ग दर्शन करती है। राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है जो भ्रष्टाचार को दूर करके समाज को राहत देने की कोशिश करता है। नीति सम्बन्धी राहत देता है, रास्ता बताता है, समाज को अज्ञान से ऊपर उठाता है। अब यह काम कोई भी करे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे और किसी भी पार्टी की सरकार हो। जिसके हाथ में सरकार है उसका कर्त्तव्य है राज्य में, समाज में सुधार करने के लिये, व समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए रेडिकल चेन्ज करे।

यह सरकार का कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य को निभाने में यह सरकार नितान्त असफल रही यह हमारा मन्तव्य है। जैसे जैसे यह सरकार चलती रही वैसे वैसे यह भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसके भ्रष्टाचार के केसों की संख्या बढ़ी है। सन् ४७ में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा आदि रियासतों के वक्त में भ्रष्टाचार का सामान्य दमन सरकार के सामान्य कानूनों से हो जाता था, इतनी अधिक वृद्धि नहीं थी कि जिसके लिये असामान्य साधनों की आवश्यकता पड़ती। पर कांग्रेस का शासन होते ही भ्रष्टाचार बढ़ा, इसे रोकने के लिये भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे बने, ऐसे मोर्चों की जरूरत रियासतों के वक्त में महसूस नहीं की गई। पर ज्यों ही शासन में आपके कदम पड़े यह भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और स्थिति यह आई कि इसे दबाने के लिए असामान्य साधनों को काम में लिया जाने लगा। पर फिर भी रोग बढ़ता ही गया; ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना पड़ेगा कि जिस दिन से आपके पैर इस शासन में पड़े उन दिन से भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे की आवश्यकता महसूस होने लगी, यहां तक महसूस होने लगी कि दूसरे दूसरे प्रान्तों से बड़े बड़े अफसरों को इसे रोकने के लिए बुलाना पड़ा। पर मैं कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो तरक्की भ्रष्टाचार में हुई है इसके लिये मैं सरकार की सराहना नहीं कर सकता। यह बुराई समाज में व्याप्त है, इसे दूर करने की चेष्टा हमें करनी पड़ेगी और हम इस बात की भी चेष्टा करेंगे। मुख्य मन्त्रीजी आज इस काम में हमसे सहयोग चाहते हैं, हम सहयोग करेंगे। हम यह नहीं कहते कि यह विभाग हमारे हाथ में दे दो, या हमें देने से यह बुराई दूर हो

(श्री भैरोंसिंह)

जावेगी । पर एक बात कहूंगा कि इन मामलों में सरकार सख्ती से व्यवहार करें। केवल इतना ही कहूंगा, रियायत किसी के साथ न करें । जिस किसी के खिलाफ आरोप हो उसकी जल्दी से जल्दी जांच कराकर निर्णय करें । अब प्रश्न आता है उपाध्यक्ष महोदय, कि वह भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए किस प्रकार के उपाय हो सकते हैं या हो सकते थे । मैं तो ऐसा समझता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था कर लें कि ज्यों ही शिकायत हो त्यों ही उसकी जांच प्रारम्भ कर दे, अगर इसके लिये दोषी को सफाई देने का मौका देना हो तो उसके लिए अवश्य कोई टाइम लिमिट कर दें कि आज शिकायत हुई तो अधिक से अधिक १५ दिन में जांच शुरू हो जाय, १५ दिन में उससे जवाब या सफाई मांग ली जाय और इसके बाद तुरन्त एक्शन लिया जाय । यह कह कर मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप जांच के आवश्यक कानूनी प्रोसीजर की अवहेलना करें । अगर ऐसा करेंगे तो वे कोर्ट में जावेंगे, हाई कोर्ट में जावेंगे और आपके उपायों को केवल इन बिनाओं पर व्यर्थ कर दिया जावेगा । पर मेरा कहने का तात्पर्य यह हैं कि जो ढिलाई इन कामों में बरती जा रही है उसको कड़े हाथों से दूर करने की चेष्टा करें तो मैं समझता हूं कि आज जो कानूनों के अन्तर्गत व्यवस्था कर रक्खी है उसके द्वारा भी इस बुराई को हम दूर कर सकेंगे । यह न देखें कि यह कौन व्यक्ति है, किस पार्टी का है, किस तरह का है । इस मामले में किसी के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं की जानी चाहिये ।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जलबोर्ड के बारे में बताया । तो जिनके पास उसका पैसा बाकी है, जिन्होंने गबन किया है, अमानत में खयानत की है, वह किसी भी पार्टी का हो, मैं आशा करता हूं उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी । पर वह कार्यवाही किस दिन होगी यह भी हम देखते जावेंगे । किनसे रुपया जमा करवाया जावेगा, किन पर अमानत में खयानत का मुकद्दमा होगा, यह समय पर कभी और वक्त पर कहूंगा ।

एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात कही थी । इसको लेकर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने न मालूम किस प्रकार से यह कहा कि हम बलवन्तराय मेहता की रिपोर्ट के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव नहीं करवा सके । मुझे अफसोस है, जब माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के मुख से इस तरह की बात सुनता हूं, सन्देह होने लगता है और वह होता है तब जब कि बार बार इनको पोस्टपोन किया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आज के नहीं बहुत पुराने हैं । पर इसका एक्ट ५३ में बना था, और उसमें यह व्यवस्था की गई थी, कि जितने भी आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डर्स चालू हैं वे सारे समाप्त कर दिये जावेंगे और उनके स्थान पर सबका दुबारा इलेक्शन होगा । पर बदकिस्मती से आज सन् ५७ तक और ५७ के अगस्त तक राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हुए । पूरे चार वर्ष निकाल दिये गये । बीच में सदन में इसमें अमेन्डमेन्ट करवा लिये गये, यह कह कर कि अब ६ महीने में इनके चुनाव करवा देंगे । अमेन्डमेन्ट लाया गया और उसे यह कह कर पास करवाया गया कि उनके ६ महीने में चुनाव करवाएंगे, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य था । रहस्य केवल यही था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पुरानी

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर रियासत के जितने भी है वे टैक्स देते रहें और जिस क्षेत्र से वे आये हैं वहां के व्यक्ति उस टैक्स से बचते रहें। मुझे पूरी तरह याद है कि आज से दो साल पहले उदपुर के एक गांव में काश्तकारों का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में वहां के काश्तकारों ने सर्वसम्मति से यह पास किया कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सैस अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट बनता है तो चाहे वर्तमान सरकार हो या कोई और सरकार हो हमें उसके खिलाफ आन्दोलन करना पड़ेगा और अगर ऐसी नौबत आई तो हम आन्दोलन करेंगे। मुझे वास्तव में खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो उदयपुर डिवीज़न से हैं उन्हों ने वहां के काश्तकारों की बात तो सुनी और वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव आज तक नहीं होने दिये और वहां के काश्तकार उस सैस के टैक्स से छूट पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री के लिए जिस प्रकार उदयपुर के डिवीज़न हैं उसी तरह से सीकर, चूरू, झुन्झुनू और दूसरे डिविज़न भी बराबर हैं। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सैस सन् १६५३ से आज तक लगता आया है वह उनके ऊपर नहीं लगता, ऐसी वह कार्यवाही करते। मुझे दुख है, सदन को यह कहते हुए कि उन्होंने अपने डिवीज़न के काश्तकारों को तो इससे राहत दिलवा दी और दूसरे डिवीज़न के काश्तकारों को अभी तक यह सैस देना पड़ रहा है। मैं कहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने हैं और उनके द्वारा जो सैस लग चुका है वह लगता रहेगा। लेकिन हमारी सरकार जो टैक्स लगा चुकी है उसको वापिस नहीं लेगी और काश्तकार डिस्ट्रिक्ट का सैस एक रुपये के पीछे एक आना देते रहेंगे। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि बलवंतराय कमेटी की रिपोर्ट में यदि यह कोई बात थी तो जिस तरह से जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुए उसी तरह से डूंगरपुर और उदयपुर के भी चुनाव हो सकते थे और वहां भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लगता लेकिन इसमें दो बातें हैं कि वहां के काश्तकारों को एक तरफ तो सैस से बचाया गया और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अहमियत बताते हैं और कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लाभ होते हैं। तो फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह लाभ जो उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट के चुनाव नहीं करवा कर वहां के काश्तकारों को दिया जा रहा है वही यहां जयपुर, सीकर, चूरू और झुंझुनू में क्यों नहीं दिया जाता, उनको क्यों नुकसान ही नुकसान दिया जाता है। लेकिन फिर भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रीक्ट बोर्ड के संबन्ध में वह अपनी एक विशेष नीति बतायें कि उनको चुनाव कराना है तो वे जल्दी करायें और अगर उनको समाप्त करना है तो जल्दी से समाप्त करें। मगर काश्तकारों के अन्दर जो टैक्स देने का डिस्क्रिमिनेशन है वह प्रजातंत्र के युग में अशोभनीय चीज़ है और उसको दूर करने की चेष्टा सरकार जल्दी से जल्दी करे। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें भी सदन में आई थीं....

श्री उपाध्यक्ष : केवल दो मिनट अब शेष है।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट में तो समाप्त नहीं हो सकेगा, साहब।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसका फल उनको परी तरह भुगताया जाय और इसलिए

(श्री भैरोंसिंह)

चाहे उनकी राय इस समय तक परिपक्व न हो फिर भी मैं उस समय तक बोलता रहूंगा और जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से आया है वह यदि सदन में उसी रूप में रखते रहें जब तक कि वह इस विषय में अपनी कोई मूल राय न बना लें....

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : As a matter of fact it is a No-confidence motion and he is replying to the debate. After that, no time should be allowed and there is no need of giving any explanation from any side. We should go for vote.

श्री उपाध्यक्ष : There is no question of explanation.

One minute more. Hon. member can continue.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि दस मिनट मुझे और दे दिये जायें। यह .. ....

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था हो चुकी है, और अधिक समय नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : तो अन्त में मैंने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा था उस अविश्वास के प्रस्ताव का मतलब, जहां तक मैं समझा हूं और जहां तक मैं समझ पाया हूं मैंने शुरुआत में ही यह बात कही थी कि इस प्रस्ताव को सरकार पनपने नहीं देगी। लेकिन सरकार की जो कमियां हैं हम जनता को उससे जाग्रत कर सकते हैं और इसी दृष्टिकोण को लेकर इस सदन में यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया। माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कहेंगे और मैं जानता हूं कि उन्होंने परिश्रम भी किया है, उनके व्यक्ति रातो-रात गवर्नमेंट होस्टल में घूमे हैं और यहां के आदमियों को इससे दूर रहने की कोशिश भी उन्होंने इन्डाइरेक्टली की है। यदि वह प्रयत्न नहीं भी करते तो विरोधी दल जो कि सरकार के विरुद्ध है, चाहे यातायात मन्त्री आपकी तरफ इशारा करके यह कहें कि उनसे हमें नाराजगी है, लेकिन एक प्रश्न आता है उपाध्यक्ष महोदय, कि सारी परिस्थिति के अन्दर मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि जो अविश्वास का प्रस्ताव मैंने सदन में प्रस्तुत किया है, उस अविश्वास के प्रस्ताव को वे गम्भीरता से देखें और देखने के बाद इस सरकार को सेंसर करने की दृष्टि से मेरे पक्ष में अपना मत दें।

श्री उपाध्यक्ष : अविश्वास के प्रस्तावों पर मतदान। Both are identical.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो अविश्वास का का प्रस्ताव राजा श्री मानसिंह जी ने प्रस्तुत किया है और जो इस प्रकार है :—

"Looking to the general inefficiency, prevalence of corruption and favouritism, this House resolves that it no longer has confidence in the present Council of Ministers."

उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

राजा श्री मानसिंह : 'हां' पक्ष जीता, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : The other is identical.

राजा श्री मानसिंह : Ayes have it, Sir; the motion has not failed.

श्री उपाध्यक्ष : Want a Division?

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं दूसरे मोशन को साथ ले लेता हूं, दूसरा प्रस्ताव यह है :

जो अविश्वास का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है और जो इस प्रकार है:—

"इस सदन की सम्मति है कि इस सरकार (वर्तमान मन्त्री-मण्डल) के प्रति सदन का अविश्वास हो चुका है।"

(मत–दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

राजा श्री मानसिंह : 'हां' पक्ष जीता, साहब।

(विभाजन–घन्टी के पश्चात् पुन:)

प्रश्न यह है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव राजा मानसिंह जी ने प्रस्तुत किया है और जो इस प्रकार है:—

"Looking to the general inefficiency, prevalence of corruption and favouritism, this House....

श्री नाथूराम मिर्धा : किसलिए कष्ट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा कर्तव्य है कष्ट करना। "This House resolves that it no longer has confidence in the present Council of Ministers." इसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री तनसिंह : 'हां पक्ष जीता, साहब।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है और जो कि इस प्रकार है:—

"इस सदन की सम्मति है कि इस सरकार(वर्तमान मन्त्री-मण्डल) के प्रति सदन का अविश्वास हो चुका है।" इसको स्वीकार किया जाय।

श्री तनसिंह : पहले वाला मोशन डाउन हो गया क्या, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : Both the motions are identical. There is no difference.

श्री तनसिंह : पहले वाले मोशन पर वोट ले लें, उसके बाद..........

श्री उपाध्यक्ष : same thfng

श्री तनसिंह : Rule 212 will apply and the motion will automatically fail and there will be no necessity.........

श्री उपाध्यक्ष : I am taking both the motions together. प्रश्न यह है कि राजा श्री मानसिंह एवं श्री भैरोंसिंह के प्रस्ताव स्वीकार किये जावें।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to go to right lobby and Noes to the left lobby.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं, सदन को कोई एतराज नहीं होगा कि दोनों प्रस्तावों को एक साथ मान कर मत लें। यह नहीं हो कि पहले एक पर लें और फिर दूसरे पर।

विपक्ष की ओर से एक आवाज : एक साथ ही।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों एक ही साथ लिये जाते हैं।

५ म० प०

(मत-विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : I think the House is in order. The result of the division is as follows:

Ayes......23 (Thumping)

Noes.........123.

(स्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

विभाजन सूचियां इस प्रकार हैं:

हां-पक्ष [२३]

१. श्री अनूपसिंह
२. श्री बालमुकन्द
३. श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
४. श्री चन्दरसिंह यादव
५. श्री दलपतसिंह
६. श्री गिरधारीलाल
७. श्री हीराभाई
८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
९. श्री कालूराम
१०. श्री केसरीसिंह
११. श्री लादूराम सुलाणया
१२. श्री मदनसिंह
१३. राजा श्री मानसिंह
१४. श्री मोगजी भाई
१५. श्री मोहरसिंह
१६. श्री मुरलीधर व्यास
१७. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१८. श्री रघुवीरसिंह
१९. श्री रामनारायण वर्मा
२०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२१. श्री शिवपतसिंह
२२. श्री शिवचरणदास
२३. श्री तनसिंह

ना-पक्ष [१२३]

१. श्री अब्दुलगफ्फारखां
२. श्री आबिद्अली
३. श्री अमरा मीना रावत
४. श्री अमृतलाल पायक
५. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया
६. श्री आनन्दसिंह कछवाहा
७. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
८. श्री बहादुरसिंह
९. श्री बरकतुल्लाह खां
१०. श्री भैरवलाल 'काला बादल'
११. श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला)
१२. श्री भंवरलाल शर्मा
१३. श्री भवानीशंकर नंदवाना
१४. श्री भीखाभाई
१५. श्री भीमसेन
१६. श्री भोगीलाल पंड्या
१७. श्री भोलानाथ
१८. श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी
१९. श्री बृजमोहन लाल शर्मा
२०. श्री चन्दनमल वेद
२१. डॉक्टर चन्द्रकला
२२. श्री छोटूसिंह
२३. श्री चुन्नीलाल
२४. श्री दलीपसिंह
२५. श्री दामोदरलाल व्यास
२६. श्री दौलतराम सारण
२७. श्री देवा गिरासिया
२८. श्री देवीलाल
२९. श्री देवनाथ
३०. श्री धन्नालाल हरित
३१. श्री धरमपाल पंवार
३२. श्री गज्या पटेल
३३. श्रीमती गंगादेवी डाटा
३४. श्री गणपतलाल वर्मा
३५. श्रीमती गौरीपूनिया

Page No.113

३६. श्री घासीराम यादव
३७. श्री गोकुलचन्द जाटव
३८. श्री गोपाललाल पुरोहित
३९. श्री गोपीसहाय
४०. श्री गोवर्धनसिंह कैन
४१. श्री गुलाबसिंह
४२. श्री ज्ञानचन्द मोदी
४३. श्री हरिभाऊ उपाध्याय
४४. श्री हरिदेव जोशी
४५. श्री हरिकिशन
४६. श्री हरिप्रसाद यादव
४७. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
४८. श्री हजारी लाल बकोलिया
४९. श्री जयचन्द्र मोहिल
५०. श्री जयसिंह रानावत
५१. श्री जनार्दनराय नागर
५२. श्री जेठमल बरवाड़
५३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
५४. श्री ज्वालाप्रसाद
५५. श्रीमती कमला श्रोत्रिय
५६. श्री कान्हा रैगर
५७. श्री किशनलाल शर्मा
५८. श्री किशनसिंह बाटड
५९. श्री किशनाराम
६०. श्री लालूराम टाटावत
६१. श्री लालसिन्हा शक्तावत
६२. श्री लक्ष्मण हीरात
६३. श्री माधोसिंह
६४. श्री महादेवप्रसाद बंका
६५. सेठ श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा)
६६. श्री माणकचन्द कोठारी
६७. श्री मांगीलाल
६८. श्री मनोहर कोठारी
६९. श्री मनरूपराम परिहार
७०. श्री मोटूलाल मीणा
७१. श्री मोहब्बतसिंह
७२. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
७३. श्री मूलचन्द डागा
७४. श्री मोतीबाबा चोधरी
७५. श्री मोतीलाल
७६. श्री नारायणलाल
७७. कुंवर श्री नारायणसिंह (टौंक)
७८. श्री नरोत्तमलाल जोशी
७९. श्री नाथूराम
८०. श्री नाथूराम मिर्धा
८१. श्री परसराम मदेरना
८२. श्री फूलाभाई
८३. श्री पी. के. चौधरी
८४. श्री पूनमचन्द बिश्नोई
८५. श्रीमती प्रभा मिश्रा
८६. श्री प्रभुलाल पुरोहित
८७. श्री पृथ्वीराज
८८. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
८९. श्री रामचन्द्र
९०. श्री रामदान चौधरी
९१. श्री रामदेवसिंह
९२. श्री रामधन पटेल
९३. श्री रामेश्वरदयाल
९४. श्री रामकिशोर व्यास
९५. श्री रामलाल बंसीवाल
९६. श्री रामप्रसाद लड्ढा
९७. श्री रावतराम नहल
९८. श्री रावतराम
९९. श्री रिद्धिचन्द
१००. श्री ऋषभचन्द धारीवाल
१०१. श्री रूपाराम
१०२. श्री सहदेव
१०३. श्री सज्जनसिंह
१०४. श्री सम्पतराज जैन
१०५. श्री सम्पतराम
१०६. श्रीमती सतवंतकौर
१०७. श्री शंकरलाल
१०८. कुमारी शन्नोदेवी शर्मा
१०९. श्री शीशराम ओला

Page No.114

११०. श्री शिवनाथसिंह
१११. श्री श्रीनिवास शारदा
११२. श्री सोहनलाल भटनागर
११३. श्री श्रीभानसिंह
११४. श्री सूबेदारसिंह
११५. श्री सुगनचन्द जैन
११६. श्रीमती सुमित्रा
११७. श्री तेजाराम गहलोत
११८. श्री तेजमल बापना
११९. श्री टीकाराम पालीवाल
१२०. श्री उमेद
१२१. श्री बीनाराम गहलोत
१२२. श्री विद्यासागर
१२३. श्री वली मोहम्मद]

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल शुक्रवार तारीख २१ फरवरी, १९५८ के ११ बजे तक के लिए।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर १२ मिनट पर शुक्रवार दिनांक २१ फरवरी ५८ के ११ बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।]

संक्षिप्त विवरण

(बृहस्पतिवार, २० फरवरी, १६५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

हमारा गांव ।
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस ।
सहकारी बैंक ।
जन सम्पर्क अधिकारी ।
सरपंच चोरू (उनियारा) ।
सहकारी समिति ।
औषधालय ।
चांवलों की खेती ।
चोरियां ।
गबन–कृषिविभाग, अजमेर ।
चिकित्सालय की स्थापना ।
सिंचाई हेतु कुए के लिए तकावी ।
श्री केशर महारानी मेमोरियल हॉस्पिटल, धौलपुर ।
सिपाहियों की पदोन्नति ।
जलाशय ।
गल्ला वसूली ।
कैदियों की रिहाई ।
प्रसूति–गृह ।
शाहबाद विकास खण्ड के कृषकों को तकावी ।
बिजलीघर, बीकानेर
त० राजगढ़ में जल बोर्ड द्वारा कुओं के निर्माण हेतु दी गई धन–राशि ।
जोड़ बीड में से निकलने वाले आम रास्ते का बंद किया जाना ।
पुलिस लाइन्स, पाली के लिये पानी की व्यवस्था ।
मोटर विभाग के मोटर चालकों को साप्ताहिक विश्राम ।

स्कम्भ

१६६० जिला स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ।
बंदियों को धार्मिक शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था ।
बस सर्विस ।
अल्प आय-भवन निर्माण योजना ।
गंगा थियेटर, बीकानेर ।
पंचपहाड़ से गंगधार तक सड़क निर्माण ।
नगरपालिका, सीकर ।
खाद्यान्न उत्पादन ।
सिंचाई हेतु ली गई जमीनों का मुआवजा ।
खातीपुरा से सिरसी तक सड़क निर्माण ।
सिरोही में पंचायतें ।

स्थगित प्रश्न १७४७

बीजों का क्रय तथा वितरण ।

मन्त्रीमण्डल के प्रति अविश्वास-प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद । १७४७

राजा मानसिंह तथा श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा प्रस्तुत किये गये मंत्रीमन्डल के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पर आज भी बहस जारी रही । इस सम्बन्ध में निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये :

(१) श्री परसराम
(२) श्री हरिदेव जोशी
(३) श्री गिरधारीलाल
(४) श्री सतीशचंद्र अग्रवाल

सरकार की ओर से श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री,

Page No.116

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री एवं श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् इन प्रस्तावों को मतदान के लिये सदन के सम्मुख रखा गया जिस पर विरोधी दल की ओर से विभाजन की मांग की गई। विभाजन के फलस्वरूप इन प्रस्तावों के पक्ष में २३ तथा विपक्ष में १२३ मत आये जिससे अविश्वास के प्रस्ताव गिर गये।

शुक्रवार, २१ फरवरी, १६५८ की कार्य-सूची

१. राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट, १६५८ पर विचार-विमर्श।

२. राजस्थान टीनेन्सी विधेयक १६५८ पर विचार-विमर्श।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २७४ का उत्तर देखिये)

'अ'

तहसील, बीकानेर

क्रम सं०	नाम ग्राम	किस्म काम	सरकारी स्वीकृति	प्रदत्त राशि
१.	मणवता वाला	नया कुआ	५०००	५०००
२.	कल्याणसर	मरम्मत कुआ	१७२०	१७२०
३.	रानीसर	,, तालाब	१२६०	१२६०
४.	केसरदेसर जाटान	,,		
५.	लालूसर	नया कुंड	२१००	२१००
६.	कानीसर भाटियान्	मरम्मत कुआ	५००	५००
७.	बच्छा सर	,,	७६०	७६०
८.	जगदे वाला	,,	११००	११००
९.	बी. सी.	,,	१४१०	१४१०
१०.	जलाल सर	,,	३०००	३०००
११.	मालासर	,,	२०००	२०००
१२.	शोभासर	नया कुआ	५०००	५०००
१३.	दीन सर	मरम्मत कुआ तथा कुंड	३५००	३५००
१४.	वमूल बीजरान	मरम्मत कुआ	१०००	१०००
१५.	जैमलसर	नया कुंड	२५२०	२५२०
१६.	जोधासर	मरम्मत कुआ	२०००	२०००
१७.	नूरसर	नया कुआ	४०००	४०००
१८.	सियासर पंच	मरम्मत कुआ	२०००	२०००
१९.	पेमासर	,,	२०००	२०००
२०.	सिथंल	नया कुआ पूर्ण करवाना	३१३०	३१३०
२१.	सरधाना	मरम्मत कुआ	१५००	१५००
२२.	हिम्मतासर	,,	२४३१	२४३१
२३.	मलाना	नया कुआ पूर्ण करवाना	९६०	९६०
२४.	बराना	मरम्मत कुआ	२५७०	२५७०
२५.	बन्दरवाला	,, कुन्ड	१७२०	१७२०
२६.	केसरदेसर बोहरान	मरम्मत कुआ	४०००	४०००
२७.	सुजान देसर	नया कुआ	३०००	३०००
२८.	गीगासर	,,	४०००	४०००
२९.	रामसर	,,	१०००	१०००
३०.	खारा	,,	१५००	१५००
३१.	केसरदेसर बोहसान	मरम्मत कुआ	४०००	४०००
३२.	धोलेरा	नया कुआ	२४००	२४००

तहसील बीकानेर

क्रम सं०	नाम गांव	किस्म काम	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि
१.	घडसीसर	नया कुआ	५०००	५०००
२.	खारा	,,	६०००	६०००
३.	कालासर	,,	३५००	३५००
४.	आकडियला	मरम्मत कुआ	८००	८००
५.	मूगल	,,	५००	५००
६.	रूणिया बास	,,	२०००	२०००
७.	राम सर	नयाकुआ	६५०	६५०
८.	खीचिया	,,	३०००	३०००
			२१,४५०	२१,४५०

क्रम सं०	नाम ग्राम	कार्य किस्म	सरकारी राशि	प्रदत्त राशि
१.	लूनकरनसर	नया होद	३०००	३०००
२.	महाजन	नया कुंड	६०००	६०००
३.	सुइ	नई डिग्गी	५९२०	५९२०
४.	वलसर	नया कुंड	४०००	४०००
५.	उत्चाईडो	,,	२५००	२५००
६.	लिंखमीसर	,,	२५००	२५००
७.	मनखेषी	नई डिग्गी	८०००	६७०
८.	घेसुरा	नया कुंड	२०००	२०००
९.	बीझरवाली	नई बावड़ी	४०००	४०००
१०.	रोझा	नया कुंड	३४००	३४००
११.	ढोंइयां	मरम्मत कुआ	५०००	५०००
१२.	धीरेरा	नया कुंड	५०००	५०००
१३.	जैतपुर धर्मशाला	मरम्मत कुआ	५००	५००
१४.	घेसेरा	नयाकुंड पूर्ण	१०००	१०००
१५.	कुंमांसर	नया कुआ	४०००	४०००
१६.	हांकासर	,,	४०००	४०००

क्रम सं०	नाम ग्राम	कार्य किस्म	सरकारी राशि	प्रदत्त राशि
१७.	साडेवाली	नया कुंआ पूर्ण	७०००	५०००
१८.	जसवन्तपुरा	नया कुंड	५००	५००
१६.	बीभलाली	,,	३४००	३४००
२०.	ढाणी विश्वानी	मरम्मत कुआ	२०००	२०००
२१.	ढाणीसुई	,,	५०००	५०००
२२.	जैतपुर	डिग्गी पूर्ण करवाना	२०००	२०००
२३.	शामलाई	नया कुंड	३४००	३४००
२४,	माडेरा	नया कुआ	४०००	४०००
२५.	सुरनाणा	नई बावड़ी	४०००	४०००
२६.	नाकरासर	मरम्मत कुआ	३०००	३०००
२७.	टालीवाला	,,	३०००	३०००
२८.	ददेरा	,,	४०००	४०००
२६.	काकरालिया	,,	२५८०	२५८०
३०.	वालादेसर	,,	२०००	२०००
३१.	मोडेरा	नया कुआ	४०००	४०००
३२.	पिपेरा	,,	१६१२	१६१२
३३.	सरदारपुरा	मरम्मत कुआ	६०००	६०००
३४.	लखारे छोटी	मरम्मत कुआ	३०००	३०००
३५.	लखारे बड़ी	,,	४०००.	४०००
३६.	रामपुरा ब्रक्स	,,	४०००	४०००
३७.	हाथसर	नया कुआ	७०००	७०००
३८.	नाथवाना	,,	५१८०	५१८०
३६.	जैतपुर	नई डिग्गी	४५००	४५००
४०.	रामसरा	मरम्मत कुआ	३४४०	३४४०
४१.	बठेरण	,,	२०००	२०००
४२.	खियाण	,,	१०००	१०००
४३.	कालू	,,	१०,०००	१०,०००
४४.	धीरदान	,,	६०००	६०००
४५.	अमरपुरा	,,	३४४०	३४४०
४६.	मनापरसर	,,	२५८०	२५८०
४७.	नाथूसर	पूर्ण करवाया	५००	५००
४८.	खाकरसर	मरम्मत कुआ	१७२०	१७२०
४६.	मोहम्मदपुरा	,,	२६३४	२६३४
५०.	दुलवारसर	निर्माणकुंड	४०००	४०००
५१.	रामपुरा	मरम्मत कुआ	२०००	२०००

'ब'

स्वास्थ्य वर्द्धक योजना सन् १६५६-५७
तहसील लूणकरणसर

क्रम सं०	नाम ग्राम	कार्य किस्म	सरकारी राशि	प्रदत्तराशि	विशेष विवरण
१.	धीरेरा	नया कुआ	२०००	२०००	
२.	धन्नासर	नया कुंड	३४००	३४००	
३.	कागासर	,,	२०००	२०००	
४.	ढाणछिपिवाला	,,	१०००	१०००	
५.	कालवास	,,	४०००	४०००	
६.	खिलेथना	मरम्मत कुआ	४०००	४०००	
७.	जैतपुर	नया कुआ	१०,०००	१०,०००	
८.	डुडीवाली	,,	३५००	३५००	
९.	रोझा	बावड़ी मरम्मत	५००	५००	
१०.	झिझंरवाली	,,	१०००	१०००	
११.	विकुन्ड वाला	मरम्मत	१०००	१०००	
			३२,४००	३२,४००	

नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन योजना संबंधी
कार्यों की सूची, तहसील लूनकरणसर

क्रम सं.	नाम ग्राम	कार्य किस्म	सरकारी राशि	प्रदत्त राशि	विशेष विवरण
१.	मेउसर	नया कुण्ड	४०००	४०००	
२.	फलदेसर	,,	४०००	४०००	
३.	माहदेवाली	,,	२५००	२५००	
४.	ढाणीछीपोलाई	,,	१०००	१०००	
५.	कालावास	,,	४०००	४०००	
६.	ढाणी विशावानी	मरम्मत कुआ	१०००	१०००	
७.	किस्तूरिया	,,	३०००	३०००	
८.	करनीसरवास	,,	१५००	१५००	
९.	मलकीसर टोटा	,,	२०००	१६००	
१०.	रानीसर	कुआ	१८००	१८००	
११.	ढाणी छीपालाई	कुण्ड	२०००	२०००	
१२.	कुटी	,,	५०००	५०००	

क्रम सं० नाम ग्राम	कार्य किस्म	सहकारी राशि	प्रदत्त राशि	विशेष विवरण
१३. रानीसर	,,	५२००	५२००	
१४. सावनिया	,,	४०००	४०००	
१५. सूंई जंगल	,,	१०००	१०००	
१६. ढाणी मोपालाराम	,,	१५००	१५००	
१७. सूंई ग्राम	,,	१५००	१५००	
१८. शोरपुरा	,,	३०००	३०००	
१९. कालू	,,	४०००	४०००	
२०. नाथूसर	,,	१०००	१०००	
		५३,०००	५२,९००	
२१. सादेरा	,,	२०००	२०००	
२२. सूराखाना	,,	३५००	३५००	
२३. जसवन्तसर	,,	२५००	२५००	
२४. घेसूरा	,,	१०००	१०००	
		६१,०००		
		१,०००		
		६२,०००	६२,०००	(बासठ हजार)

'स'

तहसील नोखा

क्रम सं.	नाम ग्राम	कार्य किस्म	सरकारी संयो. रा०	प्रदत्त राशि
१.	उतराम देसर	नया कुआ	१०,०००	१०,०००
२.	उतरादा	,,	७५८०	७५८०
३.	मंजसूख देसर	,,	१००००	१००००
४.	जयसिंह देसर मगरा	,,	१००००	१००००
५.	सदासर	,,	५०००	५०००
६.	सांनदा	,,	७०००	७०००
७.	लाल मेदेसर बड़ा	मरम्मत कुआ	४०००	४०००
८.	नाथूसर	को पूर्ण करवाई	२०००	२०००

क्रम सं.	नाम ग्राम	कार्य किस्म	सरकारी संयो. राशि	प्रदत्त राशि
९.	झलेडेडी	मरम्मत कुआ	१३०००	१३०००
१०.	मंसूरी	मरम्मत कुआ	२५०००	२५०००
११.	साइसरा ढाणी	नया कुआ	५०००	५०००
१२.	काणियासर	मरम्मत कुआ	३०००	३०००
१३.	जागूल	कुआ कुओपण	८७४०	८७४०
१४.	शोमाणा	,,	२५८०	२५८०
१५.	शिणियाला	मरम्मत कुआ	५००	५००
१६.	खारा	कुआ पूर्ण करवाना	१७२०	१७२०
१७.	मेञनसर	मरम्मत कुआ	१०००	१०००
१८.	लालासर	नया कुआ	६०००	६०००
१९.	दावा	नया कुण्ड	४३००	४३००
२०.	मंडसर उतरादा	,,	१५८१	१५८१
२१.	जकरासर	,,	४०००	४०००
२२.	वघडा	खुदाई नया कुआ	७०००	७०००
२३.	दिखनदा	मरम्मत कुआ	८०००	८०००
२४.	जंगलावास मैना	मरम्मत कुआ	२०००	२०००
२५.	कुकणिया	,,	२०००	२०००
२६.	बैरासर	,,	२०००	२०००
२७.	भामटसर	नया कुआ	५०००	५०००
२८.	ढांगसरी	,,	५०००	५०००
२९.	उदासर	मरम्मत कुआ	२०००	२०००
३०.	कवक सीवरो की ढाणी	नया कुआ	२१३०	२१३०
३१.	जयसिंह देसर मरा	,, पूर्ण करवाना	५०००	५०००
३२.	उतम देसर	,,	५०००	५०००
३३.	कूदनूताल वाला	नया कुआ	५०००	५०००
३४.	लाला र	,,	५०००	५०००
३५.	कक्कू	,,	४३००	४३००
३६.	कक्कू	,,	५०००	५०००
३७.	कुचार आगूनी	,,	६०००	६०००
३८.	साईसर ढाणी बागडवा	,,	५०००	५०००
३९.	लालमेंदसर बड़ा	,,	५०००	५०००
४०.	कदसू धारे वाला	,,	५०००	५०००
४१.	घट्टे	,,	५०००	५०००

परिशिष्ट

नेशनल वाटर सप्लाई एन्ड सेनीटेशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची

नोखा

क्रम सं.	नाम ग्राम	कार्य की किस्म	सरकारी राशि	प्रदत्त राशि
१	पिधरा सर	मरम्मत कुआ	२०००	१५००
२	मामल सर	नया कुआ	५०००	५०००
३	जयसिंह देसर मगरा	,,	६०००	६०००
४	उत्तमादेस देसर	,,	४०००	४०००
५	सलुंडिया	,,	६०००	६०००
६	गहलोतों की ढाणी	,,	४०००	४०००
७	कूकणिया	मरम्मत कुआ	२०००	२०००
			२६,०००	२८,५००
८	मामठसर न. २	मरम्मत कुआ	४०००	४०००
६	मामठसर न. २	,,	५०००	५०००
१०	साई सर की ढाणी	,,	३०००	३०००
११	थावरिया	,,	५०००	५०००
१२	गणसुख देसर	,,	३०००	३०००
१३	खारा	,,	२०००	२०००
			५१,०००	५०,५००

स्वास्थ्यवर्द्धक योजना सन् १६५६-५७
तहसील नोखा

क्रम सं०	नाम ग्राम	कार्य किस्म	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	विशेष विवरण
१	मुरपुरा	नया कुन्ड	५००० रुपये	५००० रुपये	
२	बांधनू	नया कुन्ड	४००० रुपये	४००० रुपये	
३	लालासर	नया कुन्ड	१००० रुपये	१००० रुपये	
४	मुरीदसर	मरम्मत कुआ	६०० रुपये	६०० रुपये	
५	जैसिंह देसर कुए की मशीन के लिए मय मंडसर कुए की मरम्मत	मरम्मत कुआ	१००० रुपये		
			२०,६०० कुल योग	१०,६०० रुपये	

'द'

स्वास्थ्य वर्द्धक योजना १६५६-५७
तहसील मगरा

क्रम सं०	नाम ग्राम	किस्म काम	सरकारी स्वीकृति राशि	प्रदत्त राशि	विशेष विवरण
१	खाखुसर	नया कुआ	३६०० रुपये	३६०० रुपये	
२	खोलासर	मरम्मत कुआ	५०५ रुपये	५०५ रुपये	
३	ढाणी नान्दला	नया कुआ	३००० रुपये	३००० रुपये	
४	मायाला	मरम्मत कुआ	१५०० रुपये	१५०० रुपये	
५	बरसलपुरा	नया कुआ	१४७१-८-३	१४७१-८-३	
			१०,०७६-८-३	१०,०७६-८-३	

नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन योजना के अन्तर्गत
स्वीकृत कार्य की सूची तहसील मगरा

क्रम सं०	नाम ग्राम	कार्य किस्म	सरकारी स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	विशेष विवरण
१.	गोविन्दसर	मरम्मत कुआ	१०००	१०००	
२.	लाडखाना	नया कुआ	२०००	२०००	
३.	खेतोलाई	मरम्मत कुआ	१५००	१५००	
४.	सियाना	नया कुआ	१०,०००	१०,०००	
			१४,५०००		
५.	स्याजीत पूरा		२५००	२५००	
६.	मंठाल चारनान		२०००	२०००	
७.	सियाना		१०००	१०००	
			२०,०००	२०,०००	

तह्सील मगरा

क्रम सं०	नाम ग्राम	कार्य किस्म	स्वीकृति राशि	प्रदत्त राशि
१	मेलदाणी जोटान	नया कुआ	३०००	३०००
२	राणासर	,,	५३००	५३००
३	पैथडो की ढाणी	,,	३०००	३०००
४	नगरासर	,,	२५३०	२५३०
५	गौढ	,,	४०००	४०००
६	कोलासर	मरम्मत कुआ	४०००	४०००
७	नौखडा	,,	५००	५००
८	दासौडी	,,	५००	५००
९	खारिया मलीनाथ	,,	७००	७००
१०	बाला	,,	४००	४००
११	सियाना	नया कुआ	६०००	६०००
१२	अगनेडन	मरम्मत कुआ	२०००	२०००
१३	हाडला	,,	१०४०	१०४०
१४	भालासर	,,	५००	५००
१५	खजौड	,,	७००	७००
१६	नांदडा	,,	५२५	५२५
१७	भोखा	,,	१०००	१०००
१८	म्यामोर बावडी	,,	५०००	५०००
१९	खारालौहान	नया कुंड	७००	७००
२०	सुरजडा	,,	३०००	३०००
२१	गौलरी	,,	२७८०	२७८०
२२	खारी चारनान	मरम्मत कुंड	१५००	१५००
२३	सालासर	नया कुंड	३०९६	३०९६
२४	लोहिया	,,	४०००	४०००
२५	भाणे का गांव	तलाई	१०००	१०००
२६	बज्जु	नया कुंड	४०००	४०००
२७	पनलासर	,,	३०००	३०००
२८	मिठडिया	,,	३०००	३०००
२९	पुगडो की ढाणी	,,	३२००	३२००
३०	मडाल चारनन	नया कुआ	७१००	७१००
३१	खाखूसर	,,	८०००	८०००
३२	मेलू ग्राम	मरम्मत कुआ	८७०	८७०
३३	गुगडियाला	,,	२०००	२०००

क्र० सं०	नाम ग्राम	कार्य किस्म	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि
३४	चाडासर	नया कुंड	४०००	४०००
३५	शंभु का बुर्ज	नया कुआ	३४४०	३४४०
३६	लाखासर	मरम्मत कुआ	३०१०	३०१०
३७	मनमन	,,	७६०	७६०
३८	बीठनोक	,,	१५००	१५००
३९	ढाणीनांदणा	नया कुआ	३०१०	३०१०
४०	लाड़खाना	,,	५०००	५०००
४१	रावलोतीन	,,	५०००	५०००
४२	कोलायत	,,	३०००	३०००
४३	गजनर	तालाब का बांध	५०००	५०००
४४	खिखनीया	मरम्मत कुआ	५००	५००
४५	नोखा	,,	५०००	५०००
४६	पांच बीठ की ढ़ाणी	नया कुंड	४०००	४०००
४७	विजयसिंहपुरा	मरम्मत कुआ	३४४०	३४४०
४८	लखानामूलवान	नया कुआ	७४००	७४००

'ई'

सूची उन गांवों की जिनमें जल बोर्ड द्वारा शुरू करवाये गये कार्य अधूरे (अनकम्पलीट), पड़े हैं

तहसील, बीकानेर.

क्रम सं.	नाम ग्राम जिनमें काम अधूरे पड़े हैं	किस्म काम जो अधूरे पड़े हैं	पूरा होने में कितनी रकम की आवश्यकता है	विशेष विवरण
१.	मालासर	कुआ	४००० रुपये	
२.	रामसरजाटान	,,	५०००	
३.	भणावता वाला	मरम्मत कुवा	२०००	
४.	जलालसर	,, ,,	२०००	
५.	लाखूसर	नया कुण्ड	२०००	
६.	शोभासर	नया कुआ	५०००	
७.	नूरसर	,,	५०००	
८.	सुजानदेसर	,,	४०००	
९.	दाईयां	,,	४०००	
१०.	आंबा सर	,,	४०००	
११.	घड़ सीसर	,,	४०००	

नेशनल वाटर सप्लाई सेनीटेशन योजना सम्बन्धी अधूरे कार्यों की सूची

तहसील लूनकरणसर

क्रम सं.	नाम ग्राम	किस्म काम जो अधूरे पड़े हैं	पूरा होने में कितनी रकम की जरूरत है
१	सादेरा	कुन्ड	७००० रुपये
२	मलकीसर	कुआ	२०००
३	शेर पुरा	कुआ	७०००
४	कुजटी	कुआ	५०००
५	सुरनाना	कुन्ड	१०००
६	धीरेरा	कुआ	१०,०००
७	ढुढीयावाली	कुआ	१०,०००
८	बीजरवाली	कुन्ड	१,०००
९	घनासर	कुन्ड	१,०००
१०	सोढवाली	कुआ	१०००
११	सोनोलाई	कुन्ड	६०००
१२	माडेरा	कुआ	१०,०००
१३	पनलेजी	डिग्गी	२०००
१४	नालादेसर	कुआ	१५,०००

राजस्थान ग्राम जल सहायता बोर्ड, जयपुर (बीकानेर) के अधूरे कुओं की लिस्ट

तहसील नोखा

क्रम सं.	नाम गांव	नाम कुवा व कुन्ड	सरकार से सहायता जो ली जावे	गांव की सहायता रोकड़ी या श्रमदान
१	उत्तमादेसर नया गांव	कुआ अधूरा	१४००	७००० रुपये
२	लालम देसर	कुआ अधूरा	१०,०००	५०००
३	घट्टु		१०,०००	५०००
४	बाबरिया		१०,०००	५०००
५	गजसुख देसर		१०,०००	५०००
६	लालासर		१०,०००	५०००
७	सारूड़िया		४०००	२०००
८	कुबीर अगुणी		१०,०००	५०००
९	कुदस		१०,०००	५०००
१०	कुचकू		६०००	४०००
११	साधूना		५०००	३०००

परिशिष्ट

क्रम सं.	नाम गांव	नाम कुआ व कुन्ड	सरकार से सहायता जो ली जाये	गांव की सहायता रोकड़ी या श्रमदान
१२	अन्धाला		६०००	४०००
१३	कन्दडा		६०००	४०००
१४	सारा		३०००	३०००
१५	सुरपुरा		१०,०००	५०००
१६	मामटसर		६०००	४०००
१७	बांदनू		६०००	३०००
१८	जयसिंह देसर		३०००	२०००

नकशा उन देहातों का जिनमें पानी की सख्त तकलीफ है और कुये सम्पूर्ण हुए बिना अधूरे पड़े हैं

तहसील मगरा

क्रम सं.	नाम ग्राम जिनमें काम अधूरे पड़े हैं	किस्म काम जो अधूरे पड़े हैं	पूरा होने में कितनी रकम की आवश्यकता है
१	सियाना	कुआ	६००० रुपये
२	खासूसर		१५,०००
३	नगरा सर		१२,०००
४	पिछड़ों की ढाणी		१५,०००
५	मन्डाल चारनान		२०,०००
६	ढाणी नादरा		४०००

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिए)

REVIEW OF TARGETS OF ADDITIONAL PRODUCTION FOR RAJASTHAN (INCLUDING AJMER)

Scheme	Unit.	Area/ Quantity	Yardstick	Additional Production Lakh tons.
1. Major Irrigation.	000 acres	1294.00	0.20 ton per acre.	2.59
II. Minor Irrigation.	-do-	121.00	„	0.24
(a) Construction of new well 24200 nos.				
(b) Deepening of existing wells 13,000 Nos.	-do-	13.00	-do-	0.03
(c) Tanks, bunds, anicuts etc.	-do-	118.00	-do-	0.24
(d) Spillouer from the first Plan.	-do-	148.00	-do-	0.29
(e) Tube wells	-do-	14.00	-do-	0.03
Total for A.	-do-	1708.60		3.42
III. Manures & Fertiliser in 1960-61.				
1. Ammonium Sulphate & other nitrogenous fertilisers.	000tons	10.65	2.50 tons per ton of fertilisers.	0.26
2. Superphosphete and bonemeal.	-do-	2.69	1.50 ton per ton fertilisers.	0.24
3. Compost.	-do-	1253.00	0.03 per ton of compost.	0.37
4. Green Manuring.	000 acres.	210.00	0.11 per acres.	0.23
Total:-				0.90
IV. Improved seeds.				
1. Paddy.	000 acres.	100.00	2mds/acre	0.04
2. Wheat.	-do-	2525.00	Ind/acre.	0.91

3. Millets.	-do-	5747.00	0.25 mds. per acre.	0.43
4. Barley.	-do-	1216.00	Ind per acre.	0.44
5. Gram.	-do-	2412.00	0.25md. per acre	0.22
Total:		12000.00		2.04
V. Land Reclamation Development.				
1. Bringing new land under cultivaion.	000 Acres.	170.00	0.11 tons per acre.	0.19
2. Soil conservation.	-do-	42.25	-do-	0.05
Total:-		212.25		0.24
VI. Improved Agricltural Practices.	000 Acres.	1525.00	0.10	1.52
Grand Total:-				8.12

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बृहस्पतिवार, २० फरवरी, १६५८)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१६६६	अन्तिम से १२	श्री तेजाराम महलोत	श्री तेजाराम गहलोत
१७००	१०	उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) :	उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) :
१७०१	६	श्री पी० के० चौचरी :	श्री पी० के० चौधरी :
,,	११	श्री पी० के० चौधरी ये :	श्री पी० के० चौधरी : ये
१७०७	१३	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
१७०६	शीर्ष पंक्ति	तारांकिस प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७११	२५	जिन हैडकौनिस्टेबिल्स कॉनिस्टे बिल	जिन हेड कॉनिस्टेबिल्स को कॉनिस्टेबल्स
१७१४	अन्तिम से ८ वीं	श्री नाथूराम मिर्धा :	श्री नाथूराम मिर्धा
१७१६	८	२७७. श्री दयाकृष्ण विजय (छेबड़ा) :	२७७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)
१७१६	१८	२८८. श्री मोहरसिंह	२८०. श्री मोहरसिंह
१७२३	१४ व १६	२० परसेंन्ट	२० पर्सेन्ट
१७२६	शीर्ष	ता ।कित प्रनोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७२८	शीर्ष पंक्ति	तारां प्र नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२१	श्री भनसिं :	श्री श्रीभानसिंह :
१७३१	शीर्ष पंक्ति	तारांकित प्रश्नोतर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७३५	२	श्री चन्दमल वेद :	श्री चन्दनमल वेद :
१७४५	अन्तिम से २	यह बताने की बताने की कृपा	यह बताने की कृपा
१७४७	शीर्ष पंक्ति	तारांकित प्रश्तोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१७५०	शीर्ष	मन्त्रि मण्डल के प्रति	मन्त्री-मण्डल के प्रति
१७५४	१२	हई है और काम	हुई है और काम
१७५८	१४	हए थे, उन की	हुए थे, उनकी
१७६०	२	इनके हने की	इनके कहने की
१७६७	अन्तिम से ६	भापण पर ये बातें	भाषण पर ये बातें
१७७२	अन्तिम से ८	One point	On a point
१७६८	अन्तिम	मुख्य मन्त्री क पुनः	मुख्य मन्त्री को पुनः
१८२०	७-८	इन्टिप्रेशन हुआ	इन्टिमेशन हुआ।

१	२	३	४
१८३७	शीर्ष	अविवास का प्रस्ताव	अविश्वास का प्रस्ताव
१८४२	३	टैक्सेशन टै पोलिसी	टैक्सेशन पोलिसी
१८५१	शीर्ष	अ वास का प्रस्ताव	अविश्वास का प्रस्ताव
१८६६	६	Stealithily and	stealthily and
१८७०	५	as Naid Tehsildor	as Naib Tehsildar
,,	८	Fauouritism in	favouritism in
१८७२	३	I shold like.	I should like
,,	१५	lakhs of above	Lakhs or above
१८७३	११	by onw.	by now.
१८८३	अन्तिम से ६	मैं ज.नता हूँ जि	मैं जानता हूं कि
१८८४	६-७	नियम ओफेन्स	नियम-से ओफेन्स
१८९६	१२	on it ligs	on its legs
,,	अन्तिम से ४	मननीय सदस्य	माननीय सदस्य
१८९७	४	सदन की यिवाही	सदन की कार्यवाही
१९०४	२	एक बात कहूंगा.	एक बात कहूंगा
,,	१०	एक डिस्डिक्ट बोर्ड	एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
१९०७	१८	डिस्ट्रीक्ट बोर्ड	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
,,	६	भा सदन में	भी सदन में
,,	अन्तिम	उनको परी तरह	उनको पूरी तरह
१९१०	१३ के पश्चात्	प्रश्न यह है	श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है
१९११	११	Same thfng.	Same thing.